छठवां संस्करण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ई-निर्णय पत्रिका
की प्रस्तुति

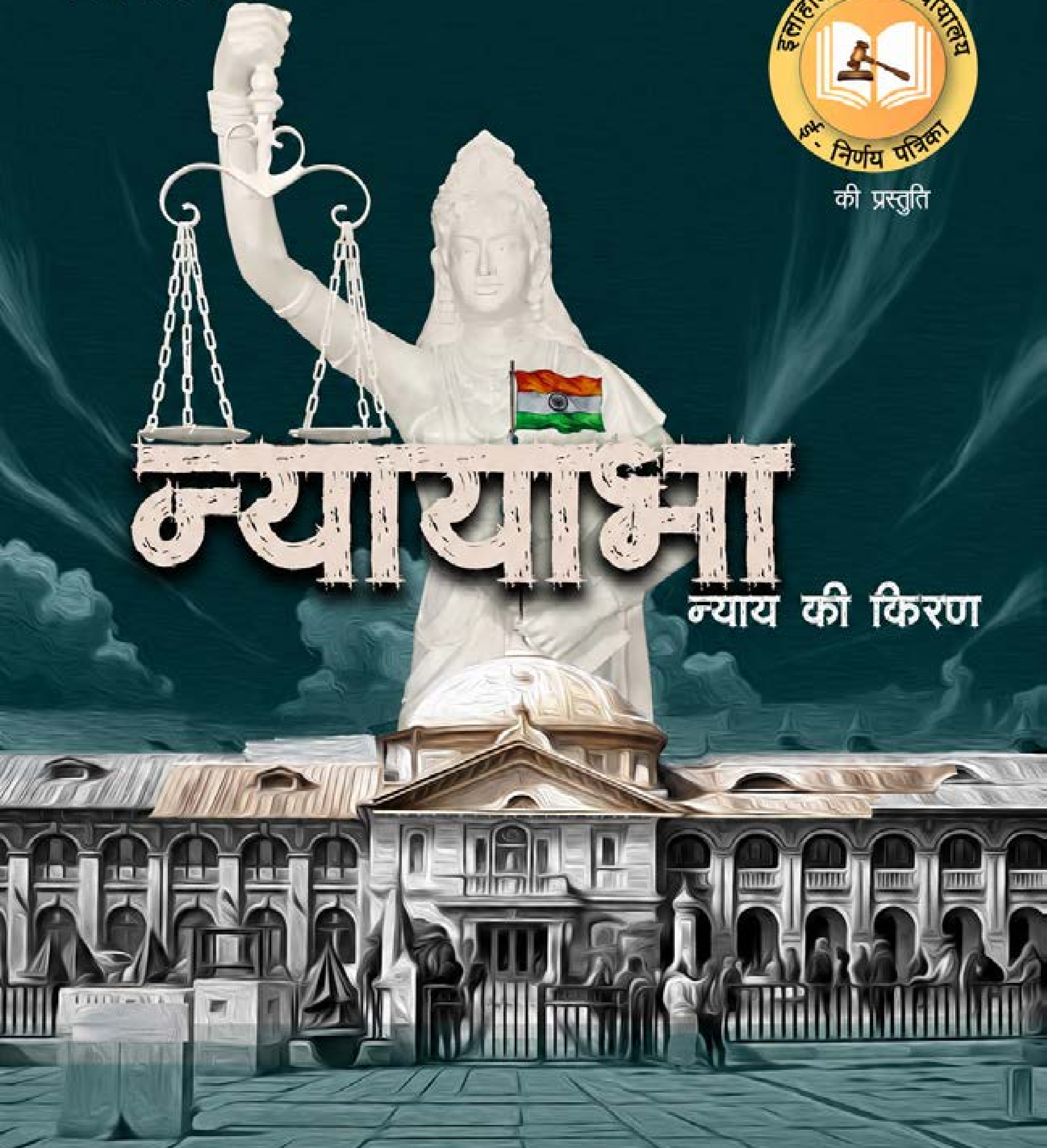

न्यायाभा

न्याय की किरण

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एससीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एच्सीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वारा प्रस्तुत

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका)

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति

श्री अजित कुमार

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति

श्री समीर जैन

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विवेक कुमार सिंह

सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एच्सीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई.कमेटी

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के जनमानस को उनकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय उपलब्ध कराकर उनमें विधिक जागरूकता फैलाने के लिए, 23 जनवरी, 2023 को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तिगण को पत्र भेज कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक ए. आई. कमेटी के गठन का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी, उच्च न्यायालय का गठन 25 जनवरी, 2023 को हुआ।

कमेटी का प्रथम गठन **माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी , अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान,** सदस्य के रूप में हुआ। 29 मार्च, 2023 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, सदस्य** के रूप में कमेटी को पुनर्गठित किया गया। 09 मई, 2023 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान, सदस्य** के रूप में कमेटी का पुनर्गठन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया अवधि में ही, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ, लखनऊ में स्वतंत्र सुवास प्रकोष्ठ का गठन 16 अगस्त, 2023 को हुआ। दिनांक 26 फरवरी, 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार **ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय-पत्रिका (e-AHCR)** के प्रकाशन हेतु 28 फरवरी, 2024 को माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उक्त कमेटी के तीसरे सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 25 जनवरी, 2025 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान** की सेवानिवृत्ति के बाद 02 सदस्यीय कमेटी कार्यरत रही। तदोपरांत दिनांक 06 अगस्त, 2025 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश द्वारा कमेटी का पुनर्गठन, **उच्च न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी तथा इंडियन लॉ रिपोर्टर व उसके ऑनलाइन संस्करण के प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय हेतु समिति (संक्षेप में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद)** के नाम से किया गया, जिसमें **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष** व **माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, सदस्य** के रूप में नामित थे। पुनर्गठित वर्तमान कमेटी में **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्य** के रूप में नामित हैं।

सुवास प्रकोष्ठ, उक्त कमेटी के निर्देशन में अब तक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 82000 से अधिक निर्णयों का अनुवाद कराकर **ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका** में प्रकाशित कर चुका है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न लगभग 302 निर्णयों का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ ही सुवास प्रकोष्ठ द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से उत्पन्न होने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामलों के निर्णयों का भी अनुवाद किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की **ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी** के निरंतर मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की **ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के सघन पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशों के फलस्वरूप सुवास प्रकोष्ठ द्वारा **'ई- इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका', त्रैमासिक ई-पत्रिका 'न्यायाभा- न्याय की किरण', 'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय'** की श्रृंखला इत्यादि का प्रकाशन किया जा रहा है।

संपादकीय

"प्रिय पाठकगण,"

यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित गैर- न्यायिक त्रैमासिक ई-पत्रिका 'न्यायाभा - न्याय की किरण' की छठवीं आवृत्ति पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस ई-पत्रिका के प्रथम पाँच संस्करणों को मिली प्रसंशा और प्रोत्साहन ने हमें इस संस्करण को श्रेष्ठतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संस्करण में विधि क्षेत्र के विविध लेखों, संस्मरणों, स्मृतियों आदि के साथ- साथ अद्यतन मूलभूत विषयों को समाहित किया गया है, जिससे यह पत्रिका विधि विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं आम जनमानस के लिए अधिक उपयोगी बन सके।

गैर न्यायिक क्षेत्र के लेखों, संस्मरणो, स्मृतियों आदि को समर्पित, इस ई-पत्रिका के **छठवें** संस्करण में महत्वपूर्ण विषयों **'नए आपराधिक कानूनों पर पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला "त्वरित सुनवाई के माध्यम से न्याय ही सच्चा न्याय है", बाबासाहेब अम्बेडकर: 'अराजकता का व्याकरण', संविधान सभा के लिए भाषण-1949, 'भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन AI लर्निंग मॉड्यूल और स्किल'द'नेशन चैलेंज के शुभारंभ के अवसर पर', 'हिंद स्वराज अथवा भारतीय स्वशासन (1909) गांधीजी की स्वराज (स्वशासन) की अवधारणा', 'न्याय व्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण: भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई का एकीकरण', 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट्स परियोजना का क्रियान्वयन : ई-फाइलिंग एवं वर्चुअल कोर्ट प्रणाली', 'न्याय व्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण: भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई का एकीकरण', 'ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का साक्ष्यात्मक महत्व', 'न्यायपालिका और डिजिटल युग'** आदि लेखों को समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठकगणों के लिए 2026 के प्रथम तिमाही (जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची का प्रकाशन किया गया है।

इस छठवें संस्करण की तैयारी में विशेषज्ञों एवं पाठकों की टिप्पणियों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमें आशा है कि यह संस्करण भी अपने पूर्व संस्करणों की तरह पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अंत में, उन सभी पाठकों, न्यायविदों एवं सहयोगियों का आभार, जिनके सहयोग एवं सुझावों ने इस कृति को समृद्ध किया। आप अपने सुझाव हमें ई-मेल के माध्यम से **editorialboard.suvascell@gmail.com** पर भेज सकते हैं, हम इस पत्रिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं।

धन्यवाद्
संपादक मंडल

अस्वीकरण

पत्रिका में प्रकाशित अंशों/लेखों को ए.आई. तकनीक का प्रयोग करके अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/सुवास प्रकोष्ठ, उत्तरदायी नहीं होगी।

अगर आप मूल लेखों को पढ़ना चाहते है तो आपकी सुविधा के लिए उनका स्रोत अनुक्रमणिका में मूल स्रोत के अंतर्गत दिया गया है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषयवस्तु	मूल स्रोत	पृष्ठ संख्या
1.	नए आपराधिक कानूनों पर पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला "त्वरित सुनवाई के माध्यम से न्याय ही सच्चा न्याय है,"	https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx-PRID=2028558&reg=3&lang=2	08
2.	बाबासाहेब अम्बेडकर: 'अराजकता का व्याकरण', संविधान सभा के लिए भाषण-1949	https://speakola.com/political/babasaheb-ambedkar-grammar-of-anarchy-1949	10
3.	भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन AI लर्निंग मॉड्यूल और स्किल'द'नेशन चैलेंज के शुभारंभ के अवसर पर	http://www.presidentofindia.gov.in/sites/default/files/2023-06/ ai_ module_ and_ ignou_centre.pdf http://www.presidentofindia.gov.in/speeches/bhaarata-kai-raasatarapa-tai-saraimatai-daraaupadai-	15
4.	हिंद स्वराज अथवा भारतीय स्वशासन (1909) गांधीजी की स्वराज (स्वशासन) की अवधारणा	https://www.mkgandhi.org/articles/hind%20swaraj.php#:~:text=The%20Gandhian%20concept%20of%20Self-rule.%20HIND%20SWARAJ,,even%20now,%20literally%20means%20'self-rule%20in%20India	17
5.	न्याय व्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण: भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई का एकीकरण	Published by PIB Delhi (Ministry of Law and Justice) on 25th February, 2025 Link: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106239&reg=3&lang=2	32
6.	ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का साक्ष्यात्मक महत्व	Organised by - Director, Gujarat State Directorate of Forensic Science & Chief Forensic Scientist M.H.A. Govt. of India, New Delhi Dates : July 24 - 25, 2004 Theme : "Evidentiary Significance of Brain Fingerprinting"	36

7.	**न्यायपालिका और डिजिटल युग**	लेखक – मोहित कुमार प्रसाद	45
8.	**प्रथम तिमाही (जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची**		48

नए आपराधिक कानूनों पर पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला

"त्वरित सुनवाई के माध्यम से न्याय ही सच्चा न्याय है,"

"त्वरित सुनवाई के माध्यम से न्याय ही सच्चा न्याय है," यह कथन मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमूर्ति एस. नागमुथु ने कहा। वे प्रेस सूचना कार्यालय, चेन्नई द्वारा आयोजित एक मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' में बोल रहे थे। यह कार्यशाला आज तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य पत्रकारों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में शिक्षित करना था जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

नए कानून, जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, में शामिल हैं — भारतीय न्याय संहिता 2023 (Indian Judiciary Act), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Indian Civil Protection Act), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Indian Evidence Act)।

अपने मुख्य भाषण में न्यायमूर्ति नागमुथु ने इन नए कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक हित और मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी के साथ समाचार प्रसारित करें। उन्होंने पत्रकारों को यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान किसी भी परिस्थिति में उजागर न करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही उन्होंने अपराध की घटनाओं की रिपोर्टिंग में सतही जानकारी पर निर्भर न रहने की सलाह दी।

न्यायमूर्ति नागमुथु ने स्पष्ट किया कि 30 जून 2024 की मध्यरात्रि तक दर्ज मामलों पर पुराने कानून लागू होंगे, जबकि 1 जुलाई 2024 के प्रारंभिक घंटों से दर्ज मामलों पर नए कानून प्रभावी होंगे। नए आपराधिक कानूनों में कुछ अपराधों के लिए दंड के बदले सामुदायिक सेवा का प्रावधान, कुछ दंडों की गंभीरता में कमी — यथा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में और आजीवन कारावास को निश्चित अवधि के कारावास में बदलने का प्रावधान — सम्मिलित किए गए हैं।

उन्होंने प्रारंभिक व्यावहारिक चुनौतियों के बावजूद पुराने कानूनों के अंतर्गत लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति नागमुथु ने भारत की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को अद्यतन करने की अनिवार्यता पर जोर दिया।

तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. गौरी रमेश ने नए कानूनों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रमुख परिवर्तनों एवं नवाचारों का विस्तार से उल्लेख किया तथा वर्तमान कानूनी व सामाजिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता और महत्व को रेखांकित किया।

डॉ. रमेश ने बताया कि ये कानून किस प्रकार कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने और न्याय प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं मानवीय बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

प्रेस सूचना कार्यालय, चेन्नई के अतिरिक्त महानिदेशक श्री एम. अन्नादुरई ने इस संक्रमण काल में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि नए कानूनों के बदलावों और उनके निहितार्थों को जनता तक सटीक, व्यापक और सुगम रूप में पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में मीडिया साक्षरता के महत्व को भी रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो की निदेशक श्रीमती लीला मीनाक्षी, प्रेस सूचना कार्यालय के संयुक्त निदेशक श्री पी. अरुणकुमार और उप निदेशक श्रीमती जे. विजयलक्ष्मी भी उपस्थित रहीं। डॉ. अंबेडकर विधि महाविद्यालय के डीन श्री बालाजी और 200 से अधिक विधि छात्र-छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की।

स्रोत: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2028558&reg=3&lang=2

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ई- निर्णय पत्रिका

बाबासाहेब अम्बेडकर: 'अराजकता का व्याकरण', संविधान सभा के लिए भाषण-1949

25 नवंबर 1949, दिल्ली, भारत

मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने संविधान का यथासंभव बचाव किया है, इसलिए मैं संविधान के गुणों पर चर्चा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः वह बुरा ही सिद्ध होगा यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे न हों। यद्यपि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह अच्छा भी साबित हो सकता है यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों। संविधान का कार्य पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। इन अंगों के कार्य का आधार जनता और उनके द्वारा गठित राजनीतिक दल हैं, जो उनकी इच्छाओं और नीतियों को साकार करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उनके दल कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों का समर्थन करेंगे या क्रांतिकारी तरीकों को प्राथमिकता देंगे? यदि वे क्रांतिकारी तरीकों को अपनाते हैं, तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए, जनता और उनके दलों की संभावित भूमिका को ध्यान में रखे बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना व्यर्थ है।

संविधान की निंदा मुख्य रूप से दो पक्षों से आती है: कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह वास्तव में एक खराब संविधान है? मेरा मानना है कि नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात यह है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो संविधान उन्हें बिना किसी मुआवजे के सभी निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करने की स्वतंत्रता दे। दूसरी बात यह है कि समाजवादी चाहते हैं कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार पूर्ण और बिना किसी सीमा के हों, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में विफल रहती है, तो उन्हें न केवल आलोचना करने, बल्कि राज्य को उखाड़ फेंकने की भी असीमित स्वतंत्रता हो।

आने वाली पीढ़ियों को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं।
ये वे मुख्य आधार हैं जिन पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का एकमात्र आदर्श रूप है। मैं यह नहीं कहता कि बिना मुआवजे के निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर रोक का सिद्धांत इतना पवित्र है कि इससे विचलन संभव ही नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि मौलिक अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई सीमाएं कभी हटाई नहीं जा सकतीं। मैं बस इतना कहता हूं कि संविधान में निहित सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं, या यदि आपको यह अतिशयोक्ति लगे, तो मैं कहता हूं कि वे संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। संविधान में इन्हें शामिल करने के लिए संपादक समिति को क्यों दोषी ठहराया जाए? मैं कहता हूं कि संविधान सभा के सदस्यों को भी क्यों दोषी ठहराया जाए? जेफरसन, महान अमेरिकी राजनेता जिन्होंने अमेरिकी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जो संविधान निर्माताओं को जिस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक जगह कहा है:

> *"हर पीढ़ी अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह है। उसे अपने लिए बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन वह अगली पीढ़ी को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, जैसे कि वह किसी दूसरे देश के लोगों को बाध्य नहीं कर सकती।"*

उन्होंने किसी अन्य स्थान पर ऐसा कहा है:

"यह विचार कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित संस्थाओं को छुआ या संशोधित नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उन्हें उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जनता के लिए उनके प्रबंधन में नियुक्त लोगों को नि:शुल्क अधिकार दिए गए हैं, शायद किसी सम्राट के दुर्व्यवहारों के विरुद्ध एक उपयोगी प्रावधान हो सकता है, लेकिन स्वयं राष्ट्र के विरुद्ध यह अत्यंत हास्यास्पद है। फिर भी हमारे वकील और पुजारी आम तौर पर इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं, और मानते हैं कि पिछली पीढ़ियों ने पृथ्वी पर हमसे अधिक स्वतंत्रता से अधिकार रखा था, उन्हें हम पर ऐसे कानून थोपने का अधिकार था जिन्हें हम स्वयं नहीं बदल सकते, और हम भी उसी प्रकार भविष्य की पीढ़ियों के लिए कानून बना सकते हैं और उन पर ऐसे दायित्व थोप सकते हैं जिन्हें बदलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा; संक्षेप में, पृथ्वी मृतकों की है, जीवितों की नहीं।"

मैं मानता हूँ कि जेफरसन ने जो कहा है वह न केवल सत्य है, बल्कि पूर्णतः सत्य है। इस पर कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि संविधान सभा जेफरसन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत से विचलित होती, तो वह निश्चित रूप से निंदा की पात्र होती, यहाँ तक कि आलोचना का पात्र भी। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या उसने ऐसा किया है? बिलकुल विपरीत। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान की जाँच करने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के किसी भी आलोचक ने विश्व में किसी भी संविधान सभा ने, उन परिस्थितियों में जिनमें संविधान संशोधन के लिए इतनी सरल प्रक्रिया उपलब्ध होने से देश की स्थिति और भी खराब हो गई है। यदि संविधान से असंतुष्ट लोगों को केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना हो और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संसद में भी वे दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर सकें, तो संविधान के प्रति उनकी असंतुष्टि को आम जनता की असंतुष्टि नहीं माना जा सकता।

विभाजनकारी राजनीति का खतरा

[लेकिन] मेरा मन अपने देश के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि मुझे लगता है कि इस अवसर पर मुझे इस विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या वह अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख पाएगा या उसे फिर से खो देगा? यही पहला विचार है जो मेरे मन में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। बात यह है कि उसने एक बार अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? यही विचार मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि भारत ने न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात और धोखे के कारण खोया है। मुहम्मद-बिन-कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के दौरान, दाहर के सेनापतियों ने मुहम्मद-बिन-कासिम के एजेंटों से रिश्वत ली और अपने राजा की तरफ से लड़ने से इनकार कर दिया। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वी राज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें स्वयं तथा सोलंकी राजाओं की सहायता का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों के पक्ष में थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तब उनके प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह मौन बैठे रहे और सिख राज्य को बचाने में कोई सहायता नहीं की। वर्ष 1857 में, जब भारत के एक बड़े हिस्से ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की, तब सिख मूक दर्शक बनकर इस घटना को देखते रहे।

क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। यह चिंता इस तथ्य से और भी गहरी हो जाती है कि जाति और धर्म जैसे हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा, हमारे सामने कई राजनीतिक दल होंगे जिनके राजनीतिक विचार विविध और एक-दूसरे के विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर? मुझे नहीं पता। लेकिन इतना निश्चित है कि यदि दल धर्म को देश से ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस स्थिति से हम सभी को दृढ़तापूर्वक बचाव करना होगा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लेना होगा।

संवैधानिक तरीकों का महत्व
26 जनवरी 1950 को भारत इस मायने में एक लोकतांत्रिक देश बन गया कि उस दिन से भारत में जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार होगी। यही विचार मेरे मन में आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बरकरार रख पाएगी या इसे फिर से खो देगी? यह दूसरा विचार है जो मेरे मन में आता है और मुझे पहले विचार की तरह ही चिंतित करता है।

ऐसा नहीं है कि भारत लोकतंत्र से अनभिज्ञ था। एक समय ऐसा भी था जब भारत गणराज्यों से भरा हुआ था, और जहाँ राजतंत्र थे भी, वे या तो निर्वाचित थे या सीमित थे। वे कभी निरंकुश नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि भारत संसदों या संसदीय प्रक्रिया से अनभिज्ञ था। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से पता चलता है कि न केवल संसदें थीं, बल्कि संघ आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियमों को जानते और उनका पालन करते थे। यद्यपि इन संसदीय प्रक्रिया के नियमों को बुद्ध ने संघों की बैठकों में लागू किया था, लेकिन उन्होंने इन्हें अपने समय में देश में कार्यरत राजनीतिक सभाओं के नियमों से ही लिया होगा।

भारत ने यह लोकतांत्रिक व्यवस्था खो दी। क्या वह इसे दोबारा खोएगा? मुझे नहीं पता। लेकिन भारत जैसे देश में, जहाँ लोकतंत्र लंबे समय से अप्रचलित होने के कारण एक नई चीज के समान है, यह बिल्कुल संभव है कि लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो जाए। यह भी संभव है कि यह नवजात लोकतंत्र अपना स्वरूप तो बरकरार रखे, लेकिन वास्तव में तानाशाही को जन्म दे दे। यदि भारी बहुमत से सत्ता में वापसी होती है, तो दूसरी संभावना के सच होने का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है।

यदि हम लोकतंत्र को न केवल दिखावे में, बल्कि वास्तविकता में भी बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से सबसे पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें क्रांति के रक्तपातपूर्ण तरीकों को त्यागना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ना होगा। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई विकल्प नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का उपयोग करना उचित था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के सिद्धांत के अलावा कुछ नहीं हैं और जितनी जल्दी इन्हें त्याग दिया जाए, उतना ही हमारे लिए बेहतर है।

ऊंचे पदों की राजनीति
दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लोकतंत्र के संरक्षण में रुचि रखने वाले सभी लोगों को दी गई चेतावनी का पालन करना, अर्थात्, "अपनी स्वतंत्रता को किसी महान व्यक्ति के चरणों में न रखें, न ही उसे ऐसी शक्ति सौंपें जो उसे उनकी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम बनाए।" देश की सेवा में जीवन भर समर्पित रहने वाले महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी सीमा होती है। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कोनेल ने ठीक ही कहा है, कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी स्त्री अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह चेतावनी भारत के मामले में किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है। क्योंकि भारत में, भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग या नायक-पूजा कहा जा सकता है, इसकी राजनीति में एक ऐसी भूमिका निभाती है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में इसकी भूमिका से नहीं की जा सकती। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है। लेकिन राजनीति में, भक्ति या नायक-पूजा एक पतन और अंततः तानाशाही की ओर निश्चित मार्ग।

सामाजिक लोकतंत्र
तीसरी बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा।

राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक उसकी नींव में

सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति के अलग-अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति का एक अभिन्न अंग हैं, इस अर्थ में कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही विफल करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। न ही स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ लोगों को बहुतों पर वर्चस्व स्थापित कर देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से प्रचलित नहीं हो सकतीं; इन्हें लागू करने के लिए एक नियामक की आवश्यकता होगी।

हमें सबसे पहले इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक है समानता। सामाजिक स्तर पर, भारत में एक ऐसा समाज है जो श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत के आधार पर, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है, जबकि कई लोग घोर गरीबी में जीवन यापन करते हैं।

26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे। लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में, अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण, हम एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक इस विरोधाभासी जीवन को जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहे, तो हम केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करना होगा, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस विधानसभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है।

दूसरी बात जो हम चाहते हैं, वह है बंधुत्व के सिद्धांत की मान्यता। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे की भावना—यदि भारतीय एक राष्ट्र हैं। यही वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करता है। इसे प्राप्त करना एक कठिन लक्ष्य है...

एक राष्ट्र का निर्माण करना है

मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय "भारत की जनता" अभिव्यक्ति से नाराज़ होते थे। वे "भारतीय राष्ट्र" अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते थे। मेरा मानना है कि खुद को एक राष्ट्र मानना एक बहुत बड़ा भ्रम है। हजारों जातियों में बंटे लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि हम अभी तक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।

तभी हमें राष्ट्र बनने की आवश्यकता का एहसास होगा और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों पर गंभीरता से विचार कर सकेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। जाति व्यवस्था राष्ट्रविरोधी है। सबसे पहले तो इसलिए कि यह सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती है। यह इसलिए भी राष्ट्रविरोधी है क्योंकि यह जाति-जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। क्योंकि बंधुत्व तभी साकार हो सकता है जब एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना, समानता और स्वतंत्रता केवल दिखावटी रह जाएंगी।

ये मेरे विचार हैं उन कार्यों के बारे में जो हमारे सामने हैं। हो सकता है। ये कुछ लोगों को सुखद न लगें। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में राजनीतिक सत्ता बहुत लंबे समय से कुछ ही लोगों के हाथों में रही है और बाकी लोग न केवल बोझ ढोने वाले जानवर हैं, बल्कि शिकारी जानवर भी हैं। इस एकाधिकार ने न केवल उन्हें उन्नति के अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जीवन के अर्थ को भी छीन लिया है। ये दलित वर्ग शासित होने से थक चुके हैं। वे स्वयं पर शासन करने के लिए बेचैन हैं। दलित वर्गों में आत्म-साक्षात्कार की इस तीव्र इच्छा को वर्ग

संघर्ष या वर्ग युद्ध में बदलने नहीं देना चाहिए। इससे सदन में विभाजन हो जाएगा। वह वास्तव में एक विनाशकारी दिन होगा। क्योंकि, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, आपस में विभाजित सदन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए जितनी जल्दी उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जगह बनाई जाए, उतना ही बेहतर है उन कुछ लोगों के लिए, उतना ही बेहतर है देश के लिए, उतना ही बेहतर है इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उतना ही बेहतर है इसकी लोकतांत्रिक संरचना की निरंतरता के लिए। यह केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और बंधुत्व की स्थापना से ही संभव है। इसीलिए मैंने इन पर इतना जोर दिया है।

मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। स्वतंत्रता निस्संदेह खुशी का विषय है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। स्वतंत्रता के साथ, हमने किसी भी गड़बड़ी के लिए अंग्रेजों को दोष देने का बहाना खो दिया है। अगर आगे कुछ गड़बड़ होती है, तो हम खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे। गड़बड़ी होने का बड़ा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे अपने समेत लोग नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं। वे जनता द्वारा शासन से ऊब चुके हैं। वे जनता के लिए सरकार चाहते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जनता की सरकार है या जनता द्वारा शासन है। यदि हम उस संविधान को संरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें हमने जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा शासन के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो आइए हम संकल्प लें कि हमारे रास्ते में आने वाली उन बुराइयों को पहचानने में देरी न करें जो लोगों को जनता द्वारा शासन की बजाय जनता के लिए सरकार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं, और न ही उन्हें दूर करने की अपनी पहल में कमजोर पड़ें। यही देश की सेवा करने का एकमात्र तरीका है। मुझे इससे बेहतर कोई तरीका नहीं सूझता।

Source: https://speakola.com/political/babasaheb-ambedkar-grammar-of-anarchy-1949

निर्णय पत्रिका

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का संबोधन: AI लर्निंग मॉड्यूल और स्किल'द'नेशन चैलेंज के शुभारंभ के अवसर पर

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2026

मैं आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएँ देती हूँ और यह मंगलकामना करती हूँ कि वर्ष 2026 सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।

आज रायरंगपुर में स्थित IGNOU क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा अधिगम सहायता को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम की सराहना करती हूँ। IGNOU तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में कौशल केंद्र की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई-बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये केंद्र बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी की भी सराहना करती हूँ।

देवियो और सज्जनो,
विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का महत्व और उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी के लिए AI के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है।

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की SOAR यानी 'Skilling for AI Readiness' की पहल प्रशंसा के योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत निःशुल्क AI मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इन मॉड्यूलों के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना तथा एक प्रौद्योगिकी-संचालित देश के निर्माण में योगदान देना है।

भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही है तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयार कर रही है। AI लैब्स और AI मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ-साथ सांसदगण भी आज यहाँ शिक्षार्थियों के रूप में उपस्थित हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। उभरती प्रौद्योगिकियों को स्वयं सीखकर आपने 'अधिगम के माध्यम से नेतृत्व' का उदाहरण प्रस्तुत किया है। AI प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को बधाई देती हूँ।

आज मुझे SkillTheNation चैलेंज के शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर AI अधिगम और नवाचार में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह पहल लाखों शिक्षार्थियों को आगे आने, अपनी क्षमता बढ़ाने और भारत में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

देवियों और सज्जनों,
आज का यह आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे उठाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं — इन सभी क्षेत्रों में AI के माध्यम से परिवर्तन आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है।

भारत का यह दृष्टिकोण रहा है कि प्रौद्योगिकी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। AI का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी दूरियों को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्ग के, हर आयु के लोगों तक — विशेषकर वंचित वर्गों तक — पहुँचे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रिय विद्यार्थियों ,
मैं आप सभी को नई तकनीक सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और AI लर्निंग मॉड्यूल पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावनाओं और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। आपको यह स्मरण रखना है कि प्रौद्योगिकी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों का समाधान खोजने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए।

सरकार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मज़बूत कर रही है। भारत को AI के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए India AI Mission चलाया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास-चालक के रूप में उभर रही है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले दशक में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), रोज़गार और समग्र उत्पादकता में AI का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का AI प्रतिभा-पूल विकसित करने में डेटा विज्ञान, AI इंजीनियरिंग और डेटा विश्लेषण जैसे कौशलों की प्रभावी भूमिका होगी।

सरकार विभिन्न संस्थाओं, उद्योग भागीदारों तथा शिक्षा जगत के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल प्रौद्योगिकी को अपनाए ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से एक जिम्मेदार भविष्य को भी आकार दे।

आइए, हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को ज्ञान-महाशक्ति बनाने तथा एक प्रौद्योगिकी-संचालित, समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सभी अपना योगदान दें।

मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ।

धन्यवाद,
जय हिन्द!
जय भारत!

हिंद स्वराज अथवा भारतीय स्वशासन (1909)

गांधीजी की स्वराज (स्वशासन) की अवधारणा

हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की प्रथम महत्वपूर्ण कृति का शीर्षक है, जो आज भी विश्वभर में विद्वानों और चिंतकों के बीच गहन रुचि का विषय बनी हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है “भारत में स्वशासन”।

लगभग 30,000 शब्दों की यह छोटी-सी पुस्तक नवंबर 1909 में मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधीजी ने इसे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज पर मात्र दस दिनों में लिखा था। पुस्तक के 275 पृष्ठों में से लगभग 40 पृष्ठ उन्होंने अपने बाएँ हाथ से लिखे थे। स्वयं गांधीजी के शब्दों में:

"मैंने पूरा ‘हिंद स्वराज’ अपने प्रिय मित्र डॉ. प्राणजीवन मेहता के लिए लिखा था। पुस्तक में दिए गए लगभग सभी तर्क उन्हीं के साथ हुई चर्चाओं पर आधारित हैं।"

यह पुस्तक सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के नेटाल से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने शीघ्र ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसमें ऐसी सामग्री होने का आरोप लगाया गया जिसे ‘राजद्रोहात्मक’ माना गया। इसके प्रत्युत्तर में गांधीजी ने इसकी अंग्रेज़ी अनुवादित प्रति नेटाल से प्रकाशित की, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इसकी सामग्री अहानिकर और रचनात्मक है। अंततः 21 दिसंबर 1938 को इस प्रतिबंध को हटा लिया गया।

इसके बाद इस पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध संस्करण 1938 में भारत के नवजीवन प्रेस द्वारा ‘हिंद स्वराज: द इंडियन होम रूल’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया। 1924 में इसका एक अमेरिकी संस्करण ‘सर्मन ऑन द सी’ (भूमिका: जॉन हेन्स होम्स) शीर्षक से शिकागो से प्रकाशित हुआ। हाल के वर्षों में इस पर आधारित एक विस्तृत पाठ-संकलन ‘कैम्ब्रिज टेक्स्ट्स इन मॉडर्न पॉलिटिक्स’ श्रृंखला के अंतर्गत 1997 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन कनाडा के कैलगरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंथनी जे. पैरेल ने किया।

यह पुस्तक कुल 20 अध्यायों और 2 परिशिष्टों में विभाजित है। परिशिष्ट-1 में आगे अध्ययन हेतु 20 संदर्भ ग्रंथों की सूची दी गई है, जिनमें लियो टॉल्स्टॉय की छह, हेनरी डेविड थोरो की दो, जॉन रस्किन की दो, प्लेटो की एक कृति (सॉक्रेटीस का बचाव और मृत्यु), ज्यूसेप्पे मैज़िनी की एक कृति (ड्यूटीज़ ऑफ मैन), तथा औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति पर दादाभाई नौरोजी और आर. सी. दत्त की रचनाएँ शामिल हैं।

इसके पश्चात ‘हिंद स्वराज’ (1938 संस्करण) से महात्मा गांधी के मूल दर्शन और विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाले 71 महत्वपूर्ण उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं।

1. समाचार-पत्र का कर्तव्य
"समाचार-पत्र का एक उद्देश्य जनभावनाओं को समझना और उन्हें अभिव्यक्ति देना है; दूसरा उद्देश्य लोगों में वांछनीय भावनाओं और विचारों को जागृत करना है; तथा तीसरा उद्देश्य जनता की कमियों और दोषों को निर्भीकता से उजागर करना है।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 1

----

2. दादाभाई नौरोजी के प्रति हमारा दायित्व

"क्या दादाभाई का सम्मान इसलिए कम हो जाता है कि युवावस्था के उत्साह में हम उनसे एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या इससे हम उनसे अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं? बुद्धिमानी का लक्षण यह है कि जिस सीढ़ी के सहारे हम ऊपर उठे हैं, उसे ठोकर मारकर न गिराएँ। सीढ़ी की एक पायदान हटा देने से पूरी सीढ़ी ही गिर जाती है।"

— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 1

---

3. न्याय

"जो लोग न्याय चाहते हैं, उन्हें दूसरों के साथ भी न्याय करना होगा।"

— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 1

---

4. असंतोष और अशांति

"अशांति वास्तव में असंतोष ही है। यह असंतोष एक अत्यंत उपयोगी वस्तु है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहता है, तब तक उसे उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना कठिन होता है। इसलिए प्रत्येक सुधार से पहले असंतोष का उत्पन्न होना आवश्यक है। हम किसी वस्तु को तभी त्यागते हैं, जब वह हमें पसंद आनी बंद हो जाती है।"

— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 3

---

5. स्वराज क्या है?

"वास्तव में इसका अर्थ यह है कि हम अंग्रेज़ों के शासन को तो चाहते हैं, पर अंग्रेज़ों को नहीं। आप बाघ का स्वभाव चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं; अर्थात् आप भारत को अंग्रेज़ी स्वरूप देना चाहते हैं। और जब भारत अंग्रेज़ी बन जाएगा, तब उसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि 'इंग्लिस्तान' कहा जाएगा। यह वह स्वराज नहीं है जिसकी मैं कामना करता हूँ।"

— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 4

---

6. ब्रिटिश संसद की स्थिति

"यह माना जाता है कि जनता द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को चुना जाता है। संसद के सदस्य बिना वेतन के सेवा करते हैं, इसलिए यह समझा जाता है कि वे केवल जनकल्याण के लिए कार्य करते हैं। मतदाताओं को शिक्षित माना जाता है, अतः यह भी मानना चाहिए कि वे सामान्यतः अपने चयन में भूल नहीं करेंगे। ऐसी संसद को याचिकाओं या किसी अन्य दबाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसका कार्य इतना सुचारू होना चाहिए कि उसके परिणाम प्रतिदिन स्पष्ट दिखाई दें।

किन्तु वास्तविकता यह है कि सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि सदस्य पाखंडी और स्वार्थी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे-से स्वार्थ के बारे में सोचता है। भय ही उनके कार्यों का मार्गदर्शक होता है। आज जो किया जाता है, वह कल बदला जा सकता है। ऐसा कोई उदाहरण याद करना कठिन है जिसमें संसद के किसी कार्य के अंतिम परिणाम के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके। जब बड़े-बड़े प्रश्नों पर बहस होती है, तब उसके सदस्य ऊँघते हुए और आलस्य करते हुए देखे गए हैं। कभी-कभी वे इतना बोलते हैं कि श्रोता ऊब जाते हैं। कार्लाइल ने इसे 'दुनिया की सबसे बड़ी बातें करने वाली दुकान' कहा है। सदस्य बिना सोचे-समझे अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। तथाकथित अनुशासन उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई सदस्य अपवादस्वरूप स्वतंत्र मत देता है, तो उसे दल-बदलू समझा जाता है। संसद राष्ट्र का एक अत्यंत महँगा खिलौना मात्र है।

प्रधानमंत्री संसद के कल्याण की अपेक्षा अपनी सत्ता की अधिक चिंता करता है। उसकी ऊर्जा अपनी पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने में लगी रहती है। उसका उद्देश्य हमेशा यह नहीं होता कि संसद सही कार्य करे। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वे सम्मान और उपाधियों का लालच देकर लोगों को प्रभावित करते हैं। मैं बिना झिझक कहता हूँ कि उनमें न तो वास्तविक ईमानदारी है और न ही जीवित अंतरात्मा। अंग्रेज़ मतदाताओं के लिए उनका समाचार-पत्र ही उनकी बाइबिल है। एक ही घटना की अलग-अलग समाचार-पत्रों में अलग-अलग व्याख्या की जाती है, जो उस राजनीतिक दल के हितों पर निर्भर करती है जिसके लिए वे प्रकाशित किए जाते हैं।"

----

7. सभ्यता

"पहले मनुष्यों को शारीरिक बल से दास बनाया जाता था। अब वे धन के प्रलोभन और धन से खरीदी जा सकने वाली विलासिताओं के द्वारा गुलाम बनाए जाते हैं। आज ऐसी-ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनकी पहले लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके उपचार खोजने के लिए डॉक्टरों की पूरी सेना लगी हुई है और इसी कारण अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही आधुनिक सभ्यता की परीक्षा है।"

"यह सभ्यता न नैतिकता का ध्यान रखती है और न ही धर्म का।"

"सभ्यता का उद्देश्य शारीरिक सुख-सुविधाओं को बढ़ाना है, और वह इसमें भी बुरी तरह असफल रहती है।"
"सभ्यता कोई असाध्य रोग नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान समय में अंग्रेज़ लोग इससे पीड़ित हैं।"

"सभ्यता उस चूहे के समान है जो हमें सहलाते हुए भीतर-ही-भीतर कुतरता रहता है।"

----

8. भारत कैसे खोया गया?

"अंग्रेज़ों ने भारत को हमसे छीना नहीं; हमने स्वयं उन्हें सौंप दिया। वे भारत में अपनी शक्ति के कारण नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें यहाँ बनाए रखते हैं।

जब हमारे राजा आपस में लड़ते थे, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता ली। वह संस्था व्यापार और युद्ध दोनों में निपुण थी। वह नैतिकता के प्रश्नों से अप्रभावित थी। उसका उद्देश्य अपने व्यापार का विस्तार करना और धन कमाना था। हिंदू और मुसलमान आपस में संघर्षरत थे। इससे भी कंपनी को अवसर मिला और इस प्रकार हमने स्वयं वे परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं जिनसे कंपनी को भारत पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।

वे अपने माल के लिए पूरे विश्व को एक विशाल बाज़ार बनाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मेरा दृढ़ मत है कि भारत अंग्रेज़ों के शासन के कारण नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता के कारण पिस रहा है। हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं।"

----

9. निर्भयता ही शक्ति है

"शक्ति हमारे शरीर में मांस और मांसपेशियों की मात्रा में नहीं, बल्कि भय की अनुपस्थिति में निहित होती है।"

----

10. बुराई के पंख होते हैं, अच्छाई को समय लगता है
"जो लोग भलाई करना चाहते हैं, वे स्वार्थी नहीं होते। उन्हें जल्दबाज़ी नहीं होती। वे जानते हैं कि लोगों के मन में अच्छाई के संस्कार डालने में बहुत समय लगता है। लेकिन बुराई के पंख होते हैं। एक घर बनाने में समय लगता है, पर उसे नष्ट करने में समय नहीं लगता।"

----

11. हम भारतीय एक हैं
"अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भी हम एक राष्ट्र थे। एक ही विचार हमें प्रेरित करता था। हमारा जीवन-पद्धति समान थी। हम एक राष्ट्र थे, इसलिए वे एक राज्य स्थापित कर सके। बाद में उन्होंने हमें बाँट दिया।

और हम भारतीय उतने ही एक हैं जितने दो अंग्रेज़ कभी नहीं हो सकते। केवल आप, मैं और वे लोग जो स्वयं को सभ्य और श्रेष्ठ समझते हैं, यह कल्पना करते हैं कि हम अनेक राष्ट्र हैं।"

----

12. स्वदेशी की अवधारणा
"ईश्वर ने मनुष्य के शरीर की रचना करते समय उसकी गति और महत्वाकांक्षा की एक सीमा निर्धारित की थी। मनुष्य ने तुरंत उस सीमा को पार करने के साधन खोज लिए। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह अपने सृष्टिकर्ता को जाने, लेकिन मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया ताकि वह अपने सृष्टिकर्ता को ही भूल जाए। मेरी रचना ऐसी है कि मैं केवल अपने निकटतम पड़ोसियों की सेवा कर सकता हूँ, किन्तु अपने अहंकार में मैं यह दावा करता हूँ कि मुझे अपने शरीर से पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए।"

----

13. भारत एक राष्ट्र है
"भारत एक राष्ट्र होना इसलिए बंद नहीं कर सकता कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विदेशियों का आगमन किसी राष्ट्र को आवश्यक रूप से नष्ट नहीं करता; वे उसमें समाहित हो जाते हैं। कोई देश तभी एक राष्ट्र कहलाता है जब उसमें आत्मसात करने की क्षमता हो। भारत सदैव ऐसा देश रहा है।"

----

14. धर्म और राष्ट्रीयता एक नहीं हैं
"वास्तव में जितने व्यक्ति हैं, उतने ही धर्म हैं; किन्तु जो लोग राष्ट्रीयता की भावना से परिचित हैं, वे एक-दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते।

दुनिया के किसी भी भाग में एक राष्ट्रीयता और एक धर्म समानार्थी नहीं रहे हैं, और भारत में भी ऐसा कभी नहीं रहा।"
15. हिंदू-मुस्लिम एकता – ।

"क्या लोग केवल इसलिए एक-दूसरे के शत्रु बन जाते हैं कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है? क्या मुसलमानों का ईश्वर हिंदुओं के ईश्वर से भिन्न है?"

— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 10

----

16. गौ-रक्षा
"यदि मेरे हृदय में गाय के प्रति अत्यधिक करुणा हो, तो मैं उसे बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूँगा, लेकिन अपने भाई का जीवन नहीं लूँगा। मेरे विचार में यही हमारे धर्म का नियम है।

जब हिंदू स्वयं गाय के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, तब उसे उनके अत्याचार से कौन बचाता है?"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 10

—————————————————————————

17. दुर्बल एकता नाजुक होती है
"मिट्टी का घड़ा किसी न किसी पत्थर के आघात से टूट ही जाएगा। यदि एक पत्थर से नहीं टूटेगा, तो दूसरे पत्थर से टूट जाएगा। घड़े को बचाने का उपाय यह नहीं है कि उसे हर समय खतरे से दूर रखा जाए, बल्कि यह है कि उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी पत्थर उसे तोड़ न सके।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 10

—————————————————————————

18. हिंदू-मुस्लिम एकता – II
"दोनों समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास विद्यमान है।

मैं यह नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान कभी नहीं लड़ेंगे। साथ रहने वाले दो भाई भी अक्सर झगड़ पड़ते हैं। कभी-कभी हमारे सिर भी फूट सकते हैं। ऐसा होना आवश्यक नहीं है, किन्तु सभी मनुष्य न्यायप्रिय नहीं होते। जब लोग क्रोध में होते हैं, तो वे अनेक मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं।

ऐसी स्थिति में कोई तीसरा पक्ष उनके बीच न्याय का वितरण कैसे कर सकता है? जो लोग लड़ते हैं, उन्हें चोट लगने की संभावना स्वीकार करनी चाहिए।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 10

—————————————————————————

19. वकील
"मेरा दृढ़ मत है कि वकीलों ने भारत को पराधीन बनाने में योगदान दिया है, हिंदू-मुस्लिम मतभेदों को बढ़ाया है और अंग्रेज़ी शासन को मजबूत किया है।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 11

—————————————————————————

20. कानून और वकील
"यह पेशा अनैतिकता की शिक्षा देता है और ऐसे प्रलोभनों से घिरा रहता है जिनसे बहुत कम लोग बच पाते हैं। यह धनवान बनने के प्रमुख साधनों में से एक है और इसका हित विवादों को बढ़ाने में निहित रहता है।

वे सामान्य मजदूरों की तुलना में अधिक शुल्क क्यों चाहते हैं? उनकी आवश्यकताएँ अधिक क्यों हैं? वे मजदूरों की अपेक्षा देश के लिए किस प्रकार अधिक उपयोगी हैं?

विवाद में शामिल पक्ष ही जानते हैं कि वास्तव में कौन सही है। हम अपनी सरलता और अज्ञानता में यह मान लेते हैं कि कोई अजनबी हमारा धन लेकर हमें न्याय प्रदान कर देगा।

वकीलों के संबंध में जो कुछ मैंने कहा है, वह न्यायाधीशों पर भी समान रूप से लागू होता है। दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 11

—————————————————————————

21. डॉक्टर

"मैंने दुराचार किया, उससे मुझे रोग हो गया, डॉक्टर ने मेरा उपचार कर दिया; परिणाम यह होगा कि मैं फिर वही दुराचार दोहराऊँगा। यदि डॉक्टर ने हस्तक्षेप न किया होता, तो मुझे अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव होता और मैं उससे सीख प्राप्त करता।

वास्तविक चिकित्सक वही है जो रोग के मूल कारण की खोज करता है।"
— महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, अध्याय 12 एवं 7

----

22. भारतीय सभ्यता – I

"मेरा विश्वास है कि भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है, उसकी तुलना संसार में किसी अन्य सभ्यता से नहीं की जा सकती। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और जड़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह आरोप हमारी विशेषता का प्रमाण है। जिन बातों को हमने अनुभव की कसौटी पर परखकर सत्य पाया है, उन्हें हम बदलने का साहस नहीं करते। अनेक लोग भारत को अपनी सलाह देते हैं, किन्तु वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है। यही उसकी सुंदरता है; यही हमारी आशा का सबसे बड़ा आधार है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

23. सच्ची सभ्यता क्या है?

"सभ्यता वह आचरण-पद्धति है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन एक ही बात है। नैतिकता का पालन करना अपने मन और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा करके हम स्वयं को पहचानते हैं। गुजराती में 'सभ्यता' का जो समकक्ष शब्द है, उसका अर्थ है – 'सदाचार' या 'अच्छा आचरण'।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

24. भारतीय सभ्यता – II

"जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को बढ़ावा देते हैं, वे उतनी ही अधिक अनियंत्रित होती जाती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भोग-विलास की एक सीमा निर्धारित की थी। उन्होंने समझ लिया था कि सुख मुख्यतः मन की अवस्था पर निर्भर करता है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

25. भारतीय सभ्यता – III

"हमारे यहाँ जीवन को नष्ट कर देने वाली प्रतिस्पर्धा की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय या कार्य का पालन करता था और नियत पारिश्रमिक लेता था। ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, किन्तु हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि हम ऐसी वस्तुओं के पीछे पड़ जाएँगे तो हम उनके गुलाम बन जाएँगे और अपनी नैतिक शक्ति खो बैठेंगे। इसलिए उन्होंने गहन विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिसे हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

26. भारतीय सभ्यता – IV

"उन्होंने यह भी विचार किया कि बड़े नगर एक प्रलोभन और बोझ हैं तथा उनमें लोग वास्तव में सुखी नहीं रह सकते। वहाँ चोरों और डाकुओं के गिरोह होंगे, वेश्यावृत्ति और अन्य दुर्व्यसन पनपेंगे तथा धनी लोग निर्धनों का शोषण करेंगे। इसलिए वे छोटे-छोटे गाँवों में संतुष्ट रहे।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

27. भारतीय सभ्यता – V

"उन्होंने देखा कि राजाओं की तलवार और उनकी शक्ति, नैतिकता की तलवार के सामने तुच्छ है। इसलिए वे पृथ्वी के समस्त शासकों को ऋषियों और फकीरों से निम्न मानते थे।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVI

-

28. भारतीय सभ्यता – VI

"न्याय व्यवस्था पर्याप्त रूप से निष्पक्ष थी। सामान्य नियम यह था कि लोग न्यायालयों से बचते थे। लोगों को अदालतों में फँसाने वाले दलाल नहीं थे। यह बुराई भी केवल राजधानियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही दिखाई देती थी।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

29. भारतीय सभ्यता बनाम पाश्चात्य सभ्यता

"भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति मनुष्य के नैतिक उत्थान की ओर है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता की प्रवृत्ति अनैतिकता के प्रसार की ओर है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIII

----

30. स्वराज अर्थात् आत्म-शासन

"जब हम स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं, तभी स्वराज प्राप्त होता है। इसलिए स्वराज हमारे अपने हाथों में है। किन्तु ऐसे स्वराज का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना होगा। एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को कभी नहीं बचा सकता।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIV

----

31. इंग्लैंड से स्वतंत्रता

"यदि अंग्रेज भारतीय बन जाएँ, तो हम उन्हें अपने बीच स्थान दे सकते हैं। किन्तु यदि वे भारत में रहते हुए अपनी सभ्यता को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIV

----

32. सबके लिए स्वराज

"मेरा विश्वास है कि आप भारत के करोड़ों लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, न कि केवल शासन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। यदि ऐसा है, तो हमें केवल एक बात पर विचार करना चाहिए—करोड़ों लोगों को स्वराज कैसे प्राप्त हो सकता है?"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XV

----

33. देशभक्ति
“मेरी देशभक्ति मुझे यह नहीं सिखाती कि केवल अंग्रेजों के चले जाने पर मैं भारतीय राजाओं द्वारा जनता को कुचले जाने दूँ। देशभक्ति से मेरा आशय समस्त जनता के कल्याण से है, और यदि मैं यह कल्याण अंग्रेजों के हाथों भी सुनिश्चित कर सकता, तो मैं उनके सामने भी अपना सिर झुका देता।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XV

----

34. त्याग ही वीरता है
“हमें दूसरों का बलिदान नहीं, बल्कि स्वयं का बलिदान करना चाहिए। दूसरों की हत्या करने का विचार कायरता का विचार है। ढींगरा देशभक्त था, किन्तु उसका प्रेम अंधा था।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XV

----

35. भय से प्राप्त लाभ अल्पकालिक होते हैं
“जो कुछ भय के कारण प्राप्त किया जाता है, वह केवल तब तक ही सुरक्षित रह सकता है जब तक वह भय बना रहता है।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XV

----

36. साधन और साध्य – I
“यह मानना कि साधनों और साध्य (उद्देश्य) के बीच कोई संबंध नहीं है, एक बहुत बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण ऐसे लोगों ने भी, जिन्हें धार्मिक माना जाता था, घोर अपराध किए हैं।

साधनों की तुलना बीज से और साध्य की तुलना वृक्ष से की जा सकती है; और जिस प्रकार बीज और वृक्ष के बीच अटूट संबंध होता है, उसी प्रकार साधनों और साध्य के बीच भी अविच्छेद्य संबंध होता है।

हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVI

----

37. अधिकार और कर्तव्य
“किन्तु वास्तविक अधिकार तो कर्तव्य-पालन का परिणाम होते हैं। और जब हर व्यक्ति केवल अधिकार ही चाहता हो, तब उन्हें किसे और कौन देगा?”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVI

----

38. साधन और साध्य – II
“यदि मैं आपकी घड़ी आपसे छीनना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा; यदि मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहूँ, तो मुझे उसका मूल्य चुकाना होगा; और यदि मैं उसे उपहार के रूप में प्राप्त करना चाहूँ, तो मुझे विनती करनी होगी। मेरे द्वारा अपनाए गए साधनों के अनुसार वही घड़ी कभी चोरी की वस्तु होगी, कभी मेरी वैध संपत्ति होगी और कभी उपहार होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन भिन्न साधनों से तीन भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVI

----

39. साधन और साध्य – III

"केवल उचित साधनों से ही उचित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और कम-से-कम अधिकांश मामलों में, यदि सभी में नहीं, तो प्रेम और करुणा की शक्ति शस्त्रों की शक्ति से अनंत गुना अधिक होती है। क्रूर बल के प्रयोग में हानि है, किन्तु करुणा के प्रयोग में कभी हानि नहीं होती।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XV

----

40. बल-प्रयोग बनाम प्रेम-बल

"समान स्तर के व्यक्ति की याचिका शिष्टाचार का प्रतीक होती है, जबकि दास की याचिका उसकी दासता का प्रतीक होती है। बल द्वारा समर्थित याचिका समानता का प्रतीक होती है, और जब कोई व्यक्ति अपनी माँग को याचिका के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह उसकी उदारता और श्रेष्ठता का प्रमाण है।

याचिकाओं के पीछे दो प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं। पहली शक्ति यह कहती है— 'यदि तुम हमारी माँग नहीं मानोगे, तो हम तुम्हें हानि पहुँचाएँगे।' यह शस्त्र-बल है।

दूसरी शक्ति यह कहती है— 'यदि तुम हमारी माँग स्वीकार नहीं करोगे, तो हम तुम्हारे याचक नहीं रहेंगे। तुम हम पर केवल तब तक शासन कर सकते हो जब तक हम शासित बने रहने को तैयार हैं; अब हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा।'

इस शक्ति को प्रेम-बल, आत्म-बल (सोल-फोर्स) या सामान्यतः, यद्यपि कम सटीक रूप से, निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) कहा जा सकता है। यह शक्ति अविनाशी है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVI

----

41. प्रेम-बल, आत्म-बल और सत्य-बल

"प्रेम की शक्ति ही आत्मा या सत्य की शक्ति है।

यह तथ्य कि आज भी संसार में इतने लोग जीवित हैं, इस बात का प्रमाण है कि संसार शस्त्र-बल पर नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम की शक्ति पर आधारित है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

42. इतिहास : युद्धों का अभिलेख

"जैसा कि हम इतिहास को जानते हैं, वह संसार के युद्धों का विवरण है। इसी कारण अंग्रेजों में एक कहावत प्रचलित है कि जिस राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है—अर्थात जिसने कोई युद्ध नहीं लड़ा—वह एक सुखी राष्ट्र है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

43. इतिहास : आत्म-बल की व्याख्या का अभिलेख

"लाखों परिवारों के दैनिक जीवन में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े इस शक्ति (प्रेम और आत्म-बल) के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। सैकड़ों राष्ट्र शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। इतिहास इस तथ्य को न तो दर्ज करता है और न ही कर सकता है। वास्तव में इतिहास प्रेम-बल या आत्म-बल की सतत और स्वाभाविक कार्यप्रणाली में आने वाले व्यवधानों का ही अभिलेख है।

इस प्रकार इतिहास प्रकृति के सामान्य प्रवाह में आने वाले अवरोधों का विवरण है। आत्म-बल स्वाभाविक है, इसलिए उसका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

44. सत्याग्रह की व्याख्या – I
"निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) व्यक्तिगत कष्ट सहकर अधिकार प्राप्त करने की एक विधि है; यह शस्त्र-बल द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध के विपरीत है। जब मैं किसी ऐसे कार्य को करने से इंकार करता हूँ जो मेरी अंतरात्मा के विरुद्ध हो, तब मैं आत्म-बल (Soul-Force) का प्रयोग करता हूँ।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

45. सत्याग्रह की व्याख्या – II
"हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि स्वयं का बलिदान, दूसरों के बलिदान से अनंत गुना श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किसी अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाए, तो उसका कष्ट केवल उसे ही सहना पड़ता है जो इसका प्रयोग करता है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

46. सत्याग्रह की व्याख्या – III
"यह कहना कि हम कानून का पालन करने वाला राष्ट्र हैं, उसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम प्रतिरोध करना जानते हैं। जब हमें कुछ कानून पसंद नहीं आते, तब हम कानून बनाने वालों के सिर नहीं फोड़ते, बल्कि स्वयं कष्ट सहते हैं और उन कानूनों के आगे समर्पण नहीं करते।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

47. सत्याग्रह की व्याख्या – IV
"जो कानून हमारी अंतरात्मा के विरुद्ध हों, उनका पालन करना हमारे मनुष्यत्व के विरुद्ध है। ऐसी शिक्षा धर्म के भी विपरीत है और दासता का प्रतीक है।
यहाँ तक कि सरकार भी हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती। वह यह नहीं कहती कि 'तुम्हें यह कार्य अवश्य करना ही होगा', बल्कि वह कहती है— 'यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे, तो हम तुम्हें दंड देंगे।'"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

48. सत्याग्रह की व्याख्या – V
"यदि मनुष्य केवल इतना समझ ले कि अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना मनुष्यत्व के विरुद्ध है, तो किसी भी व्यक्ति का अत्याचार उसे दास नहीं बना सकेगा। यही स्वराज या गृह-शासन (Home Rule) की कुंजी है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

—————————————————————————————

49. सत्याग्रह की व्याख्या – VI
“सभी सुधारों की उत्पत्ति अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों के विरोध में की गई पहल से हुई है।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

50. सत्याग्रह की व्याख्या – VII
“जब तक यह अंधविश्वास बना रहेगा कि मनुष्यों को अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना चाहिए, तब तक उनकी दासता भी बनी रहेगी। और केवल एक सत्याग्रही (निष्क्रिय प्रतिरोधी) ही इस अंधविश्वास को दूर कर सकता है।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

51. सत्याग्रह की व्याख्या – VIII
“जो लोग शारीरिक बल में विश्वास रखते हैं, वे उस साहस से अपरिचित हैं जो एक सत्याग्रही (निष्क्रिय प्रतिरोधी) के लिए आवश्यक होता है।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

52. सत्याग्रह की व्याख्या – IX
“सच्चा योद्धा कौन है—वह जो मृत्यु को सदैव अपना घनिष्ठ मित्र मानकर चलता है, या वह जो दूसरों की मृत्यु को नियंत्रित करता है? मेरा विश्वास कीजिए कि साहस और पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति कभी सत्याग्रही नहीं बन सकता। सत्याग्रह एक सर्वव्यापी तलवार है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार किया जा सकता है। यह उसका भी कल्याण करती है जो इसका प्रयोग करता है और उसका भी जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

53. अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ है
“राजा सदैव अपने राजसी हथियारों का ही उपयोग करेंगे। बल का प्रयोग उनके स्वभाव में होता है। वे आदेश देना चाहते हैं, परन्तु जिन लोगों को आदेशों का पालन करना पड़ता है, वे बंदूकें नहीं चाहते; और ऐसे लोग संसार में बहुसंख्यक हैं। उन्हें या तो शरीर-बल (Body-Force) सीखना होगा या आत्म-बल (Soul-Force)।
जहाँ वे शरीर-बल सीखते हैं, वहाँ शासक और शासित दोनों ही पागलों के समान हो जाते हैं; किन्तु जहाँ वे आत्म-बल सीखते हैं, वहाँ शासकों के आदेश उनकी तलवारों की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सच्चे मनुष्य अन्यायपूर्ण आदेशों की अवहेलना करते हैं। किसानों को कभी तलवार से पराजित नहीं किया गया है और न कभी किया जा सकेगा।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

54. सत्याग्रह भारत की देन है
“वास्तविकता यह है कि भारत में सामान्य जनता ने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिरोध का प्रयोग किया है। जब हमारे शासक हमें अप्रसन्न करते हैं, तो हम उनके साथ सहयोग करना बंद कर देते हैं।”
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

----

55. सत्याग्रह के बिना स्वराज नहीं

“वास्तविक स्वराज केवल वहीं संभव है जहाँ जनता के मार्गदर्शन की शक्ति सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) हो। इसके अतिरिक्त कोई भी शासन विदेशी शासन के समान है।”

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

——

56. सत्याग्रही के गुण

“बहुत अनुभव के बाद मुझे प्रतीत होता है कि जो लोग देश-सेवा के लिए सत्याग्रही बनना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरीबी (सादगी) को अपनाना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए और निर्भयता का विकास करना चाहिए।”

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

——

57. ट्रस्टीशिप (न्यासिता)

“जिन लोगों के पास धन है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे उसे फेंक दें, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसके प्रति आसक्त न रहें।”

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

——

58. निर्भयता ही शक्ति है

“निर्भयता के बिना किसी योद्धा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह माना जा सकता है कि उसके लिए पूर्ण सत्यनिष्ठ होना आवश्यक न हो, किन्तु वास्तविक निर्भयता से सत्यनिष्ठा स्वतः उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति सत्य का त्याग करता है, तो वह किसी न किसी प्रकार के भय के कारण ही ऐसा करता है।

जो व्यक्ति द्वेष से मुक्त है, उसे किसी तलवार की आवश्यकता नहीं होती।”

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVII

——

59. सच्ची शिक्षा

“शिक्षा का अर्थ क्या है? सामान्यतः इसका अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान (पढ़ना-लिखना) समझा जाता है। यह तो मात्र एक साधन है, और किसी भी साधन का उपयोग अच्छा भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी।

इसलिए चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, वह जीवन के मूल उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वह हमें सच्चा मनुष्य नहीं बनाती। वह हमें अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं सिखाती।

उसका उपयोग तभी है और उसका उचित स्थान तभी है जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें और अपने नैतिक जीवन को दृढ़ आधार पर स्थापित कर लें।

हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धति पर्याप्त है। उसमें चरित्र-निर्माण को प्रथम स्थान दिया गया है, और वही वास्तविक प्राथमिक शिक्षा है। उस आधार पर निर्मित भवन स्थायी रहेगा।”

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVIII

——

60. अंग्रेज़ी जानने वाले भारतीयों ने भारत को गुलाम बनाया
"अंग्रेज़ी जानने वाले भारतीय लोगों को धोखा देने और उनमें भय उत्पन्न करने से नहीं हिचके हैं।

भारत को गुलाम बनाने वाले हम स्वयं हैं—हम अंग्रेज़ी-शिक्षित भारतीय। राष्ट्र का अभिशाप अंग्रेज़ों पर नहीं, बल्कि हम पर पड़ेगा।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVIII

----

61. भारत की साझा भाषा हिन्दी है – I
"भारत की सार्वभौमिक भाषा हिन्दी होनी चाहिए, और उसे फ़ारसी (उर्दू) अथवा नागरी लिपि में लिखने का विकल्प होना चाहिए।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XVIII

----

62. भारत की साझा भाषा हिन्दी है – II
"भारत की सामान्य भाषा अंग्रेज़ी नहीं, बल्कि हिन्दी है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XX

----

63. भारत की आर्थिक गुलामी – I
"जब मैंने श्री दत्त की 'इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' पढ़ी, तो मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े; और जब मैं उसके विषय में पुनः सोचता हूँ, तो मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। भारत को निर्धन बनाने का काम मशीनों ने किया है। मैनचेस्टर ने हमें कितनी हानि पहुँचाई है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। भारतीय हस्तशिल्प के लगभग समाप्त हो जाने का मुख्य कारण मैनचेस्टर ही है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIX

----

64. भारत की आर्थिक गुलामी – II
"यह मान लेना मूर्खता होगी कि कोई भारतीय रॉकफेलर अमेरिकी रॉकफेलर से बेहतर होगा। निर्धन भारत स्वतंत्र हो सकता है, किन्तु अनैतिकता के द्वारा समृद्ध बना भारत अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकेगा, यह अत्यंत कठिन है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XIX

----

65. वास्तविक स्वराज
"जो कुछ दूसरे मेरे लिए प्राप्त करें, वह स्वराज नहीं बल्कि पराधीन शासन है; इसलिए यदि आपने केवल अंग्रेज़ों को देश से निकाल दिया है, तो यह कहना उचित नहीं होगा कि आपने स्वराज प्राप्त कर लिया है।"
— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XX

----

66. कर्तव्य ही सेवा है

"प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। यदि मैं अपना कर्तव्य निभाऊँ, अर्थात् स्वयं की सेवा करूँ, तो मैं दूसरों की सेवा करने में भी सक्षम हो जाऊँगा।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XX

----

67. वास्तविक स्वराज (निष्कर्ष)

"मैं पुनः दोहराने का साहस करूँगा :

1. वास्तविक स्वराज आत्म-शासन अथवा आत्म-संयम है।
2. इसे प्राप्त करने का मार्ग सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) है; अर्थात् आत्म-बल या प्रेम-बल।
3. इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक अर्थ में स्वदेशी आवश्यक है।
4. जो कार्य हमें करना चाहिए, वह इसलिए नहीं कि हमें अंग्रेज़ों से आपत्ति है या हम उनसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उसे करना हमारा कर्तव्य है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XX

----

68. गांधीजी की स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता

"मेरे विचार में हमने 'स्वराज' शब्द का प्रयोग उसके वास्तविक अर्थ को समझे बिना किया है। मैंने उसे अपनी समझ के अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और मेरी अंतरात्मा साक्षी है कि अब मेरा जीवन उसकी प्राप्ति के लिए समर्पित है।"

— महात्मा गांधी, हिन्द स्वराज, अध्याय XX

----

69. एक स्पष्टीकरण

"मेरे विचार में यह ऐसी पुस्तक है जिसे एक बालक के हाथ में भी दिया जा सकता है। यह घृणा के स्थान पर प्रेम का संदेश देती है। यह हिंसा के स्थान पर आत्म-बलिदान को स्थापित करती है। यह आत्म-बल को पशु-बल के विरुद्ध खड़ा करती है।"

— महात्मा गांधी, यंग इंडिया, जनवरी 1921

----

70. एक स्पष्टीकरण

"मैं पाठकों को यह चेतावनी देना चाहूँगा कि वे यह न समझें कि आज मेरा लक्ष्य वही स्वराज है जिसका वर्णन इस पुस्तक ('हिन्द स्वराज') में किया गया है। मैं जानता हूँ कि भारत अभी उसके लिए तैयार नहीं है। यह कहना धृष्टता प्रतीत हो सकता है, किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास यही है। व्यक्तिगत रूप से मैं उस आत्म-शासन की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ जिसका चित्रण इसमें किया गया है। किन्तु वर्तमान समय में मेरी सार्वजनिक और सहयोगात्मक गतिविधियाँ निस्संदेह संसदीय स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित हैं।"

— महात्मा गांधी, यंग इंडिया, जनवरी 1921

----

71. 'आर्यन पाथ' (विशेष हिन्द स्वराज अंक, सितम्बर 1938) के लिए गांधीजी का संदेश

"मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि आप उन सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं जिनकी रक्षा और समर्थन के लिए हिन्द स्वराज लिखी गई थी। इसका अंग्रेज़ी संस्करण मूल गुजराती पुस्तक का अनुवाद है। यदि मुझे इस पुस्तिका को पुनः लिखना पड़े, तो संभव है कि मैं यहाँ-वहाँ इसकी भाषा में कुछ परिवर्तन करूँ।
किन्तु इसके बाद के इन तूफ़ानी तीस वर्षों के अनुभवों से गुजरने के बावजूद मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है जिससे मैं उसमें व्यक्त अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता महसूस करूँ।

पाठक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन वार्तालापों का प्रामाणिक विवरण है जो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ किए थे, जिनमें से एक स्वयं को अराजकतावादी घोषित करता था। उसे यह भी जानना चाहिए कि इस पुस्तक ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ भारतीयों के बीच पनपने वाली उस विकृति को रोक दिया था, जो वहाँ जन्म लेने वाली थी।
पाठक इस तथ्य के साथ मेरे एक प्रिय मित्र की राय का भी संतुलन कर सकता है, जो दुर्भाग्यवश अब इस संसार में नहीं हैं। उनका मत था कि यह पुस्तक किसी मूर्ख की रचना है।"

— महात्मा गांधी, सेवाग्राम (सेगांव), 14 जुलाई 1938
संकलन: डॉ. वाई. पी. आनंद, निदेशक, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय।

स्रोत: https://www.mkgandhi.org/articles/hind%20swaraj.php#:~:text=The%20Gandhian%20concept%20of%20Self-rule.%20HIND%20SWARAJ,,even%20now,%20literally%20means%20'self-rule%20in%20India

न्याय व्यवस्था का डिजिटल रूपांतरण: भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई का एकीकरण

परिचय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे दक्षता, सुलभता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो रहा है। न्यायिक प्रक्रियाओं, वाद प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और कानून प्रवर्तन में एआई को एकीकृत करके , भारत संचालन को सुव्यवस्थित कर रहा है, विलंब को कम कर रहा है और न्याय को सभी के लिए अधिक सुलभ बना रहा है।

न्यायपालिका को वादों के लंबित होने, भाषा संबंधी बाधाओं और डिजिटल आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसी कई पुरानी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मशीन लर्निंग (एमएल), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित तकनीकों का उपयोग अब प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करने, मामलों की निगरानी में सुधार करने और अपराध रोकथाम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ।

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट चरण III, एआई-सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद, भविष्यसूचक पुलिसिंग और एआई-संचालित विधिक चैटबॉट जैसी पहलें कानूनी परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं, जिससे प्रक्रियाएं तेज, स्मार्ट और अधिक पारदर्शी बन रही हैं। यद्यपि एआई को अपनाने से चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से डेटा सुरक्षा, नैतिक शासन और कानूनी अनुकूलन के क्षेत्र में, भारत की न्याय प्रणाली को मजबूत करने की इसकी क्षमता अद्वितीय है।

यह लेख भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका का अन्वेषण करता है, और अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने में इसके अनुप्रयोगों, प्रभाव और भविष्य की क्षमता पर प्रकाश डालता है ।

ई-कोर्ट परियोजना में एआई (चरण III) - न्यायिक डिजिटल परिवर्तन में एक बड़ी छलांग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में शुरू की गई ई-कोर्ट परियोजना, डिजिटल नवाचार के माध्यम से न्यायिक कार्यों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी पहल है । तीसरे चरण में , परियोजना भारत भर के न्यायालयों में वाद प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) समाधानों को एकीकृत करती है। यह चरण पहले किए गए डिजिटल परिवर्तन प्रयासों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अधिक उत्तरदायी और प्रभावी न्यायिक प्रणाली प्रदान करना है।

• ई-कोर्ट में प्रमुख एआई अनुप्रयोग
स्वचालित वाद प्रबंधन, स्मार्ट शेड्यूलिंग, वाद प्राथमिकता निर्धारण और लंबित वादों की संख्या में कमी लाने के लिए एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम संभावित विलंब और स्थगन का पूर्वानुमान लगाने के लिए भविष्यसूचक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके मामलों का समय पर समाधान किया जा सके।

• कानूनी अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण में एआई:
उन्नत एआई-संचालित उपकरण कानूनी अनुसंधान को सुव्यवस्थित करके, प्रासंगिक मामलों के पूर्व उदाहरणों की पहचान करके और निर्णयों का सारांश प्रस्तुत करके न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की सहायता करते हैं। यह तकनीक न केवल अनुसंधान प्रक्रिया को गति देती है बल्कि कानूनी दस्तावेज़ीकरण की गुणवत्ता और एकरूपता को भी बढ़ाती है।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की सहायता से दस्तावेज़ दाखिल करना और न्यायालय की कार्यवाही:
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) का एकीकरण दस्तावेज़ डिजिटलीकरण में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये प्रौद्योगिकियां न्यायालय के दस्तावेजों को दाखिल करने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाती हैं, जिससे प्रसंस्करण में तेजी आती है और दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया में मानवीय त्रुटियां कम होती हैं।

• उपयोगकर्ता सहायता और चैटबॉट के लिए एआई:
एआई-संचालित वर्चुअल विधिक सहायक और चैटबॉट वाद के पक्षकारों को वाद की स्थिति, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन और आवश्यक कानूनी अपडेट के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। यह चौबीसों घंटे उपलब्ध डिजिटल सहायता न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाती है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो कानूनी प्रक्रियाओं से अपरिचित हैं।

•वाद के परिणामों के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए एआई:
एआई मॉडल ऐतिहासिक निर्णयों और मामले के आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित मामले के परिणामों और जोखिम आकलन के बारे में पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। यह क्षमता न्यायिक अधिकारियों को अधिक सूचित निर्णय लेने और प्रभावी वाद की रणनीतियाँ विकसित करने में मदद करती है, जिससे एक सक्रिय न्यायिक ढांचा तैयार होता है।

बजट और कार्यान्वयन
भारत सरकार ने ई-कोर्ट्स फेज III परियोजना के लिए कुल ₹7210 करोड़ आवंटित किए हैं , जो न्यायिक डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस बजट में से ₹53.57 करोड़ विशेष रूप से भारत के उच्च न्यायालयों में एआई और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह वित्तीय प्रतिबद्धता न्यायिक प्रणाली में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और सुलभता प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को रेखांकित करती है ।

विधिक अनुवाद और भाषा सुगमता के लिए एआई
भारत की न्यायिक प्रणाली मुख्य रूप से अंग्रेजी में संचालित होती है, जिससे गैर-अंग्रेजी भाषी वादियों के लिए बाधाएं उत्पन्न होती हैं । कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों को सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित कानूनी अनुवाद उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

एआई-सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद में प्रमुख विकास

कानून प्रवर्तन और अपराध रोकथाम में एआई

अपराध का पता लगाने, निगरानी करने और आपराधिक जांच को बेहतर बनाने के लिए पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में एआई को एकीकृत किया जा रहा है ।

कानून प्रवर्तन में प्रमुख एआई अनुप्रयोग

• भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग

एआई मॉडल अपराध के पैटर्न, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और आपराधिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं , जिससे कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को सक्रिय उपाय करने में सहायता प्राप्त होती है ।

• निगरानी और जांच के लिए एआई

o अपराध स्थल की निगरानी और संदिग्धों का पता लगाने के लिए स्वचालित ड्रोन ।
o राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस के साथ एकीकृत चेहरे की पहचान प्रणाली ।
o साक्ष्यों और डिजिटल अपराध के सुरागों की जांच के लिए एआई-संचालित फोरेंसिक विश्लेषण ।

• एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक कार्यवाही में एआई का उपयोग

o एआई-संचालित स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल वास्तविक समय में एफआईआर दर्ज करने और वाद के दस्तावेजीकरण में सहायता करते हैं ।
o कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवाहों की गवाही के विश्लेषण और न्यायालय में साक्ष्य के मूल्यांकन में सुधार कर रही है ।

• डेटा-आधारित अपराध ट्रैकिंग और खुफिया प्रणालियाँ

o कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) को बेहतर बनाती है ।
o ई-जेल और ई-फोरेंसिक डेटाबेस के साथ एकीकरण ।

एआई और 5जी: कानून प्रवर्तन के लिए विमर्श 2023 हैकाथॉन

दूरसंचार विभाग (DoT) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित विमर्श 2023 5G हैकाथॉन में अपराध रोकथाम के लिए AI-संचालित नवाचारों का पता लगाया गया।

विमर्श 2023 में प्रदर्शित नवाचार

o आवाज की पहचान का उपयोग करके एआई की सहायता से एफआईआर दर्ज करना।
o ड्रोन आधारित अपराध निगरानी और संदिग्धों का पता लगाना।
o अपराध स्थल की जांच के लिए संवर्धित वास्तविकता (एआर) अनुप्रयोग।
o राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के लिए एआई-आधारित भविष्यसूचक विश्लेषण।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भारत की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन व्यवस्था में परिवर्तन ला रही है, जिससे केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, अपराध रोकथाम और भाषा की सुगमता में सुधार हो रहा है। AI-आधारित उपकरण जैसे कि भविष्यसूचक विश्लेषण, स्वचालित दस्तावेज़ीकरण, चैटबॉट और स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम कानूनी व्यवस्था में दक्षता और संचालन को बेहतर बना रहे हैं। हालांकि, AI को जिम्मेदारी से अपनाने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा, विधिक सुधार और पारदर्शिता आवश्यक है ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में यह मानवीय निर्णय का समर्थन करे, न कि उसका स्थान ले। कानून और न्याय में AI का भविष्य AI-संचालित कानूनी अनुसंधान, ब्लॉकचेन-सुरक्षित वाद अभिलेख, AI विश्लेषण के माध्यम से न्यायिक पारदर्शिता और कानून प्रवर्तन में उन्नत साइबर सुरक्षा द्वारा निर्धारित होगा।

सरकार के निरंतर निवेश और नियामक निगरानी के साथ, एआई में भारत की न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों के लिए तेज, अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की क्षमता है।

स्त्रोत: PIB Delhi (Ministry of Law and Justice) में दिनांक 25 फरवरी 2025 को प्रकाशित
Link: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106239&reg=3&lang=2

ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का साक्ष्यात्मक महत्व

प्रस्तुतकर्ता:
माननीय न्यायमूर्ति आर. के. अभिचंदानी,
न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय सोला, अहमदाबाद

स्रोत:
कार्यशाला में प्रस्तुत शोध-पत्र कार्यशाला:
"ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग – अपराधों की जाँच में एक महत्वपूर्ण उपकरण"

आयोजक:
निदेशक, गुजरात राज्य फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय तथा
मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

परिचय

यह स्थापित तथ्य है कि मानव मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि होती है तथा मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताएँ विद्युत आवेशों द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो सूचना या इनपुट प्राप्त होता है, वह संग्रहीत होने पर ज्ञान का रूप ले लेता है। किसी गतिविधि में वास्तविक भागीदारी या संलिप्तता अनुभव के माध्यम से अर्जित ज्ञान के रूप में मस्तिष्क में संग्रहीत हो जाती है। इस प्रकार का अनुभवजन्य ज्ञान मस्तिष्क की स्मृति प्रणाली में अत्यंत स्पष्ट रूप से सुरक्षित रहता है।

किसी घटना या प्रसंग की स्मृति, जिसे व्यक्ति ने स्वयं अनुभव किया हो, उस घटना से संबंधित किसी दृश्य या ध्वनि को देखकर या सुनकर पुनः सक्रिय हो सकती है। पहचान के उस क्षण—जो मात्र एक मिलीसेकंड का होता है—मस्तिष्क में एक रिकॉर्ड किए जाने योग्य विद्युत गतिविधि उत्पन्न होती है। जब भी मन किसी दृश्य या ध्वनि को पहचानता है, उसी समय मस्तिष्क एक समरूप प्रतिक्रिया के रूप में विशिष्ट तीव्रता वाली तरंगों के रूप में प्रतिक्रिया देता है।

मस्तिष्क की ये विद्युत प्रतिक्रियाएँ अनैच्छिक और स्वतः स्फूर्त होती हैं। जब किसी पूर्व घटना या अनुभव से संबंधित स्मृति सक्रिय होती है, तो व्यक्ति चाहे तो उसे शब्दों में व्यक्त कर सकता है या किसी अन्य प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है, अथवा वह अवांछित परिणामों से बचने के लिए उसे प्रकट न करने का निर्णय भी ले सकता है।

उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने हत्या की हो और वह अचानक उस व्यक्ति का चित्र देख ले जिसे उसने मारा था, तो उसकी स्मृति तुरंत सक्रिय हो जाएगी और एक विशिष्ट आवृत्ति, अवधि तथा वोल्टेज वाली मस्तिष्कीय तरंग के रूप में वह प्रतिक्रिया दर्ज की जा सकेगी। किंतु सामान्यतः वह व्यक्ति इस पहचान के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा और किसी को यह ज्ञात नहीं होगा कि उसने उस चित्र को पहचान लिया है।

परंतु जब उसी व्यक्ति को जाँच के दौरान ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन फिंगरप्रिंटिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उससे वैज्ञानिक ढंग से प्रश्न किए जाते हैं, तब वह पुनः उस व्यक्ति के चित्र को अपने अपराध से जुड़े संदर्भ में पहचान लेगा। उस क्षण ईईजी मस्तिष्क में होने वाली संज्ञानात्मक सूचना-प्रसंस्करण गतिविधि को रिकॉर्ड कर लेगा। यह गतिविधि P300 तरंग के रूप में प्रकट होती है, जिसकी खोज 1960 के दशक में हुई थी और जिसे मस्तिष्कीय घटनाओं से संबंधित संभावनाओं में सर्वाधिक व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है।

इस प्रकार, भले ही पूछे जाने पर वह व्यक्ति यह साफ-साफ कह दे कि उसने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा या पहचाना, फिर भी उसके मस्तिष्कीय तरंगों में दर्ज पहचान यह संकेत देगी कि वह असत्य कह रहा है। यदि उसके मस्तिष्क में दर्ज इवेंट मार्कर यह दर्शाएँ कि उसने उस चित्र को पहचान लिया है, तो यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करेगा कि वह व्यक्ति मृतक को जानता था, यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं कर रहा है।

इसी प्रकार, जब जाँच के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है और अचानक उसे उस हथियार से सामना कराया जाता है जिससे अपराध किया गया था और जो उसके

लिए परिचित था, तो उसका मस्तिष्क उस हथियार को पहचान लेगा। स्मृति के सक्रिय होने की वह चिंगारी पुनः P300 इवेंट मार्कर के रूप में मापी जा सकने वाली विशिष्ट मस्तिष्कीय तरंग के रूप में दर्ज हो जाएगी। यह तरंग इस तथ्य को प्रकट कर देगी कि वह व्यक्ति उस हथियार के बारे में जानता है, भले ही पूछे जाने पर वह जानबूझकर इससे इंकार कर दे।

अतः ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया को एक ऐसे उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से यह साक्ष्य एकत्र किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है, उसे अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञान है या नहीं—ऐसे तथ्य जिनका अनुभवजन्य ज्ञान उसकी स्मृति में संग्रहीत हो सकता है।

संदिग्ध व्यक्ति को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यह भी प्रकट कर सकती है कि उसे उस घटना या अपराध के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। एक सटीक और वैज्ञानिक परीक्षण यह भी स्थापित कर सकता है कि उस व्यक्ति की अपराध में कोई भागीदारी नहीं थी।

इस परीक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जाँच के लिए प्रयुक्त प्रोब कितनी वैज्ञानिक और सटीक ढंग से तैयार किए गए हैं तथा संबंधित व्यक्ति इस परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कितना तैयार है। (प्रोब से आशय अपराध स्थल से संबंधित ऐसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों से है, जिनकी जानकारी सामान्यतः अभियुक्त को नहीं होती।)

स्मृति और उसके विविध रूप

स्मृति मानव मस्तिष्क की उन गतिविधियों में से एक है जिसका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में व्यापक अध्ययन किया गया है। यह अतीत के अनुभवों के प्रभाव को सुरक्षित रखने की क्षमता है। सूचना के संसाधन के दृष्टिकोण से स्मृति के निर्माण और पुनर्प्राप्ति के प्रमुख चरण होते हैं – कूटबद्धीकरण, भंडारण और पुनःस्मरण। अवधि, स्वरूप और ग्रहण की गई वस्तुओं के पुनःस्मरण के आधार पर स्मृति को संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति में वर्गीकृत किया जाता है।
एक बार सूचना भंडारित हो जाने के बाद उसे एक निश्चित अवधि के पश्चात पुनःस्मरण किया जा सकता है। यह अवधि दीर्घकालिक स्मृति के मामले में कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है, जबकि अल्पकालिक स्मृति के मामले में यह कुछ सेकंड से कुछ मिनटों तक होती है। यह माना जाता है कि अल्पकालिक स्मृति तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार में उत्पन्न अस्थायी विद्युत आवेशों द्वारा समर्थित होती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति अपेक्षाकृत स्थिर और स्थायी तंत्रिका संचार पर आधारित होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण पर निर्भर करती है।

दीर्घकालिक स्मृति को आगे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है – घोषणात्मक स्मृति और प्रक्रियात्मक स्मृति। घोषणात्मक स्मृति के लिए आवश्यक होने पर सचेत रूप से स्मरण करना पड़ता है, जबकि प्रक्रियात्मक स्मृति में मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी का सचेत स्मरण आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह अभ्यस्त व्यवहार पर आधारित होती है, जैसे वाहन चलाने की प्रक्रिया का स्मरण। प्रकरणात्मक स्मृति और आत्मकथात्मक स्मृति उस वातावरण या प्रसंग से संबंधित स्पष्ट स्मृति होती है जिसमें कोई घटना घटित हुई हो। इसमें समय, स्थान और उससे जुड़े भावनात्मक अनुभव सम्मिलित होते हैं। अर्थगत स्मृति तथ्यों और अवधारणाओं की स्मृति होती है, जिसमें ज्ञान किसी विशिष्ट वातावरण या प्रसंग से स्वतंत्र रहता है। अर्थगत स्मृति में संसार संबंधी सामान्य ज्ञान संग्रहीत रहता है जो किसी विशेष घटना से संबद्ध नहीं होता, जबकि प्रकरणात्मक स्मृति में व्यक्ति के निजी अनुभवों से संबंधित प्रसंग-विशिष्ट जानकारी संग्रहीत रहती है।

किसी स्मृति से संबंधित प्रकरणात्मक जानकारी को स्मरण करने की क्षमता को स्रोत निर्धारण कहा जाता है। यह क्षमता विकृति के अधीन हो सकती है, जिससे स्रोत विस्मृति उत्पन्न हो सकती है। समय के साथ प्रकरणात्मक स्मृतियाँ क्रमशः परिष्कृत होकर अर्थगत स्मृतियों का रूप धारण कर लेती हैं और किसी विशेष घटना से जुड़ी अनेक प्रसंगगत जानकारियाँ सामान्यीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में घटना के विशिष्ट विवरण धीरे-धीरे लुप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विस्मृति का प्रभाव प्रायः प्रकरणात्मक स्मृति पर अधिक पड़ता है।

झूठी स्मृति के सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि व्यक्ति कभी-कभी ऐसी स्मृतियों का निर्माण भी कर सकता है जो वास्तविकता में कभी घटित ही नहीं हुईं। यह स्थिति प्रायः जीवन में उत्पन्न अन्य मानसिक दबावों, जैसे क्रोध या सामाजिक दबाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। झूठी स्मृति वह स्मृति होती है जो किसी ऐसी घटना से संबंधित हो जो वास्तव में कभी घटित नहीं हुई हो, अथवा किसी वास्तविक अनुभव का विकृत रूप हो सकती है। ऐसी स्मृतियाँ बार-बार किसी घटना के बारे में सोचने या उसकी कल्पना करने से भी उत्पन्न हो सकती हैं।

मानव स्मृति पर किए गए प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हुआ है कि स्मृति की सूचना संग्रहीत करने की क्षमता सीमित होती है, उसका स्वरूप पुनर्निर्माणात्मक होता है और समय के साथ उसमें क्षय भी होता है। यह भी स्थापित तथ्य है कि स्मृति से जानकारी को पुनःस्मरण करने की प्रक्रिया उन रणनीतियों से प्रभावित होती है जिनका उपयोग उस जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

संवैधानिक प्रश्न

संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः किसी अपराध के संदिग्ध व्यक्ति को उन तथ्यों का खुलासा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिन्हें वह अपनी स्मृति से स्मरण कर सकता है और जो उसके अपराध में संलिप्त होने की संभावना को इंगित करते हों।

इस प्रकार किसी अपराध के अभियुक्त को इस बात का परीक्षण करने के लिए कि अपराध से संबंधित जानकारी उसके मस्तिष्क में संग्रहीत है या नहीं, मस्तिष्कीय विद्युत परीक्षण के अधीन होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब अपराधी किसी परिचित वस्तु को देखता है और उसके मस्तिष्क से पहचान की सूक्ष्म विद्युत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तब भी वह संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत उस तथ्य को प्रकट करने से इंकार कर सकता है।

यदि वह व्यक्ति अपराध संबंधी जानकारी का पता लगाए जाने के लिए स्वयं को संगणक आधारित मस्तिष्क परीक्षण के अधीन करने के लिए सहमत हो, तो संभव है कि वह मौखिक पूछताछ के दौरान ही अपना पक्ष प्रस्तुत करना अधिक उचित समझे।

अतः किसी अभियुक्त को मस्तिष्क पहचान परीक्षण के अधीन करने से पूर्व उसे स्पष्ट और निर्विवाद रूप से यह बताया जाना चाहिए कि यदि अपराध से संबंधित कोई जानकारी उसके मस्तिष्क की स्मृति में संग्रहीत है तो वह परीक्षण के माध्यम से ज्ञात हो जाएगी, और यह प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होगी कि उसे यह भी ज्ञात नहीं होगा कि उसकी स्मृति से यह जानकारी निकाली जा रही है।

यदि अभियुक्त की सूचित सहमति प्राप्त किए बिना ऐसा परीक्षण किया जाता है, तो इससे संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

वैज्ञानिक साक्ष्य का मूल्यांकन

किसी अपराध के अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व संदेह से परे प्रमाण का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि ऐसे विश्वसनीय प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ जो अपराध से संबंधित तथ्यों को निर्णायक रूप से स्थापित कर सकें। प्रत्यक्ष साक्ष्य वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपराध को देखता या अनुभव करता है, जैसे कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो। प्रत्यक्ष साक्ष्य को सामान्यतः उससे संबंधित तथ्यों के प्रमाण के रूप में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसके अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होता है, जिसके माध्यम से घटनाओं की पूरी श्रृंखला स्थापित की जाती है ताकि वह निर्णायक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करे।

विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर अथवा हस्तलेखन या अंगुलियों के निशानों की पहचान के संबंध में विशेष कौशल रखने वाले व्यक्तियों की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत प्रासंगिक तथ्य मानी जाती है, और ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षण, विश्लेषण और प्रतिवेदन के लिए किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को विधिवत भेजी गई किसी वस्तु या विषय पर उसके हस्ताक्षर से युक्त प्रतिवेदन को जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 में प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अन्य के अतिरिक्त केंद्रीय या राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक पर भी लागू होता है।

सामान्य विधि ज्ञान रखने वाले न्यायाधीश जटिल वैज्ञानिक विषयों से तभी प्रभावी रूप से निपट सकते हैं जब उन्हें उस विषय का मूलभूत वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो। वैज्ञानिक विषयों से बार-बार परिचय प्राप्त होने पर न्यायाधीश को वह क्षमता प्राप्त होती है जिससे वह विशेषज्ञ साक्ष्य की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए अपने दायित्व का प्रभावी निर्वहन कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में यह अपेक्षा की थी कि न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से तथ्यात्मक परीक्षण करें और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थागत प्रक्रियाओं, जैसे सहकर्मी समीक्षा, के माध्यम से व्यक्त वैज्ञानिक मतों और आलोचनाओं के आधार पर साक्ष्य की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के संबंध में न्यायिक निष्कर्ष तक पहुँचें। न्यायालय का मत था कि न्यायाधीश इस प्रकार की समीक्षा करने की क्षमता रखते हैं।

उक्त निर्णय में वैज्ञानिक साक्ष्य की ग्राह्यता निर्धारित करने के लिए कुछ प्रमुख कारकों का उल्लेख किया गया। इनमें यह देखा जाता है कि कोई सिद्धांत या तकनीक परीक्षण योग्य है या उसका परीक्षण किया जा चुका है; क्या उसे सहकर्मी समीक्षा और प्रकाशन की प्रक्रिया से गुजारा गया है; क्या उस तकनीक में त्रुटि की ज्ञात या संभावित दर अधिक है तथा क्या उसके संचालन को नियंत्रित करने वाले मानक उपलब्ध हैं; और क्या वह सिद्धांत या तकनीक संबंधित वैज्ञानिक समुदाय में सामान्य स्वीकृति प्राप्त करती है।

यह सूची न तो अंतिम है और न ही पूर्ण। विभिन्न परिस्थितियों में कुछ कारक अन्य की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि जब विभिन्न न्यायालयों के समक्ष समान वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की जाती है तो उसकी जाँच की गहराई में पर्याप्त अंतर

पाया जाता है और न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड समान रूप से लागू नहीं किए जाते। परिणामस्वरूप अनेक बार वैज्ञानिक साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में न्यायालय भिन्न और कभी-कभी परस्पर विरोधी निष्कर्षों तक पहुँचते हैं।

विशेषज्ञ साक्षी तथ्यों का साक्षी नहीं होता। उसका साक्ष्य परामर्शात्मक स्वरूप का होता है। विशेषज्ञ का कर्तव्य न्यायाधीश को ऐसे आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड उपलब्ध कराना है जिनके आधार पर वह विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निष्कर्षों की शुद्धता का परीक्षण कर सके और मामले में प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आलोक में स्वतंत्र निर्णय तक पहुँच सके। यदि वैज्ञानिक राय स्पष्ट, तार्किक और परीक्षण से पुष्ट हो, तो वह मामले में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ विचारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाती है। विशेषज्ञ साक्षी की विश्वसनीयता उसके निष्कर्षों के समर्थन में दिए गए कारणों की दृढ़ता तथा उन आँकड़ों और सामग्री पर निर्भर करती है जिनके आधार पर उसने अपने निष्कर्ष निकाले हों।

सामान्यतः विशेषज्ञ साक्ष्य को अपेक्षाकृत दुर्बल प्रकार का साक्ष्य माना जाता है और न्यायालय इसे प्रायः निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस कारण न्यायालय ऐसे साक्ष्य पर निर्भर करने से पूर्व स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि की अपेक्षा करते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 की योजना के अंतर्गत विज्ञान आदि से संबंधित किसी प्रश्न पर अंतिम राय बनाना न्यायालय का दायित्व है, और इस उद्देश्य से उस क्षेत्र में विशेष कौशल रखने वाले विशेषज्ञ की राय एक प्रासंगिक तथ्य के रूप में मानी जाती है। इसलिए न्यायाधीश को यह निर्धारित करना होता है कि क्या प्रस्तुत व्यक्ति वास्तव में उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है; क्या वह क्षेत्र वास्तव में विज्ञान का एक मान्य क्षेत्र है; और यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या उस विशेषज्ञ की गवाही विश्वसनीय है।

इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ साक्षियों की योग्यता और विश्वसनीयता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। अनेक मामलों में यह पाया गया है कि कुछ तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा असत्य कथन भी किए गए हैं। ऐसे उदाहरणों का उल्लेख विद्वानों द्वारा किया गया है, जिनमें वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के अधिकारी, चिकित्सक तथा ऐसे विशेषज्ञ सम्मिलित रहे हैं जिन्होंने विभिन्न आपराधिक मामलों में संदिग्ध और भ्रामक गवाही दी। यह भी देखा गया है कि अभियोजन पक्ष कभी-कभी ऐसे विशेषज्ञों की खोज करता है जो उनके पक्ष का समर्थन करने के लिए उपलब्ध हों। यद्यपि अनेक न्यायिक विज्ञान विशेषज्ञ विभिन्न पेशेवर संगठनों के सदस्य होते हैं और उन संगठनों के आचार संहिता का उल्लेख करते हैं, फिर भी इन संगठनों द्वारा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का वास्तविक जोखिम अत्यंत कम पाया गया है।

हैरिंगटन प्रकरण

जिस प्रकरण ने मस्तिष्क पहचान तकनीक को समाचारों और सार्वजनिक चर्चा में प्रमुखता से ला दिया, वह टेरी हैरिंगटन बनाम आयोवा राज्य का मामला है। 22 जुलाई 1977 को आयोवा राज्य के काउंसिल ब्लफ्स नगर में एक कार विक्रय प्रतिष्ठान पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कैप्टन जॉन श्वेयर की हत्या कर दी गई। उस समय टेरी हैरिंगटन की आयु सत्रह वर्ष थी और उस पर श्वेयर की हत्या का आरोप लगाया गया। अपने मुकदमे के दौरान हैरिंगटन ने यह गवाही दी कि वह अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं था। हैरिंगटन ने अपने पक्ष में अन्यत्रता के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और कई गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने यह बताया कि वह अपराध स्थल से कई मील दूर एक संगीत कार्यक्रम में उपस्थित था। इसके बावजूद 4 अगस्त 1978 को उसे प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी ठहराया गया। यह दोषसिद्धि मुख्य रूप से एक किशोर सह-अभियुक्त केविन ह्यूजेस की गवाही के आधार पर हुई थी। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास का दंड दिया और इस दंड में परोल की कोई संभावना नहीं रखी गई।

दोषसिद्धि के पश्चात की कार्यवाही में हैरिंगटन के अधिवक्ता ने नये मुकदमे की मांग की। यह मांग नये खोजे गए साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। इन साक्ष्यों में यह जानकारी सम्मिलित थी कि कुछ गवाहों ने अपनी पूर्व गवाही से मुकरते हुए उसे वापस ले लिया था, यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने प्रतिरक्षा पक्ष को यह महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बताया था कि इस अपराध के संबंध में एक अन्य संदिग्ध भी था। इसके अतिरिक्त एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा यह गवाही दी गई कि जब हैरिंगटन पर मस्तिष्क पहचान तकनीक का परीक्षण किया गया तो उसके मस्तिष्क में कार चोरी या पुलिस अधिकारी की हत्या से संबंधित कोई स्मृति नहीं पाई गई, और यदि वह वास्तव में दोषी होता तो उसके मस्तिष्क में इस अपराध से संबंधित प्रासंगिक जानकारी अवश्य पाई जाती। इस प्रकरण तथा उससे संबंधित मस्तिष्क पहचान परीक्षण के उस पहलू को, जिसके बारे में यह दावा किया गया कि उसने हैरिंगटन को दोषमुक्त सिद्ध कर दिया, व्यापक राष्ट्रीय प्रचार प्राप्त हुआ।

मुख्य गवाह ह्यूजेस, जिसने मुकदमे के दौरान यह कहा था कि वह हैरिंगटन के साथ कार चोरी करने गया था, बाद में अपनी उस गवाही से मुकर गया। उसने यह कहा कि उसने हैरिंगटन को अपराध में फँसाने वाली गवाही इसलिए दी थी ताकि स्वयं उस अपराध में आरोपित होने से बच सके और सूचना देने पर घोषित इनाम भी प्राप्त कर सके। इसके बावजूद जिला न्यायाधीश टिमोथी ओ'ग्रैडी ने नये मुकदमे के लिए प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि प्रस्तुत नये साक्ष्यों से मुकदमे के परिणाम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि डॉ. लॉरेंस फारवेल ने आयोवा राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील में अपीलकर्ता टेरी हैरिंगटन के समर्थन में एक स्वतंत्र निवेदन प्रस्तुत किया था। यह अपील पोटावाटामी काउंटी के आयोवा जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। डॉ. लॉरेंस फारवेल द्वारा प्रस्तुत इस निवेदन से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने 18 और 25 अप्रैल 2000 को हैरिंगटन पर परीक्षण किया, अपनी परीक्षण रिपोर्ट तथा अनुपूरक रिपोर्ट जिला न्यायालय को प्रस्तुत की और इस विषय पर हुई सुनवाई में गवाही भी दी।

डॉ. फारवेल के इस निवेदन में केवल मस्तिष्क पहचान परीक्षण से संबंधित साक्ष्य और हैरिंगटन द्वारा नये मुकदमे के लिए किए गए अनुरोध पर उसके संभावित प्रभाव का ही परीक्षण किया गया था। प्रकरण के विवरण के अंतर्गत बिंदु "सी" में परीक्षण की शुद्धता के विषय में यह कहा गया कि डॉ. फारवेल अपने परीक्षण के लिए शत-प्रतिशत शुद्धता का दावा नहीं करते। इसके स्थान पर उन्होंने यह कहा कि उनकी विश्लेषणात्मक तकनीकों में उन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है जिन्हें संबंधित वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार किया जाता है, और इन विधियों के माध्यम से प्रत्येक निष्कर्ष के लिए उच्च स्तर का सांख्यिकीय विश्वास प्राप्त हुआ। उक्त निवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला न्यायालय ने यह कहा कि उसके निर्णय की तिथि तक संबंधित मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया तथा उससे संबंधित गणितीय मॉडल वैज्ञानिक समुदाय में पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हुए थे, जिससे उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। जिला न्यायालय ने जिस प्रकार एक प्रकार की मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया को सामान्य रूप से स्वीकार्य माना और अन्य संबंधित वैज्ञानिक पद्धतियों तथा गणितीय मॉडल को नवीन बताते हुए अस्वीकार किया, उससे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या उस एक प्रकार की मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया के निष्कर्ष अपने आप में, डॉ. फारवेल द्वारा विकसित गणितीय उपकरणों के संदर्भ के बिना, स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए जा सकते हैं।

डॉ. फारवेल द्वारा प्रस्तुत उक्त निवेदन के बिंदु "डी" में, "हैरिंगटन की याचिका पर जिला न्यायालय में हुई सुनवाई" शीर्षक के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि जिला न्यायालय ने 14 और 15 नवम्बर 2000 को मस्तिष्क पहचान परीक्षण से संबंधित साक्ष्यों पर लगभग आठ घंटे तक सुनवाई की। न्यायालय ने हैरिंगटन पर किए गए परीक्षण की रिपोर्ट और अनुपूरक रिपोर्ट को सशर्त रूप से अभिलेख पर स्वीकार किया और हैरिंगटन की ओर से प्रस्तुत दो गवाहों, डॉ. फारवेल तथा डॉ. आयाकोनो, की गवाही भी सुनी। उसी निवेदन के बिंदु "ई" में "मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया संबंधी साक्ष्य पर जिला न्यायालय का निर्णय" शीर्षक के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि डॉ. फारवेल द्वारा प्रयोग किए गए विशिष्ट संकेतों के संदर्भ में न्यायालय ने यह पाया कि अपराध स्थल से संबंधित छह संकेतों में से तीन संकेत यह निर्धारित करने में सहायक नहीं थे कि हैरिंगटन अपराध स्थल पर उपस्थित था या नहीं। ये संकेत थे — सड़क के उस पार, खड़ी हुई कारें और सीधे सामने।

न्यायालय ने यह भी पाया कि शेष तीन संकेतों का उनके विशिष्ट स्वरूप के कारण सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक था। ये संकेत थे — घास और झाड़ियाँ, निकासी की खाई और पेड़ों के पास। न्यायालय ने इन संकेतों को भी अपेक्षित महत्व नहीं दिया और यह कहा कि स्वयं डॉ. फारवेल ने स्वीकार किया था कि यदि अपराध से संबंधित ऐसे विशिष्ट तथ्य उपलब्ध न हों जो केवल अपराधी और जाँचकर्ताओं को ही ज्ञात हों, तो मस्तिष्क पहचान तकनीक लागू नहीं की जा सकती।

डॉ. फारवेल ने यह भी स्वीकार किया कि यदि किसी संदिग्ध को अपराध के संबंध में वही सभी तथ्य ज्ञात हों जो जाँचकर्ताओं को ज्ञात हैं या जिन्हें अन्य स्रोतों से जाना जा सकता है, और यदि वह जानकारी अपराध करने के कारण नहीं बल्कि किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई हो, तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क पहचान परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता।

हैरिंगटन के परीक्षण परिणामों पर विचार करने के पश्चात जिला न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्यत्रता के साक्ष्य से संबंधित संकेतों और अपराध स्थल से संबंधित संकेतों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष, यदि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत भी किए जाते, तो भी निर्णय में परिवर्तन होने की संभावना नहीं थी।

डॉ. फारवेल द्वारा प्रस्तुत निवेदन में "तर्कों का सार" शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया कि जिला न्यायालय ने अपराध स्थल से संबंधित संकेतों के विश्लेषण में त्रुटि की है। उनके अनुसार न्यायालय को अपराध स्थल से संबंधित संकेतों के संबंध में "सूचना अनुपस्थित" पाए जाने के निष्कर्ष से यह अनुमान लगाना चाहिए था कि हैरिंगटन को अपराध स्थल की कोई स्मृति नहीं थी।

उसी निवेदन में "तर्क" शीर्षक के अंतर्गत बिंदु दो में, जिसका शीर्षक था कि संबंधित मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया से प्राप्त साक्ष्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय है, यह तर्क दिया गया कि जिला न्यायालय द्वारा मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया प्रभाव की वैधता को स्वीकार करना वास्तव में साक्ष्य के रूप में उसकी ग्राह्यता को मान्यता देने के समान है, यद्यपि न्यायालय ने संबंधित नियम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया और न ही औपचारिक रूप से "स्वीकार्य" या "अस्वीकार्य" जैसे शब्दों का प्रयोग किया।

जिला न्यायालय ने मुकदमे के अभिलेखों तथा हैरिंगटन के लिए उपलब्ध अन्य सामग्रियों का विस्तृत परीक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि डॉ. फारवेल ने स्वयं अपने द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था, विशेषकर संकेतों के चयन के संबंध में। अपने निवेदन

में डॉ. फारवेल ने यह तर्क दिया कि न्यायालय ने दो प्रकार से त्रुटि की है। पहली, अपराध स्थल से संबंधित संकेतों के संबंध में "सूचना अनुपस्थित" पाए जाने के निष्कर्ष से आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकाले गए। दूसरी, उन संकेतों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया जो सतही रूप से साधारण प्रतीत होते थे किंतु विशेष संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते थे।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालना कि अपराध स्थल से संबंधित संकेतों से प्राप्त परिणाम निर्णय को प्रभावित नहीं करते, पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित नहीं है और इसलिए उस निष्कर्ष को पलटा जाना चाहिए। उनके अनुसार जिला न्यायालय ने अपराध स्थल से संबंधित संकेतों को अत्यंत कम महत्व दिया और यह निष्कर्ष कि इन संकेतों से प्राप्त परिणाम निर्णय को प्रभावित नहीं करते, त्रुटिपूर्ण है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हैरिंगटन पर किए गए मस्तिष्क पहचान परीक्षण की रिपोर्ट को जिला न्यायालय ने स्वीकृति नहीं दी थी। हैरिंगटन के परीक्षण परिणामों पर विचार करने के पश्चात जिला न्यायालय ने यह कहा कि अन्यत्रता के साक्ष्य से संबंधित संकेतों तथा अपराध स्थल से संबंधित संकेतों से प्राप्त निष्कर्ष, यदि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत भी किए जाते, तो भी निर्णय में परिवर्तन होने की संभावना नहीं थी।

अतः इस मामले को लेकर जो सामान्य धारणा प्रचार के माध्यम से बनाई गई कि हैरिंगटन के मामले में मस्तिष्क पहचान तकनीक को जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था, वह उचित नहीं है। केवल इस आधार पर कि न्यायालय ने संबंधित मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया को प्रासंगिक माना और यह स्वीकार किया कि यह प्रभाव वैज्ञानिक रूप से स्थापित है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मस्तिष्क पहचान तकनीक को न्यायालय ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था।

हैरिंगटन पर किए गए मस्तिष्क पहचान परीक्षण, जिसके समर्थन में डॉ. फारवेल ने आयोवा के सर्वोच्च न्यायालय में निवेदन प्रस्तुत किया था, को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में लगभग कोई महत्व नहीं दिया गया। 26 फरवरी 2003 को दिए गए निर्णय में इस परीक्षण का केवल एक संक्षिप्त उल्लेख एक टिप्पणी के रूप में किया गया।

आयोवा के सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के निर्णय को ऐसे आधारों पर पलट दिया जो मस्तिष्क पहचान परीक्षण से पूर्णतः असंबद्ध थे। न्यायालय ने यह माना कि हैरिंगटन को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि उसके साथ विधिक प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। मामला इस आधार पर पुनः विचार हेतु भेजा गया कि हैरिंगटन को पुलिस प्रतिवेदनों में निहित आवश्यक तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे प्रतिरक्षा पक्ष उन साक्ष्यों का पूर्ण लाभ नहीं उठा सका।

न्यायालय ने यह कहा कि क्योंकि हैरिंगटन को उन पुलिस प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए साक्ष्य को दबा लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित था जो उन प्रतिवेदनों में प्रकट हुए थे और जो मुकदमे के दौरान हैरिंगटन को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पहला, गेट्स नामक व्यक्ति की पहचान उस संदिग्ध व्यक्ति के रूप में की गई थी जिसे उस क्षेत्र में बंदूक और कुत्ते के साथ देखा गया था। दूसरा, श्वेयर और गेट्स के बीच संपर्क का तथ्य सामने आया था, जिससे पहली बार एक वैकल्पिक संदिग्ध और पीड़ित के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों में प्रस्तुत परिस्थितियों के आधार पर यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यदि यह दोषमुक्त करने वाली जानकारी हैरिंगटन को उपलब्ध कराई गई होती तो उसके हत्या के मुकदमे का परिणाम वही रहता। न्यायालय ने यह घोषित किया कि वैकल्पिक संदिग्ध के संबंध में पुलिस जाँच के प्रतिवेदन प्रस्तुत न करके राज्य ने हैरिंगटन के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया है। परिणामस्वरूप न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि हैरिंगटन की दोषसिद्धि को निरस्त करते हुए उसे नये मुकदमे का अवसर प्रदान किया जाए।

आयोवा राज्य की विधि की धारा 822.2 के अंतर्गत, जिसके आधार पर हैरिंगटन ने अपनी दोषसिद्धि को निरस्त करने का अनुरोध किया था, यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो या दंडित किया गया हो और जो यह दावा करता हो कि उसकी दोषसिद्धि या दंड संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अथवा आयोवा राज्य के संविधान या कानूनों का उल्लंघन करते हुए दिया गया है, या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध हैं जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया था और जिनके कारण न्याय के हित में दोषसिद्धि या दंड को निरस्त किया जाना आवश्यक है, वह बिना किसी न्यायालय शुल्क का भुगतान किए इस अध्याय के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

धारा 822.2 के उपबंध (1) के अंतर्गत हैरिंगटन का दावा इस आरोप पर आधारित था कि अभियोजन पक्ष ने आपराधिक मुकदमे के दौरान आठ पुलिस प्रतिवेदन प्रतिरक्षा पक्ष को उपलब्ध नहीं कराए थे, जिससे विधिक प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ये पुलिस प्रतिवेदन, गवाहों द्वारा अपनी पूर्व गवाही से मुकरने से संबंधित साक्ष्य तथा संगणक आधारित मस्तिष्क परीक्षण से संबंधित सामग्री, धारा 822.2 के उपबंध (4) के अंतर्गत नये खोजे गए साक्ष्य के रूप में हैरिंगटन के दावे का आधार भी बने।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चूँकि इस अपील का निर्णय विधिक प्रक्रिया के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर ही किया जा सकता है, इसलिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या निचली अदालत ने नये खोजे गए साक्ष्यों के आधार पर नये मुकदमे के अनुरोध को अस्वीकार करने में त्रुटि की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि तथापि प्रतिवादी द्वारा दोषसिद्धि के पश्चात की सुनवाई में प्रस्तुत उन साक्ष्यों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाएगा जो विभिन्न गवाहों द्वारा अपनी दोषारोपण करने वाली पूर्व गवाही से मुकरने से संबंधित हैं, क्योंकि वे पुलिस प्रतिवेदनों की प्रासंगिकता के संबंध में आगे की चर्चा के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित साक्ष्य इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं, इसलिए उन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैरिंगटन के मस्तिष्क पहचान परीक्षण को अत्यधिक प्रचार दिया गया, जबकि जिला न्यायालय ने परीक्षण रिपोर्ट को जिस प्रकार देखा था, उसके आधार पर ऐसा प्रचार बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिला न्यायालय के निर्णय को आयोवा के सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया, जिससे मस्तिष्क पहचान परीक्षण के संदर्भ में संबंधित मस्तिष्कीय प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता पर जिला न्यायालय की टिप्पणियों पर भी भरोसा करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता।

सर्वोच्च न्यायालय ने, डॉ. फारवेल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत निवेदन के बावजूद, परीक्षण से संबंधित साक्ष्यों का केवल एक संक्षिप्त उल्लेख एक टिप्पणी में किया। न्यायालय ने यह कहा कि चूँकि वैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित साक्ष्य इस अपील के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं हैं, इसलिए उन पर कोई और विचार नहीं किया जाएगा। उस टिप्पणी में केवल संगणक आधारित मस्तिष्क परीक्षण का संक्षिप्त वर्णन किया गया, जिस पर हैरिंगटन द्वारा भरोसा किया गया था। उसमें यह बताया गया कि यह साक्ष्य डॉ. लॉरेंस फारवेल की गवाही के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जो संज्ञानात्मक मनोदैहिक अध्ययन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने यह बताया कि वह मस्तिष्क की कुछ विशिष्ट गतिविधि तरंगों का मापन करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परीक्षण किए जा रहे व्यक्ति को प्रस्तुत की गई जानकारी की पहचान है या नहीं। इस विश्लेषण के माध्यम से मूलतः यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कौन-सी जानकारी संग्रहीत है। डॉ. फारवेल के अनुसार हैरिंगटन पर किए गए परीक्षण से यह स्थापित हुआ कि उसके मस्तिष्क में ऐसी जानकारी संग्रहीत थी जो उसके अन्यत्रता के साक्ष्य के अनुरूप थी।

अतः यह स्पष्ट है कि हैरिंगटन प्रकरण के न्यायिक निर्णयों का उपयोग मस्तिष्क पहचान परीक्षण को प्रचारित करने के लिए, चाहे विशेषज्ञ स्वयं करें या उनके अनुयायी करें, उचित नहीं है। जिस एकमात्र मामले में मस्तिष्क पहचान परीक्षण की रिपोर्ट दोषसिद्धि के पश्चात की कार्यवाही में प्रस्तुत की गई थी, वह भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि न्यायालय ने इस तकनीक को स्वीकार कर लिया है।

मस्तिष्क पहचान तकनीक को न्यायिक विज्ञान के एक स्थापित उपकरण के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले इसकी शुद्धता का समुचित परीक्षण और मूल्यांकन आवश्यक है। डॉ. फारवेल का यह दावा है कि परीक्षणों में इस प्रणाली का रिकॉर्ड पूर्णतः त्रुटिरहित रहा है, परंतु ऐसे दावे अभी समय से पहले किए गए प्रतीत होते हैं। इस पद्धति का परीक्षण अभी बहुत सीमित स्तर पर हुआ है और अधिकांश परीक्षण कृत्रिम प्रयोगशाला परिस्थितियों में ही किए गए हैं। यदि न्यायिक विज्ञान के उपकरण के रूप में इसकी वैधता स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं की गई, तो शीघ्र ही ऐसे ही विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जैसे वर्तमान में आनुवंशिक साक्ष्यों अथवा अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों की वैधता के संबंध में देखे जा रहे हैं।

न्यायिक विज्ञान के उपकरण के रूप में प्रभावशीलता

किसी आपराधिक मुकदमे में विशेषज्ञ साक्ष्य समस्त साक्ष्यों के उस समुच्चय का केवल एक छोटा सा भाग होता है, जिसके समुचित मूल्यांकन के आधार पर न्यायाधीश या जूरी निर्णय लेते हैं। न्यायालय उपलब्ध अन्य सभी साक्ष्यों के साथ वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राय को भी ध्यान में रखता है। विशेषज्ञ की राय केवल एक ऐसा साक्ष्य होती है जिसे अन्य साक्ष्यों के साथ विचार में लिया जाता है और जिसका मूल्यांकन उसके साक्ष्यात्मक महत्व के आधार पर किया जाता है।

यद्यपि मस्तिष्क पहचान तकनीक की वैधता वैज्ञानिक मानकों की कसौटी पर खरी उतर जाए, फिर भी किसी विशिष्ट मामले में इसे न्यायिक विज्ञान के उपकरण के रूप में लागू करना अनेक कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें प्रयुक्त संकेतों की प्रामाणिकता तथा अन्य परिस्थितियाँ भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराध की जाँच में दो संदिग्ध व्यक्ति अपराध स्थल पर उपस्थित रहे हों, जिनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी हो और दूसरा वास्तविक अपराधी, तो ऐसी स्थिति में यह परीक्षण उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। यह तकनीक केवल उनकी स्मृति में विद्यमान उस जानकारी का पता लगा सकती है जिससे यह संकेत मिलता हो कि दोनों अपराध स्थल पर उपस्थित थे, किंतु यह, यह निर्धारित नहीं कर सकती कि उनमें से किसकी क्या भूमिका थी।

ऐसी स्थिति में यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि कोई निर्दोष प्रत्यक्षदर्शी भी संदेह के घेरे में आ जाए और वास्तविक अपराधी के लिए संदेह उत्पन्न कर बच निकलने का अवसर बन जाए।

इसके अतिरिक्त यदि जाँच अधिकारियों के पास अपराध के संबंध में पर्याप्त विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध न हो, जिसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति के मस्तिष्क में संग्रहीत अपराध से संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में यह तकनीक निर्णायक सिद्ध नहीं हो सकती।

मस्तिष्क पहचान परीक्षण केवल यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई जानकारी विद्यमान है या नहीं; यह सीधे यह निर्धारित नहीं करता कि वह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष। कई बार ऐसा भी संभव है कि किसी व्यक्ति के पास अपराध से संबंधित लगभग समस्त उपलब्ध जानकारी हो, जबकि वह स्वयं अपराधी न हो। ऐसी स्थिति में केवल अपराध से संबंधित जानकारी का होना उस व्यक्ति को अपराधी सिद्ध नहीं करता और इस परीक्षण के आधार पर अपराध का समाधान करना संभव नहीं होता।

हैरिंगटन के मामले में यह स्वाभाविक था कि परीक्षण के समय तक वह मुकदमे के अभिलेखों से प्राप्त अधिकांश जानकारी से परिचित हो चुका होगा। आयोवा के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह उल्लेख किया कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आठ पुलिस प्रतिवेदन वर्ष 1999 तक न तो हैरिंगटन को ज्ञात थे और न ही उसके अधिवक्ताओं को। बाद में जब एक व्यक्ति, जिसे हैरिंगटन के मामले में रुचि उत्पन्न हो गई थी, ने काउंसिल ब्लफ्स पुलिस विभाग से श्वेयर की हत्या से संबंधित संपूर्ण फाइल की प्रति मांगी, तब वे पुलिस प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए और अंततः हैरिंगटन के वर्तमान अधिवक्ता को प्रदान किए गए।

इस प्रकार जब अप्रैल 2000 में हैरिंगटन पर परीक्षण किया गया, तब तक संभवतः वह अपराध से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, यहाँ तक कि उन आठ पुलिस प्रतिवेदनों की सामग्री से भी परिचित हो चुका था जो मुकदमे के समय उसे उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए मस्तिष्क पहचान परीक्षण की रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति के संबंध में थी जिसके पास अपराध से संबंधित लगभग समस्त जानकारी पहले से ही विद्यमान थी। इस परिस्थिति का ऐसी रिपोर्टों के साक्ष्यात्मक मूल्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

न्यायालय और वैज्ञानिक साक्ष्य

एक विचारधारा यह भी व्यक्त की जाती है कि न्यायाधीशों के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का समुचित मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन कार्य है और इसलिए वैज्ञानिक साक्ष्यों की ग्राह्यता का निर्धारण करने के लिए किसी विशेष संस्थागत व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे वैज्ञानिक विषयों के न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। किंतु वैज्ञानिक विशेषज्ञों की गवाही के मूल्यांकन के लिए पृथक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने से न्यायिक निर्णय-प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

न्यायाधीश अपने दायित्व और प्रशिक्षण के कारण साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें विशेषज्ञ साक्ष्य भी सम्मिलित हैं। विशेषज्ञ साक्ष्य की प्रामाणिकता, उसकी सत्यता और उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन केवल न्यायालय ही कर सकता है। विशेषज्ञ की राय, जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान जिरह के अधीन होती है, उसे न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्यात्मक मूल्य के संदर्भ में परखा और आंका जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों की ग्राह्यता का निर्णय करने हेतु किसी जटिल व्यवस्था या पृथक मंचों की स्थापना आवश्यक नहीं है।

न्यायाधीश, विशेषकर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इस प्रकार के वैज्ञानिक विषयों को समझने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने में सक्षम होते हैं। वे प्रासंगिक सामग्री और उपयुक्त सहायता प्राप्त करके किसी भी नवीन वैज्ञानिक अन्वेषण उपकरण की पद्धति को समझ सकते हैं और उसके परिणामों का मूल्यांकन मामले में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में कर सकते हैं।

आधुनिक न्यायिक वादों में वैज्ञानिक साक्ष्य एक अनिवार्य तत्व बन चुका है। यदि वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण त्रुटिपूर्ण ढंग से किया जाए तो इससे वादकारियों को न्यायाधीशों से प्राप्त होने वाली बौद्धिक न्यायसंगत प्रक्रिया से वंचित होना पड़ सकता है और इससे न्यायिक प्रणाली के समुचित संचालन तथा उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका के एक विधि विश्वविद्यालय में विधि की सहायक प्राध्यापक एरिका बीचर-मोनास ने अपने एक लेख में वैज्ञानिक साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण के लिए एक पाँच चरणों वाली रूपरेखा का प्रस्ताव किया है, जिससे साक्ष्य की ग्राह्यता के निर्णय में बौद्धिक न्यायसंगत प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस रूपरेखा में पाँच मूलभूत चरणों का उल्लेख किया गया है और यह सभी विज्ञानों में समान रूप से लागू होने वाले मूल सिद्धांतों पर बल देती है।

लेखिका के अनुसार न्यायाधीशों तथा उनके समक्ष मामलों में सहायता करने वाले अधिवक्ताओं को पाँच प्रमुख कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। पहला, प्रस्तुत किए गए सिद्धांत और परिकल्पना की पहचान करना और यह देखना कि वे उपलब्ध आँकड़ों की व्याख्या करने में कितने सक्षम हैं। दूसरा, उन आँकड़ों का परीक्षण करना जो विशेषज्ञ के सिद्धांत का समर्थन करते हैं या उसे कमजोर करते हैं। तीसरा, आँकड़ों और सिद्धांत के बीच जो स्वाभाविक रिक्तियाँ रह जाती हैं, उन्हें युक्तिसंगत और प्रमाणित मान्यताओं के आधार पर भरना। चौथा, प्रयुक्त पद्धति का परीक्षण करना।
और पाँचवाँ, उपलब्ध आँकड़ों और प्रस्तावित परिकल्पना के बीच संबंध का संभाव्यता के आधार पर

मूल्यांकन करना।

निष्कर्ष

अब तक न्यायालय विशेषज्ञ साक्ष्यों के मूल्यांकन के कार्य को सक्षम रूप से संपादित करते आए हैं। जिस प्रकार अन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए न्यायिक विवेक और विचार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि वैज्ञानिक साक्ष्य विशेषज्ञ द्वारा स्पष्ट और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उसके ग्राह्य होने या उसके मूल्यांकन के प्रश्न का निर्णय करने में न्यायालयों को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए।

न्यायिक प्रक्रिया का स्वभाव ही ऐसा है कि वह न्यायालयों के समक्ष उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करने के लिए निर्मित है। इसके विपरीत कोई वैज्ञानिक विशेषज्ञ प्रायः संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के महत्व को, विभिन्न विधियों और उन असंख्य प्रकार के विवादों के संदर्भ में, पूर्णतः समझ पाने में सक्षम नहीं होता जिनका समाधान न्यायालय निरंतर करते रहते हैं।

वास्तव में आवश्यक केवल यह है कि न्यायालय में वैज्ञानिक उपकरण की प्रकृति को समझने और उसके समक्ष प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य के स्वरूप को जानने की उत्सुकता हो। यदि वैज्ञानिक विशेषज्ञ साक्ष्य की प्रकृति को स्पष्ट और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय उसे समझने और उसका उचित मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे।

न्यायालय का दायित्व यह है कि वह परिश्रमपूर्वक वैज्ञानिक साक्ष्य को समझे और उसका मूल्य निर्धारित करे, तथा ऐसा करते समय उन वैज्ञानिक आविष्कारों के संबंध में दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रचार से प्रभावित न हो जो विज्ञान के व्यावसायिक उपयोग के उद्देश्य से पेटेंट किए गए हों।

न्यायपालिका और डिजिटल युग

लेखक – मोहित कुमार प्रसाद
सिविल जज (सीनियर डिविजन), आगरा

भूमिका और पृष्ठभूमि

न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में न्यायपालिका का महत्व केवल न्याय देने तक सीमित नहीं है; वह राज्य और नागरिक के बीच संतुलन की संरक्षक भी है। फिर भी यह कटु सत्य है कि न्याय तक पहुँच अक्सर कठिन, खर्चीली और समयसाध्य रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन0जे0डी0जी) के अनुसार, सितंबर 2025 तक भारत में लंबित मामलों की कुल संख्या लगभग 5.19 करोड़ है जिनमें से 4.33 करोड़ अधीनस्थ न्यायालयों में, 59 लाख उच्च न्यायालयों में, और 84,000 से अधिक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। उक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि न्यायिक प्रणाली को डिजिटल युग की गति और दक्षता की आवश्यकता क्यों है। इसी पृष्ठभूमि में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक साधनों ने न्यायपालिका को एक नया मार्ग प्रदान किया है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, जो सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के निर्देशन में वर्ष 2005 से कार्यरत है, अब अपने तृतीय चरण (2023–2027) में प्रविष्ट हो चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत देश के लगभग अठारह हज़ार जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जा चुका है तथा उन्हें केस सूचना प्रणाली (सी0आई0एस 3.2) के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन0जे0डी0जी) से संबद्ध किया गया है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना रिपोर्ट, न्याय विभाग, भारत सरकार (मार्च 2024) के अनुसार, इन न्यायालयों में संगणकीय उपकरण, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख-प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इन सुधारों से न्यायिक पारदर्शिता, कार्य-गति और उत्तरदायित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे न्याय तक पहुँच अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी बनी है। अदालतों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रकरणों की ऑनलाइन प्रविष्टि, वर्चुअल सुनवाई, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता–आधारित अनुवाद—इन सबने न्याय की पहुँच, पारदर्शिता और गति—तीनों को प्रभावित किया है।

डिजिटल प्रगति का विकासक्रम

बीते दो दशकों में अदालतों में संगणक आधारित व्यवस्थाओं का क्रमिक विकास हुआ है। प्रारंभ में केवल टंकण और दस्तावेज़–संग्रह तक सीमित प्रयोग, धीरे–धीरे एकीकृत सूचना–प्रणाली में परिवर्तित हुआ। भारत की न्यायपालिका में सी0एन0आर0 संख्या प्रणाली न्यायिक डिजिटलीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह प्रणाली ई–कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई है, जिसका संचालन सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति तथा न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक न्यायालय में दायर प्रत्येक वाद को एक 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जिससे न्यायालय के सभी अभिलेख संगणक पर सुरक्षित, व्यवस्थित तथा खोज–योग्य बन सकें। यह व्यवस्था मामला सूचना प्रणाली (सी0आई0एस 3.2) के माध्यम से देश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लागू की जा चुकी है।ई–कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना चरण–द्वितीय (वर्ष 2015 से 2023) की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रणाली अब अठारह हज़ार से अधिक न्यायालयों में क्रियान्वित है तथा सभी प्रकरणों को राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड से जोड़ा जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वाद की स्थिति, आदेश, तिथि तथा निस्तारण संबंधी जानकारी अब किसी भी नागरिक को डिजिटल माध्यम से सुलभ है। वर्तमान में प्रत्येक प्रकरण की सी0एन0आर संख्या से उसकी स्थिति, आदेश, और अगली तिथि एक क्लिक में उपलब्ध है। उक्त के अभिगम्यता हेतु ई–कोर्ट सेवा पोर्टल जो कि, सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति द्वारा संचालित प्रमुख पोर्टल है, जहाँ "प्रकरण की स्थिति सी0एन0आर0संख्या से देखें" नामक अनुभाग में केवल 16 अंकों की सी0एन0आर संख्या भरकर किसी भी वाद की वर्तमान स्थिति, आदेश तथा अगली तिथि प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन0जे0डी0जी) जो कि राष्ट्रीय स्तर का डैशबोर्ड है, जहाँ प्रत्येक राज्य, ज़िले तथा न्यायालय के लंबित, निस्तारित और दायर प्रकरणों की सी0एन0आर आधारित सांख्यिकीय जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एन0जे0डी0जी) ने पारदर्शिता का नया युग प्रारंभ किया। इसके माध्यम से किसी भी राज्य, ज़िले, अथवा न्यायालय में लंबित मामलों का वास्तविक समय में डेटा देखा जा सकता है। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश में सितंबर 2025 तक लगभग 1.09 करोड़ मामले लंबित हैं, परंतु पिछले तीन वर्षों में औसतन 92 लाख मामलों का निस्तारण प्रतिवर्ष हुआ है — जो यह दिखाता है कि डिजिटल पद्धति के कारण गति में ही नहीं बल्कि उक्त निस्तारण के विवरण को आम जनमानस तक पहुंचाने में भी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 से अगस्त 2021 के बीच 3 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में 1.25 करोड़ से अधिक सुनवाईयां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुईं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गृह (न्याय) विभाग की अधिसूचना संख्या 1396/II-1-2020-7(36)/2017, दिनांक 3 जुलाई 2020 के माध्यम से "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020" अधिसूचित की गई। उक्त के अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि ई–समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की ई–कोर्ट चरण–2 मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट, 2021 के अनुसार वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था से यात्रा–व्यय में लगभग 60 प्रतिशत की कमी तथा

सुनवाई की उपलब्धता में औसतन 35 प्रतिशत वृद्धि भी दर्ज की गई।

लाभ और उपलब्धियाँ

डिजिटल साधनों से भारतीय न्यायपालिका को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त हुए हैं। ई–कोर्ट परियोजना के विभिन्न चरणों तथा सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्टों में इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

(क) सुलभता

अब प्रत्येक नागरिक अपने प्रकरण की स्थिति, आदेश, अगली तिथि अथवा न्यायालय की कारण–सूची को "ई–कोर्ट सेवा" पोर्टल अथवा मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से देख सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति की वर्ष 2022–23 की रिपोर्ट के अनुसार "ई–कोर्ट सेवा" मोबाइल अनुप्रयोग के पाँच करोड़ से अधिक उपयोग हो चुके हैं तथा प्रतिदिन औसतन बीस लाख उपयोगकर्ता सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक प्रकरण की सी.एन.आर. संख्या के माध्यम से वास्तविक समय में स्थिति ज्ञात की जा सकती है, जिससे नागरिकों और अधिवक्ताओं दोनों को पारदर्शिता एवं सुविधा प्राप्त हुई है।

(ख) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

कारण–सूची, आदेश–पत्र और निर्णयों के ऑनलाइन प्रकाशन से न्यायिक कार्यवाहियों में पारदर्शिता बढ़ी है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर अब प्रत्येक राज्य, ज़िला तथा न्यायालयवार लंबित और निस्तारित मामलों का विवरण उपलब्ध है।
न्याय-मंत्रालय वेबसाइट अनुसार 19 अगस्त 2025 तक एन 0जे 0डी 0जी पोर्टल पर देशभर में 32.19 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय अपलोड हैं जो न्यायिक प्रणाली में उत्तरदायित्व और विश्वास का प्रतीक है।

(ग) समय और व्यय की बचत

डिजिटल दाखिला प्रणाली (ई–फाइलिंग) ने पारंपरिक भौतिक फाइलिंग की तुलना में उल्लेखनीय समय एवं लागत की बचत की है। सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति की वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई–कोर्ट चरण–दो मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट, 2021 के अनुसार ई–फाइलिंग से दाखिला समय में औसतन पैंतीस प्रतिशत कमी तथा प्रतिलिपि शुल्क में लगभग चालीस प्रतिशत तक की बचत दर्ज की गई। इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल सुनवाई व्यवस्था से यात्रा–व्यय में लगभग साठ प्रतिशत की कमी तथा सुनवाई की उपलब्धता में पैंतीस प्रतिशत वृद्धि देखी गई।

(घ) आँकड़ा विश्लेषण और नीति–निर्माण

ई–कोर्ट विश्लेषण डैशबोर्ड और न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से न्यायिक कार्यभार, लंबित मामलों की श्रेणियाँ और निस्तारण की प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन संभव हुआ है। विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24 में उल्लेख है कि इन आँकड़ों के आधार पर तथ्य–आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा मिला, जिससे संसाधनों का वितरण और न्यायिक पदों की योजना अधिक तर्कसंगत बनी।

(ङ) पर्यावरणीय लाभ

भौतिक अभिलेखों के स्थान पर डिजिटल दस्तावेज़ों के प्रयोग से कागज़ की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। ई–कोर्ट परियोजना चरण–दो की समेकित रिपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार अब तक पाँच हज़ार टन से अधिक कागज़ की बचत हुई है, जो लगभग अस्सी हज़ार पेड़ों के संरक्षण के समकक्ष है।

प्रमुख चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण ने न्यायपालिका की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है, किंतु इसके समक्ष अब भी अनेक संरचनात्मक, तकनीकी और मानवीय चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना न्यायिक प्रणाली का समग्र डिजिटल रूपांतरण संभव नहीं होगा। न्यायालयों की डिजिटल अवसंरचना अब भी असमान रूप से विकसित है। ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की ई–समिति की वर्ष 2022–23 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि देश के लगभग बाईस प्रतिशत न्यायालय भवनों में स्थायी उच्च–गति इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जबकि सोलह प्रतिशत न्यायालयों में नियमित विद्युत आपूर्ति का अभाव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है।डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती है। सभी अधिवक्ता और पक्षकार समान रूप से तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं। बार काउन्सिल ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग अट्ठाईस प्रतिशत अधिवक्ता डिजिटल साक्षरता में सीमित हैं। विशेषतः जिला और तालुका स्तर के अधिवक्ताओं को ई–फाइलिंग, वीडियो–सुनवाई और ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गोपनीयता और साइबर सुरक्षा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालयों में संग्रहित अभिलेख, साक्ष्य और आदेश संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, अतः उनकी सुरक्षा के लिए एक एकीकृत डेटा संरक्षण प्रोटोकॉल आवश्यक

है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की आंतरिक रिपोर्ट, 2022 के अनुसार न्यायालयों में प्रयुक्त लगभग पैंसठ प्रतिशत सर्वर प्रणाली पारंपरिक सुरक्षा उपायों पर आधारित हैं, जिनमें एन्क्रिप्शन और एक्सेस नियंत्रण की उन्नत तकनीक का अभाव है। इससे न्यायिक डेटा के दुरुपयोग और गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव भी डिजिटलीकरण की गति को प्रभावित करता है। न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है, ताकि वे नई तकनीकी प्रणालियों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल (वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2024) तथा राज्य न्यायिक अकादमियों के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी को प्रति वर्ष कम से कम चार प्रशिक्षण सत्र तकनीकी विषयों पर प्रदान किए जाएँ। फिर भी, ई–समिति की रिपोर्ट, 2023–24 के अनुसार अब तक केवल अट्ठावन प्रतिशत न्यायिक अधिकारियों ने पूर्ण डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अंततः, आभासी शिष्टाचार और पहचान सत्यापन से जुड़ी समस्याएँ भी बनी हुई हैं। वकालतनामा, शपथपत्र तथा साक्ष्य के सत्यापन के लिए सुरक्षित ई–हस्ताक्षर और जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली का अभाव न्यायिक प्रक्रिया की वैधानिकता पर प्रश्न उत्पन्न करता है।इन सभी चुनौतियों से यह स्पष्ट होता है कि तकनीक को अपनाने के साथ–साथ अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन प्रशिक्षण और डेटा सुरक्षा को समान प्राथमिकता देना आवश्यक है। तभी डिजिटल न्यायिक प्रणाली वास्तव में सर्वसुलभ, पारदर्शी और सुरक्षित बन सकेगी।

निष्कर्ष और भविष्य की दिशा

न्याय की यात्रा केवल विधिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के नैतिक और संवैधानिक विवेक की अभिव्यक्ति है। प्रौद्योगिकी इस यात्रा का सहचर बनकर न्याय की गति, गुणवत्ता और समानता – इन तीनों आयामों को नया स्वरूप प्रदान कर रही है। यह केवल कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयरों का परिवर्तन नहीं, बल्कि उस विश्वास का पुनर्निर्माण है जो नागरिक को यह आभास दिलाता है कि न्याय अब उसकी पहुँच में है — तेज़, पारदर्शी और निष्पक्ष।अब वह युग समाप्त हो रहा है जब फाइलों के ढेरों में न्याय की आवाज़ दब जाती थी। आने वाला युग है — आभासी न्यायालयों का, जहाँ सीमाएँ समाप्त होती हैं और न्याय एक क्लिक की दूरी पर होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायिक विवेक का स्थान नहीं ले सकती, किंतु वह उसके लिए वह दीपक बन सकती है जो अंधकार में भी विवेक की ज्योति जलाए रखे।न्याय की विश्वसनीयता का आधार उसका अभिलेख होता है। जब दस्तावेज़ सुरक्षित होते हैं, तभी न्याय स्थिर होता है। इसलिए ब्लॉक–श्रृंखला आधारित अभिलेख–सुरक्षा प्रणाली को अपनाना समय की आवश्यकता है। यह न केवल दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करेगी, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता के स्तंभों को भी दृढ़ बनाएगी। परंतु कोई भी तकनीक तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मनुष्य उसमें दक्ष न हो। अतः सतत प्रशिक्षण न्यायिक सशक्तिकरण की आत्मा है। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी, प्रत्येक अधिवक्ता को तकनीक के साथ चलना होगा, उसे समझना होगा और उसे न्याय के साधन के रूप में प्रयोग करना होगा। जब न्यायाधीश के विवेक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक की कलम जुड़ती है, तभी न्याय का आलोक पूर्ण होता है। भारतीय न्यायपालिका आज उस द्वार पर खड़ी है जहाँ अतीत का अनुभव और भविष्य की संभावनाएँ एक साथ उपस्थित हैं। यदि शासन, न्यायपालिका और समाज – ये तीनों एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ें, तो वह दिन दूर नहीं जब "न्याय सबके लिए, शीघ्र और सुलभ रूप में" केवल नारा नहीं रहेगा, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जीवंत अनुभव बन जाएगा।

प्रथम तिमाही (जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
1	Criminal Appeal	2148	2004	Lucknow	Mewa Lal And 2 Ors. Vs. State of U.P.	31/3/2026
2	First Appeal	118	2014	Allahabad	U.P. State Power Corp. Ltd. Vs. Moh. Nisar Alias Bade Lalla	31/3/2026
3	First Appeal	253	2025	Allahabad	Shivam Traders And Hire Purchase Pvt. Ltd. Vs. Madhusudan Vehicles Pvt. Ltd.	31/3/2026
4	Writ - A	2632	2008	Lucknow	Hanumat Singh Vs. State Of U.P. Through Secy. And 4 Others	31/3/2026
5	Matters under Article 227	3264	2026	Allahabad	Mahboob Saifi Vs. Vimal Kumar Jain	30/3/2026
6	Contempt Appeal	4	2026	Allahabad	Dhanendra Kumar Jain Vs. Sunil Kumar Jain And 6 Others	30/3/2026
7	Criminal Revision Defective	141	2026	Allahabad	Anup Kumar Vs. Smt Pratibha Kushwaha	30/3/2026
8	Writ - A	4999	2007	Lucknow	Awadhesh Chandar Shukla Vs. State Of U.P. Thr. Secy Basice Education And 5 Ors	30/3/2026
9	Criminal Misc. Bail Application	1381	2026	Allahabad	Vikash Kumar Vs. State of U.P.	28/3/2026
10	Criminal Appeal	2941	1988	Allahabad	Ram Nias Vs. State	28/3/2026
11	Writ - C	1448	2026	Allahabad	M/S Mahalaxmi Self Help Group Vs. State Of Uttar Pradesh & 4 Ors	28/3/2026
12	Criminal Appeal	623	1986	Allahabad	Vinod Kumar Vs. State of U.P.	26/3/2026
13	Criminal Misc. Writ Petition	2574	2026	Lucknow	Smt. Archana Mishra Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another	26/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
14	Application U/S 528 BNSS	974	2026	Lucknow	Mariya Zafar And Another Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another	26/3/2026
15	Writ - B	14348	1982	Allahabad	Shreekant Rai And Another Vs. D.D.C. And Others	26/3/2026
16	Writ Tax	1614	2026	Allahabad	Shiva Enterprises Vs. State of U.P. and Another	26/3/2026
17	Matters under Article 227	12152	2025	Allahabad	Chetan Kumar Vs. State of U.P. and Another	25/3/2026
18	Matters under Article 227	3759	2026	Allahabad	Smt Ram Dulari And Another Vs. Harshit Yadav And Another	25/3/2026
19	Criminal Revision	1470	2025	Lucknow	Pradeep Kori @ Pradeep Harijan (Minor) Thru. Father Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Lko. And Another	25/3/2026
20	Criminal Revision	5247	2025	Allahabad	Jitendra Kumar Vs. State of U.P. and Another	25/3/2026
21	Criminal Revision	710	2026	Allahabad	Santosh Vs. State Of U.P. And 3 Others	25/3/2026
22	Criminal Revision Defective	2152	2025	Allahabad	Mukesh Kumar Vs. State of U.P. and Another	25/3/2026
23	First Appeal	563	1986	Allahabad	Ashok Kumar Vs. Tejveer Singh And Others	25/3/2026
24	First Appeal	44	2026	Allahabad	Rajesh Kumar Vs. Rakesh Kumar Sharma And 4 Others	25/3/2026
25	Habeas Corpus Writ Petition	835	2025	Allahabad	Smt Rizwana And 2 Others Vs. The State Of U.P. And 3 Others	25/3/2026
26	Jail Appeal	1062	2017	Lucknow	Mahadev Raidas Vs. State Of U.P.	25/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
27	Criminal Misc. Anticipatory Bail Application U/S 482 BNSS	2198	2026	Allahabad	Swami Avimukteshwaranand Saraswati Jagatguru Shankaracharya Jyotishpeethadheeshwar And Another Vs. State Of U.P. And 5 Others	25/3/2026
28	Special Appeal	209	2026	Allahabad	Veeresh Chandra Mishra And 2 Others Vs. State Of U.P. And 5 Others	25/3/2026
29	Writ - C	19612	2018	Allahabad	Kumbha Karan Vs. State Of U.P. And 2 Others	25/3/2026
30	Writ - C	1746	2022	Lucknow	Radhvendra Awasthi Vs. Bharat Petroleum Corporation Ltd. And 2 Others	25/3/2026
31	Writ - C	10589	2026	Allahabad	Raj Kumar Verma And Another Vs. The State Of U.P. And 4 Others	25/3/2026
32	Writ - C	704	2026	Lucknow	Shahban And Another Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Revenue, Lko. And Others	25/3/2026
33	Application U/S 482	7721	2023	Allahabad	Smt. Hasina Khatoon Vs. State Of U.P. And Another	24/3/2026
34	Criminal Appeal	1796	1984	Allahabad	Rakesh Pal And Ors. Vs. State of U.P.	24/3/2026
35	Writ - A	12196	2008	Allahabad	Anil Kumar Vs. State of U.P. and Others	24/3/2026
36	Writ - A	5467	2023	Lucknow	Bankey Bihari Lal Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Rural Development Deptt. And 3 Others	24/3/2026
37	Writ - A	1732	2026	Allahabad	Geeta Chandra Vs. State Of U.P. And Another	24/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
38	Writ - C	37	2026	Allahabad	Civil Court Bar Association And Another Vs. High Court Of Judicature At Allahabad And 3 Others	24/3/2026
39	Writ - C	5496	2026	Allahabad	Rakesh Kumar And Another Vs. Union Of India And 3 Others	24/3/2026
40	First Appeal From Order	2057	2025	Allahabad	Smt. Doli Vs. Smt. Shakuntla Devi	23/3/2026
41	Writ - A	38906	2011	Allahabad	Bhodhanram Upadhyay and others Vs. State of U.P. and others	23/3/2026
42	Writ - A	18090	2020	Lucknow	Rakesh Kumar Verma Vs. State Of U.P. Thru Prin. Secy. Deptt. Of Cane And Sugar And Ors.	23/3/2026
43	Writ - B	25095	2012	Allahabad	Rajveer Singh Vs. Board of Revenue, Lucknow and others	23/3/2026
44	Writ - C	1001905	2014	Lucknow	State Of U.P. Thru Prin. Secy. Stamp And Registration Deptt. Vs. District Judge Lucknow And Others	23/3/2026
45	Writ - C	34251	2025	Allahabad	M/S Satish Chandra Dixit Vs. State Of U.P. And 5 Others	23/3/2026
46	Writ - C	596	2026	Lucknow	Smt. Vandana Singh Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Housing And Urban Planning Lko. And 4 Others	23/3/2026
47	Matters under Article 227	13103	2025	Allahabad	Paras @ Ram Paras Vs. Ram Charitra And Another	20/3/2026
48	Matters under Article 227	1505	2026	Allahabad	Smt. Munni Devi Vs. Smt. Shashikala Pandey	20/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
49	Application U/S 482	734	2026	Lucknow	Mohd. Faizan And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./ Prin. Secy. Home Lko. And Another	20/3/2026
50	Criminal Misc. Bail Cancellation Application	363	2025	Allahabad	Veer Pal Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/3/2026
51	Writ - C	7028	2026	Allahabad	Mala Devi Vs. State Of U.P. And 2 Others	20/3/2026
52	Application U/S 482	6506	2023	Lucknow	Rudra Pratap Singh Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another	19/3/2026
53	Criminal Appeal	501	1985	Allahabad	Rameshwar Singh Vs. State	19/3/2026
54	Criminal Misc. Writ Petition	848	2026	Lucknow	Angad Yadav Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And Others	19/3/2026
55	Special Appeal Defective	554	2024	Lucknow	Niraj Kumar Singh Vs. Anand Kumar Mishra And 4 Others	19/3/2026
56	Writ - C	1001887	2006	Lucknow	Jai Narain Singh Vs. Board Of Revenue Lucknow And Others	19/3/2026
57	Application U/S 482	34871	2024	Allahabad	Rohit Upadhyay Vs. State Of U.P. And Another	18/3/2026
58	Criminal Misc. Bail Application	32166	2025	Allahabad	Deepak Kumar Chauhan Vs. State Of U.P.	18/3/2026
59	Criminal Appeal	737	1986	Lucknow	Suresh And 3 Others Vs. State Of U.P.	18/3/2026
60	Criminal Appeal	3410	2016	Allahabad	Mahesh Alias Munna Yadav Vs. State Of U.P.	18/3/2026
61	Criminal Appeal	4607	2017	Allahabad	Lakhmi And 2 Others Vs. State Of U.P.	18/3/2026
62	Criminal Appeal	7645	2017	Allahabad	Irfan And 2 Others Vs. State Of U.P.	18/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
63	First Appeal	570	2014	Allahabad	U.P. State Power Corporation Vs. Smt. Sabeena Begum And 5 Others	18/3/2026
64	First Appeal	129	2026	Allahabad	Mohd Mubin And Another Vs. Ateeq Ahmad Kaif And 12 Others	18/3/2026
65	Special Appeal	35	2014	Allahabad	Smt. Pratima Chauhan And Another Vs. Dios And 2 Ors.	18/3/2026
66	Writ - A	72646	2010	Allahabad	Sharada Prasad Vs. State of U.P. and Others	18/3/2026
67	Writ - C	5820	2026	Allahabad	Committee Of Management, S.M. College Chandausi Vs. State Of U.P. And 7 Others	18/3/2026
68	Criminal Appeal	1232	2017	Allahabad	Ramvijay Vs. State Of U.P.	17/3/2026
69	Criminal Revision	1428	2025	Allahabad	Jawahir Lal Jaiswal Vs. State of U.P. and Another	17/3/2026
70	Criminal Revision	3467	2025	Allahabad	Ram Gopal Vs. State Of U.P. And 3 Others	17/3/2026
71	Writ - A	6977	2023	Lucknow	Prashant Rao Vs. Union Of India Thru. Secy. Ministry Of Finance And 4 Others	17/3/2026
72	Writ - A	1474	2026	Lucknow	Ashish Kumar Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Higher Edu. Lko. And 15 Others	17/3/2026
73	Writ - A	1760	2026	Allahabad	Km. Lakshmi And 10 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	17/3/2026
74	Writ Tax	258	2026	Lucknow	M/S J.K. Enterprises Vs. Commissioner Of Customs (Preventive) U.P. And Uttarakhand Lko. And 2 Others	17/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
75	Matters under Article 227	1963	2026	Allahabad	Shiv Shankar Vs. Mahavir @ Ghura Turha And 5 Others	16/3/2026
76	Criminal Appeal	255	1983	Allahabad	Gopi Singh And Others Vs. State Of U.P.	16/3/2026
77	Criminal Appeal	2492	1988	Allahabad	Ramesh Vs. State of U.P.	16/3/2026
78	First Appeal	969	2025	Allahabad	Smt. Geeta Rani And 2 Others Vs. Smt. Maya Devi And 4 Others	16/3/2026
79	Habeas Corpus Writ Petition	251	2026	Allahabad	Anuj Pandey And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	16/3/2026
80	Application U/S 528 BNSS	15904	2025	Allahabad	Ajay Saini Vs. State Of U.P. And Another	16/3/2026
81	Application U/S 528 BNSS	21203	2025	Allahabad	Suraj Chauhan Vs. State of U.P. and Another	16/3/2026
82	Application U/S 528 BNSS	28695	2025	Allahabad	Mohd. Zeeshan Siddiqui And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	16/3/2026
83	Writ - B	1379	2025	Allahabad	Dalbir And 3 Others Vs. Board Of Revenue Prayagraj And 18 Others	16/3/2026
84	Writ - C	5996	2026	Allahabad	Munazir Khan Vs. State Of U.P. And 4 Others	16/3/2026
85	Writ - C	8218	2026	Allahabad	Mahmood Ali Vs. Union Of India And 2 Others	16/3/2026
86	Matters under Article 227	8772	2025	Allahabad	Smt. Alka Singhania Vs. Smt. Shilpi Agarwal	13/3/2026
87	Criminal Appeal	962	1982	Lucknow	Avadh Narain And Others Vs. State Of U.P.	13/3/2026
88	Writ - A	2765	2026	Lucknow	Km. Rukaiya Bano Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of U.P. Home Guards Lko. And 4 Others	13/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
89	Writ - C	6199	2020	Lucknow	Ram Pal Vs. Commissioner Lucknow Div. Lucknow And Ors.	13/3/2026
90	Criminal Appeal	639	1984	Allahabad	Jag Ram And Others Vs. State Of U.P.	12/3/2026
91	First Appeal	681	2002	Allahabad	Sri Kishan And Others Vs. State of U.P.	12/3/2026
92	First Appeal Defective	672	2025	Allahabad	Neha Jaykishore Mehrolia Vs. Rahul Sisodia	12/3/2026
93	Writ - A	1446	2026	Allahabad	Dr Sudhanshu Vashistha And 6 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	12/3/2026
94	Writ - C	1000273	2005	Lucknow	Sahab Das Objection Filed Vs. Additional Commissioner Judicial Lucknow Division And Another	12/3/2026
95	Writ - C	12356	2022	Allahabad	Lalsa Devi Vs. State Of U.P. And 4 Others	12/3/2026
96	Writ - C	1722	2026	Allahabad	Smt. Geeta Devi And Another Vs. State Of U.P. And 5 Others	12/3/2026
97	Matters under Article 227	3024	2026	Allahabad	Smt. Reena Gupta Vs. Thakur Hanuman Ji Maharaj Private Trust Virajman Temple	11/3/2026
98	Application U/S 482	4766	2012	Lucknow	Rajiv Gupta Complaint Case Vs. The State Of U.P. And Another	11/3/2026
99	Criminal Misc. Bail Application	3130	2025	Lucknow	Munna Ansari Vs. U.O.I. Thru. Zonal Director Narcotic Control Bureau Zonal Unit Lko.	11/3/2026
100	Criminal Misc. Bail Application	928	2026	Lucknow	Sunil Kumar Shukla Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko.	11/3/2026
101	Criminal Appeal	2868	1986	Allahabad	Rajendra Kumar Vs. State Of U.P.	11/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
102	Criminal Revision	252	2026	Lucknow	Kallayya Pattadamath @ Akshay Pattadamath Vs. State Of U.P.	11/3/2026
103	First Appeal	683	2025	Allahabad	Amit Gupta And Another Vs. Dinesh Chandra Gupta And 6 Others	11/3/2026
104	Application U/S 528 BNSS	26852	2025	Allahabad	Rahul Singh Vs. State Of U.P. And Another	11/3/2026
105	Writ - A	12693	2024	Lucknow	Chandra Choor Singh Vs. State Of U.P. Stamp & Registration Deptt.	11/3/2026
106	Writ - C	41066	2023	Allahabad	Ajay Kumar Vs. State Of U.P. And 3 Others	11/3/2026
107	Matters under Article 227	610	2026	Lucknow	Kusum Mishra And Another Vs. U.P. Avas Evam Vikas Parishad	10/3/2026
108	Criminal Misc. Anticipatory Bail Application U/S 482 BNSS	9312	2025	Allahabad	Sagar Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/3/2026
109	Writ - A	9798	2023	Lucknow	State Of U.P. Vs. Anshul Jagannath	10/3/2026
110	Writ - A	8266	2025	Lucknow	Rajendra Pratap Giri Vs. State Of U.P. P.W.D.	10/3/2026
111	Writ - C	1000572	2015	Lucknow	Mohd. Yaqoob And Another Vs. District Registrar Bahraich	10/3/2026
112	Writ - C	9806	2024	Lucknow	Sufiyakhatoon And Another Vs. State Of U.P. Rural Deptt.	10/3/2026
113	Writ - C	28236	2025	Allahabad	Bihari Lal Vs. State Of U.P. And 4 Others	10/3/2026
114	Writ - C	8991	2026	Allahabad	M (Minor) Through Guardian Vs. State Of U.P.	10/3/2026
115	Criminal Appeal	926	2001	Lucknow	Basheer Ahmad And 3 Others Vs. State Of U.P.	9/3/2026
116	Criminal Appeal	2318	2026	Allahabad	Kusum Kannaujiya Vs. State Of U.P. And 6 Others	9/3/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
117	Writ - C	1779	2026	Lucknow	Magghu Ram Vs. State Of U.P. Revenue Deptt.	9/3/2026
118	Writ - C	4938	2026	Allahabad	Sobratan Vs. State Of U.P. And 7 Others	9/3/2026
119	Matters under Article 227	14134	2024	Allahabad	Anendra Singh Vs. Ram Kishan And Another	27/2/2026
120	Criminal Appeal	255	2005	Lucknow	Shankar And 5 Others Vs. State Of U.P.	27/2/2026
121	Criminal Appeal	1550	2021	Allahabad	Surajpal Vs. State Of U.P.	27/2/2026
122	Writ - A	27948	2010	Allahabad	Ram Swaroop Shukla Vs. State Of U.P. And Others	27/2/2026
123	Writ - A	4877	2021	Allahabad	Rekha Singh Vs. Union Of India And 5 Others	27/2/2026
124	Writ - C	3000077	1999	Lucknow	State Of U.P. Vs. Addl. Commissioner Lucknow	27/2/2026
125	Writ - C	27261	2007	Allahabad	Shailesh Kumar Yadav Ips Vs. Union Of India	27/2/2026
126	Writ - C	10861	2016	Allahabad	M/S Uflex Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
127	Writ - C	11480	2016	Allahabad	M/S Sahaha India Vs. Union Of India	27/2/2026
128	Writ - C	11481	2016	Allahabad	Sahara India L.I.C. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
129	Writ - C	13869	2016	Allahabad	Aqua Plumbings Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
130	Writ - C	13870	2016	Allahabad	Vinay Iron Foundary Vs. Union Of India	27/2/2026
131	Writ - C	13871	2016	Allahabad	Trafo Power And Electricals Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
132	Writ - C	13873	2016	Allahabad	Benara Bearings And Pistons Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
133	Writ - C	14039	2016	Allahabad	Ms. Leiner Shoes Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
134	Writ - C	15374	2016	Allahabad	M/S Harso Steels Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
135	Writ - C	15383	2016	Allahabad	M/S Hi Tech Pipes Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
136	Writ - C	15388	2016	Allahabad	M/S Rama Steels Tubes Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
137	Writ - C	15533	2016	Allahabad	M/S Landcraft Developers Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
138	Writ - C	15535	2016	Allahabad	Dh Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
139	Writ - C	15590	2016	Allahabad	M/S Eco Cement India Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
140	Writ - C	16172	2016	Allahabad	M/S Mahavir Jute Mills Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
141	Writ - C	16861	2016	Allahabad	M/S Kanhaiya Hotels Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
142	Writ - C	17781	2016	Allahabad	Triveni Engineering And Industries Ltd. Vs. Union Of India	27/2/2026
143	Writ - C	28047	2016	Allahabad	Rpl Projects Limited Vs. Union Of India	27/2/2026
144	Writ - C	28048	2016	Allahabad	Rungta Projects Limited Vs. Union Of India	27/2/2026
145	Writ - C	44109	2016	Allahabad	Benara International Vs. Union Of India	27/2/2026
146	Writ - C	44313	2016	Allahabad	M/S Vacmet India Ltd. Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
147	Writ - C	44316	2016	Allahabad	M/S General Plumbings Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
148	Writ - C	58321	2016	Allahabad	Windsor Distributors Pvt. Ltd. Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
149	Writ - C	58323	2016	Allahabad	Brindavan Beverages Pvt. Limited Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
150	Writ - C	58324	2016	Allahabad	Cauvery Aqua Pvt. Limited Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
151	Writ - C	6098	2016	Allahabad	Benara Udyog Ltd. Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
152	Writ - C	8995	2016	Allahabad	Shriram Pistons And Rings Ltd. Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
153	Writ - C	4232	2024	Allahabad	Mushtaq Ahmad Vs. State Of U.P. And 6 Others	27/2/2026
154	Writ - C	12432	2025	Lucknow	Vansh Nigam Vs. Workmens Compensation Commissioner/Collector Lakhimpur Kheri And 3 Others	27/2/2026
155	Writ - C	13237	2025	Allahabad	Committee Of Management, Nawab Singh Chauhan Inter College Vs. State Of U.P. And 2 Others	27/2/2026
156	Writ - C	44795	2025	Allahabad	Sarita Devi Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
157	Writ - C	2130	2026	Allahabad	Kishori Lal Vs. State Of U.P. And 2 Others	27/2/2026
158	Writ - C	8484	2026	Allahabad	Ashwani Kumar Mishra Vs. Union Of India And 3 Others	27/2/2026
159	Criminal Appeal	2525	1984	Allahabad	Ram Hirday Vs. State Of U.P.	26/2/2026
160	Criminal Appeal	2926	1985	Allahabad	Ramchandra Vs. State Of U.P.	26/2/2026
161	Criminal Appeal	1330	1989	Allahabad	Kishan Lal Vs. State Of U.P.	26/2/2026
162	Criminal Appeal	6760	2017	Allahabad	Smt. Seema Vs. State Of U.P.	26/2/2026
163	Criminal Appeal	7030	2017	Allahabad	Dildar Vs. State Of U.P.	26/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
164	Criminal Appeal	7953	2022	Allahabad	Puneet Vs. State Of U.P.	26/2/2026
165	Criminal Misc. Writ Petition	3822	2026	Allahabad	Kirti Verma Vs. State Of U.P.	26/2/2026
166	First Appeal From Order	174	2025	Lucknow	Shri Sukhnandan Vs. Union Of India (Northern Railway)	26/2/2026
167	Habeas Corpus Writ Petition	428	2025	Allahabad	Hasnen Vs. Union Of India And 5 Others	26/2/2026
168	Habeas Corpus Writ Petition	475	2025	Allahabad	Saiyyaj Ali Vs. State Of U.P. And 5 Others	26/2/2026
169	Habeas Corpus Writ Petition	504	2025	Allahabad	Sikandar Vs. State Of U.P. And 5 Others	26/2/2026
170	Jail Appeal	66	2021	Lucknow	Etwari Vs. State Of U.P.	26/2/2026
171	PIL	128	2026	Lucknow	Rahul Vs. State Of U.P. Revenue Deptt.	26/2/2026
172	Writ - A	34343	2013	Allahabad	Santosh Kumar Sharma Vs. State Of U.P. And 4 Others	26/2/2026
173	Writ - A	7539	2025	Allahabad	Rajkumar Singh Vs. State Of U.P. And 8 Others	26/2/2026
174	Writ - C	1001290	2005	Lucknow	Ramnath Singh Vs. Lal Sahab Singh	26/2/2026
175	Writ - C	39694	2009	Allahabad	Union Of India Vs. Central Information Commission	26/2/2026
176	Writ - C	5663	2026	Allahabad	M/S SCC Builders Pvt. Ltd. Vs. State Of U.P.	26/2/2026
177	Matters under Article 227	5796	2023	Allahabad	Dayanand Vs. Mohan @ Ghure	25/2/2026
178	Civil Misc Review Application	264	2025	Allahabad	Greater Noida Industrial Development Authority Vs. Elevator Properties Pvt. Ltd.	25/2/2026
179	Criminal Revision	6391	2025	Allahabad	Pallavi Srivastava Vs. State Of U.P.	25/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
180	Second Appeal	777	1981	Allahabad	Shri Devi Dayal Vs. Nagar Mahapalika Kanpur	25/2/2026
181	PIL	1427	2025	Allahabad	Rajendra Tyagi Vs. State Of U.P.	25/2/2026
182	Writ - B	7036	1982	Allahabad	Smt. Jaijulla Vs. DDC And Others	25/2/2026
183	Writ - C	33	2020	Lucknow	Anurag Agarwal Vs. Indian Oil Corporation Ltd.	25/2/2026
184	Writ - C	1337	2026	Lucknow	Radhey Shyam Yadav Vs. Presiding Officer CGIT Lko.	25/2/2026
185	Contempt Application (Criminal)	3	2025	Allahabad	In Re Vs. Shri Hari Narayan Pandey Advocate	24/2/2026
186	Criminal Appeal	17	1988	Allahabad	Amar Singh Vs. State Of U.P.	24/2/2026
187	Criminal Appeal	546	2012	Lucknow	Omkar Misra Vs. State Of U.P.	24/2/2026
188	First Appeal	702	2025	Allahabad	Nagar Nigam Ghaziabad Vs. Indra Mohan Sachdev	24/2/2026
189	Writ - A	9735	2016	Lucknow	Mishri Lal Vs. State Of U.P. PWD	24/2/2026
190	Writ - A	2353	2026	Allahabad	Surendra Dutt Kaushik Vs. State Of U.P.	24/2/2026
191	Writ - C	2000170	2015	Lucknow	Mata Bux Singh Vs. State Of U.P. Nagar Vikas Deptt.	24/2/2026
192	Writ - C	7685	2025	Allahabad	JM Pharma Vs. Principal Secretary Medical Health Deptt.	24/2/2026
193	First Appeal	168	2026	Allahabad	Smt. Usha Vs. Shri Kalua Ram	23/2/2026
194	Application U/S 528 BNSS	45399	2025	Allahabad	Vipin Kumar Vs. State Of U.P.	23/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
195	Special Appeal	48	2026	Lucknow	SBI Stressed Assets Recovery Branch Vs. GSM Bricks And Tiles	23/2/2026
196	Writ - A	14138	2022	Allahabad	Akhtar Ali Vs. State Of U.P.	23/2/2026
197	Writ - A	19530	2024	Allahabad	Rajeev Kumar Vs. State Of U.P.	23/2/2026
198	Writ - C	41127	2025	Allahabad	Noori Vs. State Of U.P. And 4 Others	23/2/2026
199	Application U/S 482	17516	2022	Allahabad	Smt. Anju Vs. State Of U.P. And Another	20/2/2026
200	Criminal Misc. Bail Application	1754	2026	Allahabad	Rohit Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/2/2026
201	Criminal Misc. Bail Application	5285	2026	Allahabad	Tahseen Vs. State Of U.P.	20/2/2026
202	Criminal Appeal	9	2016	Lucknow	Ajay Kumar Vs. State Of U.P.	20/2/2026
203	Application U/S 528 BNSS	50246	2025	Allahabad	Brijesh Kumar Vs. State Of U.P. And Another	20/2/2026
204	Special Appeal	191	2026	Allahabad	State Of U.P. Vs. Sakshi And 107 Others	20/2/2026
205	Writ - C	56747	2016	Allahabad	Satish And 97 Others Vs. Addl. Commissioner Meerut Division	20/2/2026
206	Writ - C	579	2025	Lucknow	Prema Devi Vs. State Of U.P. Home Deptt.	20/2/2026
207	Writ - C	1145	2026	Lucknow	Anshul Rana Vs. State Of U.P. Revenue Deptt.	20/2/2026
208	Writ - C	3256	2026	Allahabad	Mukteshwar Mahadev Dharmarth Seva Samiti Vs. State Of U.P.	20/2/2026
209	Writ - C	526	2026	Lucknow	Jag Prasad Vs. Addl. Commissioner, Gonda	20/2/2026
210	Matters under Article 227	1534	2015	Allahabad	Vijendra Singh Vs. Jai Bhagwan	19/2/2026
211	Matters under Article 227	252	2026	Lucknow	LDA Vs. Prem Chandra	19/2/2026
212	Application U/S 482	871	2026	Lucknow	Dr. Gayatri Singh Vs. State Of U.P.	19/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
213	Matters under Article 227	11887	2025	Allahabad	Akash Kumar Vs. State Of U.P.	18/2/2026
214	Arbitration Appeal	5	2024	Lucknow	SGPGI Vs. M/S Trishul Enterprises	18/2/2026
215	Criminal Appeal	1188	1989	Allahabad	Khunni Lal Vs. State	18/2/2026
216	First Appeal	989	2025	Allahabad	Rohitash Singh Vs. Ruchi	18/2/2026
217	Special Appeal	28	2026	Lucknow	Ratan Buildtech Pvt. Ltd. Vs. Anil Kumar	18/2/2026
218	Writ - C	1913	2026	Allahabad	Smt. Dulari Devi Vs. State Of U.P.	18/2/2026
219	Application U/S 482	10810	2018	Allahabad	Devinder Mohan Singh Vs. State Of U.P.	17/2/2026
220	Criminal Appeal	1937	2007	Lucknow	Munna Vs. State Of U.P.	17/2/2026
221	First Appeal From Order	2756	2025	Allahabad	Radhey Lal Gupta Vs. Shyam Sunder Gupta	17/2/2026
222	First Appeal	1137	2025	Allahabad	Ishita Agarwal Vs. Gopal Krishan Mittal	17/2/2026
223	Application U/S 528 BNSS	32942	2025	Allahabad	Shyam Bahadur Yadav Vs. State Of U.P.	17/2/2026
224	Application U/S 528 BNSS	33773	2025	Allahabad	Mahendra Singh Vs. State Of U.P.	17/2/2026
225	Transfer Application (Civil)	141	2024	Lucknow	Ayushi Singh Vs. Dharmendra Kumar	17/2/2026
226	Writ - A	118	2026	Allahabad	Committee Of Management Sri Gandhi Inter College Vs. State Of U.P.	17/2/2026
227	Writ - A	179	2026	Allahabad	Arun Pratap Singh Vs. State Of U.P.	17/2/2026
228	Writ - A	226	2026	Lucknow	Amit Gupta Vs. U.O.I. Medical Health Deptt.	17/2/2026
229	Writ - C	43641	2007	Allahabad	Surendra Kumar Vs. State Of U.P.	17/2/2026
230	Writ - C	383	2026	Lucknow	Johra Begam Vs. State Of U.P. Revenue Deptt.	17/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
231	Criminal Appeal	2044	1983	Allahabad	Ali Hasan Vs. State Of U.P.	16/2/2026
232	Criminal Appeal	2044	1983	Allahabad	Ali Hasan Vs. State Of U.P.	16/2/2026
233	Criminal Appeal	534	1995	Lucknow	Ram Pheran Vs. State Of U.P.	16/2/2026
234	Application U/S 528 BNSS	15439	2025	Allahabad	Neeraj Kumar Vs. State Of U.P.	16/2/2026
235	Special Appeal	219	2025	Allahabad	Dr. Dipanwita Singh Roy Vs. Union Of India	16/2/2026
236	Matters under Article 227	555	2026	Lucknow	Mohd. Shakeel Vs. Munni Devi	13/2/2026
237	Application U/S 482	5062	2016	Lucknow	Shiv Pratap @ Jokhu Vs. State Of U.P.	13/2/2026
238	Contempt Application (Civil)	99	2010	Lucknow	Ram Shanker Shukla Vs. Madhukar Shukla	13/2/2026
239	Criminal Appeal	492	1982	Lucknow	Ram Narain Vs. State Of U.P.	13/2/2026
240	Criminal Appeal	79	2008	Lucknow	Shiv Pujan Vaema Vs. State Of U.P.	13/2/2026
241	Criminal Appeal	2903	2020	Allahabad	Shakeel Ahmad Vs. State Of U.P.	13/2/2026
242	Criminal Appeal	10405	2024	Allahabad	Sonu Vs. State Of U.P.	13/2/2026
243	Habeas Corpus Writ Petition	139	2026	Allahabad	Jai Kumar Aggarwal Vs. DG GST Intelligence	13/2/2026
244	Application U/S 528 BNSS	3690	2026	Allahabad	Awadhesh Nishad Vs. State Of U.P.	13/2/2026
245	Second Appeal Defective	87	2017	Lucknow	State Of U.P. Thru. Distt. Magistrate Lakhimpur Kheri And 2 Ors Vs. Vinod Kumar Chopra And 4 Others	13/2/2026
246	Government Appeal Defective	453	2025	Allahabad	State of U.P. Vs. Sanjeev Bajpayee And Another	12/2/2026
247	Application U/S 528 BNSS	18266	2025	Allahabad	Pradeep Kumar Vs. State Of U.P. And 2 Others	12/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
248	Writ - A	2700	2014	Lucknow	Ram Kishore Vs. U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	12/2/2026
249	Writ - C	44707	2025	Allahabad	Sughar Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	12/2/2026
250	Writ - C	1800	2026	Allahabad	Chanda Devi Vs. State Of U.P. And 4 Others	12/2/2026
251	Application U/S 482	15862	2024	Allahabad	Gopal Prasad Sharma Vs. State Of U.P. And Another	11/2/2026
252	Civil Misc. Arbitration Application	19	2025	Lucknow	M/S Progressive Construction Company Vs. Engineer-In-Chief, PWD	11/2/2026
253	Arbitration Application U/S 11(4)	33	2024	Allahabad	M.S. Kalicharan Pandey & Co. Vs. Union Of India	11/2/2026
254	Criminal Appeal	235	1984	Allahabad	Radha Charan Sharma Vs. State Of U.P.	11/2/2026
255	Criminal Appeal	1502	2021	Allahabad	Smt. Seema Gupta Vs. State Of U.P.	11/2/2026
256	First Appeal From Order	1370	2024	Allahabad	Subhashchandra Gupta Vs. Ajay Kumar Sharma	11/2/2026
257	Writ - A	16994	2024	Allahabad	Anuj Kumar Vs. State Of U.P.	11/2/2026
258	Writ - C	33442	2025	Allahabad	Dinesh Chandra Bhatt Vs. State Of U.P.	11/2/2026
259	First Appeal	978	2025	Allahabad	Sunil Kumar Dublish Vs. Ramesh Chandra Dublish	10/2/2026
260	First Appeal	94	2026	Allahabad	K.P. Pankaj Vs. District Urban Development Authority	10/2/2026
261	First Appeal	95	2026	Allahabad	Sachin Kumar Vs. Smt. Nidhi Dohre	10/2/2026
262	Habeas Corpus Writ Petition	47	2026	Lucknow	Shivam Chaurasiya Vs. State Of U.P.	10/2/2026
263	Writ - A	14985	2025	Allahabad	Dr. Aparajita Chaudhary Vs. State Of U.P.	10/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
264	Writ - A	9584	2025	Allahabad	Dr. Santosh Kumar Vs. State Of U.P.	10/2/2026
265	Application U/S 482	8263	2025	Lucknow	Mohd. Azeem Idrishi Vs. State Of U.P.	9/2/2026
266	Criminal Appeal	1633	2022	Lucknow	Sujeet Vs. State Of U.P.	9/2/2026
267	Application U/S 528 BNSS	1980	2025	Lucknow	Kamalesh Agnihotri Vs. State Of U.P.	9/2/2026
268	Writ - C	8940	2025	Lucknow	Greater Noida Industrial Development Authority Vs. State Of U.P.	9/2/2026
269	Writ - C	3630	2026	Allahabad	Sarvesh Kumar Vs. State Of U.P.	9/2/2026
270	Application U/S 482	34052	2017	Allahabad	Nitin Mohan Sharma Vs. State Of U.P.	6/2/2026
271	Criminal Appeal	4445	2005	Allahabad	Balak Ram Vs. State Of U.P.	6/2/2026
272	First Appeal From Order	291	2015	Allahabad	New India Assurance Co. Ltd. Vs. Savita Tiwari	6/2/2026
273	First Appeal	934	2025	Allahabad	Irfan Quraishi Vs. U.P. State Industrial Devel-opment Authority	6/2/2026
274	Writ - C	3000084	1993	Lucknow	Himanshu Dhar Singh Vs. State Of U.P.	6/2/2026
275	Writ - C	1113	2026	Lucknow	Rajesh Kumar Vs. State Election Commissioner U.P.	6/2/2026
276	Matters under Article 227	650	2026	Allahabad	Gopi Kishan Khandelw-al Vs. Archana Tripathi	5/2/2026
277	Application U/S 482	9472	2025	Lucknow	Nitesh Rastogi Vs. State Of U.P.	5/2/2026
278	Criminal Appeal	3252	1984	Allahabad	Mata Din Vs. State Of U.P.	5/2/2026
279	Criminal Appeal	1079	2016	Lucknow	Anil Vs. State Of U.P.	5/2/2026
280	First Appeal	29	2026	Allahabad	Smt. Zaibunisha Vs. Sanjeev Kumar	5/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
281	Jail Appeal	62	2024	Lucknow	Kumari Janki Vs. State Of U.P.	5/2/2026
282	Application U/S 528 BNSS	43062	2025	Allahabad	Smt. Jyoti Suri Vs. State Of U.P.	5/2/2026
283	Writ - C	41622	2025	Allahabad	Vikas Chaudhary Vs. Union Of India	5/2/2026
284	Writ - C	107	2026	Lucknow	Anil Kumar Vs. State Of U.P. Panchayatraj Deptt.	5/2/2026
285	Matters under Article 227	3	2026	Allahabad	Mohammad Arif Vs. Laiq Ahmad	4/2/2026
286	Criminal Revision	808	2026	Allahabad	Vandana Gupta Vs. State Of U.P.	4/2/2026
287	Criminal Revision	811	2026	Allahabad	Surendra Kumar Sharma Vs. State Of U.P.	4/2/2026
288	First Appeal	317	2019	Allahabad	Sonu Sirohi Vs. Pushpendra Singh Sirohi	4/2/2026
289	Application U/S 528 BNSS	368	2026	Lucknow	Mayank Tripathi Vs. State Of U.P.	4/2/2026
290	Special Appeal	1195	2025	Allahabad	Dr. Sushil Kumar Sinha Vs. State Of U.P.	4/2/2026
291	Writ - A	32433	2015	Allahabad	Rajiv Mishra Vs. Central Bank Of India	4/2/2026
292	Writ - C	42092	2025	Allahabad	Pramod Kumar Vs. State Of U.P.	4/2/2026
293	Criminal Appeal	1458	1984	Allahabad	Ram Phal Vs. State Of U.P.	3/2/2026
294	Criminal Appeal	348	2026	Allahabad	Siraj Ali Alias Babu Vs. State Of U.P.	3/2/2026
295	First Appeal From Order	130	2026	Allahabad	Oriental Insurance Co. Ltd. Vs. Ramchandrapal Singh	3/2/2026
296	Jail Appeal	192	2022	Allahabad	Dharmendra @ Chandra Prakash Vs. State Of U.P.	3/2/2026
297	Writ - B	1119	2025	Lucknow	Ranjeet Singh Vs. Settlement Officer Of Consolidation, Barabanki	3/2/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
298	Criminal Appeal	2435	1984	Allahabad	Ram Narain Vs. State Of U.P.	2/2/2026
299	Criminal Appeal	1279	1987	Allahabad	Jaggu Kol Vs. State Of U.P.	2/2/2026
300	Criminal Appeal	1565	1987	Allahabad	Achhaibarrs Vs. State Of U.P.	2/2/2026
301	Criminal Appeal	493	1988	Allahabad	Mangey Vs. State	2/2/2026
302	Criminal Appeal	1597	2020	Allahabad	Raees Ahmad @ Raesu Vs. State Of U.P.	2/2/2026
303	Habeas Corpus Writ Petition	307	2025	Lucknow	Sunil Kumar Gupta Vs. Union Of India	2/2/2026
304	Transfer Application (Civil)	940	2023	Allahabad	Smt. Akansha Saxena Vs. Shikhar Saxena	2/2/2026
305	Writ - A	62515	2017	Allahabad	Raghvendra Prasad Mishra Vs. State Of U.P.	2/2/2026
306	Writ - A	2736	2023	Lucknow	Alok Kumar Mitra Vs. Union Of India	2/2/2026
307	Writ - C	1002144	2002	Lucknow	Sher Bahadur Singh Vs. Addl. Commissioner Judicial Lucknow	2/2/2026
308	Criminal Misc. Bail Application	32305	2025	Allahabad	Alok Singh Vs. State Of U.P.	30/1/2026
309	Criminal Misc. Bail Application	45637	2025	Allahabad	Raju Alias Rajkumar Vs. State Of U.P.	30/1/2026
310	Civil Misc Review Application	102	2023	Lucknow	Kailash Nath Vs. State Of U.P.	30/1/2026
311	Criminal Appeal	1715	2011	Lucknow	Yasin Vs. State Of U.P.	30/1/2026
312	Jail Appeal	1377	2012	Lucknow	Sobran Lal Vs. State Of U.P.	30/1/2026
313	Application U/S 528 BNSS	46079	2025	Allahabad	Irfan Solanki Vs. State Of U.P.	30/1/2026
314	Transfer Application (Civil)	1027	2023	Allahabad	Smt. Arju @ Vimal Vs. Umakant Parasar	30/1/2026
315	Writ - A	4322	2024	Lucknow	Dharmendra Kumar Shukla Vs. Union Of India	30/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
316	Application U/S 482	3237	2020	Lucknow	Jyoti Kamal Vs. State Of U.P.	29/1/2026
317	Application U/S 482	692	2023	Lucknow	Ankur Asthana Vs. State Of U.P.	29/1/2026
318	Criminal Appeal	450	1987	Allahabad	Madho Vs. State Of U.P.	29/1/2026
319	Criminal Appeal	84	2010	Lucknow	Kallu @ Raj Kumar Vs. State Of U.P.	29/1/2026
320	Criminal Misc. Writ Petition	450	2025	Allahabad	Neeleshramchandani Vs. State Of U.P.	29/1/2026
321	Criminal Revision	201	2026	Allahabad	Jai Nath Prajapati Vs. State Of U.P.	29/1/2026
322	Application U/S 528 BNSS	32121	2025	Allahabad	Jitendra Kumar Vs. State Of U.P.	29/1/2026
323	Writ - A	235	2004	Lucknow	Jai Prakash Verma Vs. State Of U.P.	29/1/2026
324	Writ - A	15424	2025	Allahabad	Dr. Chandra Bhushan Singh Mahur Vs. State Of U.P.	29/1/2026
325	Writ - C	3000168	1998	Lucknow	Babu Khan Vs. Addl. Commissioner Admn. Lucknow	29/1/2026
326	Application U/S 482	22948	2019	Allahabad	Lalit Pundir Vs. State Of U.P.	28/1/2026
327	Application U/S 482	37780	2019	Allahabad	Raj Bihari Singh Vs. State Of U.P.	28/1/2026
328	Application U/S 482	1253	2020	Lucknow	T.T. Ltd. Vs. State Of U.P.	28/1/2026
329	Application U/S 482	3721	2021	Lucknow	Vishal Kumar Saroj Vs. State Of U.P.	28/1/2026
330	Criminal Revision	2776	2013	Allahabad	Rajesh Kukreja Vs. State Of U.P.	28/1/2026
331	Jail Appeal	311	2018	Allahabad	Jagannath Vs. State Of U.P.	28/1/2026
332	Writ - A	4164	2024	Lucknow	Smt. Shanti Devi Vs. State Cadre Authority U.P.	28/1/2026
333	Criminal Misc. Bail Application	45385	2025	Allahabad	Jagroop Vs. State Of U.P.	27/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
334	Criminal Appeal	10956	2025	Allahabad	Vishal Tyagi Vs. State Of U.P.	27/1/2026
335	First Appeal From Order	7	2026	Allahabad	Lal Ji Yadav Vs. National Insurance Co. Ltd.	27/1/2026
336	Application U/S 528 BNSS	36420	2025	Allahabad	Vijendra Kumar Vs. State Of U.P.	27/1/2026
337	Special Appeal	646	2025	Allahabad	Anita Rani Vs. State Of U.P.	27/1/2026
338	Writ - A	11217	2025	Allahabad	Chandra Prakash Singh Vs. State Of U.P.	27/1/2026
339	Writ - A	19185	2025	Allahabad	Samita Vs. State Of U.P.	27/1/2026
340	Criminal Appeal	674	1984	Lucknow	Sagheer Ahmad Vs. State Of U.P	22/1/2026
341	FIRST APPEAL FROM OR-DER	1642	2011	Allahabad	The New India Assur-ance Co. Ltd. Vs. Smt. Luxmi Devi Dubey And Others	22/1/2026
342	FIRST APPEAL FROM OR-DER	928	2020	Allahabad	M/S Sai Dham Apart-ments And Another Vs. Ravi Kumar Mehrotra And 2 Others	22/1/2026
343	Habeas Corpus Writ Petition	35	2026	Allahabad	Umang Rastogi Vs. State Of U.P.	22/1/2026
344	Application U/S 528 BNSS	51192	2025	Allahabad	Mahendra Singh Vs. State Of U.P.	22/1/2026
345	Writ - A	8208	2024	Lucknow	Abhishek Jaiswal Vs. PNB Head Office	22/1/2026
346	Writ - A	19634	2025	Allahabad	Garima Singh Vs. State Of U.P.	22/1/2026
347	Writ - B	21333	2013	Allahabad	Shanti Devi Vs. Addl. Collector / DDC	22/1/2026
348	Writ - B	4204	2025	Allahabad	Ramashray Vs. State Of U.P.	22/1/2026
349	Writ - C	4681	2025	Allahabad	Kuldeep Kumar Vs. State Of U.P.	22/1/2026
350	Matters under Article 227	3886	2024	Lucknow	Genebio Healthcare Pvt. Ltd. Vs. Paradigm Enterprises	21/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
351	Criminal Appeal	2096	1984	Allahabad	Satti Din Vs. State Of U.P.	21/1/2026
352	Criminal Revision	5100	2022	Allahabad	Brijmohan Vs. State Of U.P.	21/1/2026
353	Criminal Revision	374	2024	Allahabad	Awadhesh Nishad Vs. State Of U.P.	21/1/2026
354	Application U/S 528 BNSS	36258	2025	Allahabad	Amarjit Pal Vs. State Of U.P.	21/1/2026
355	RERA Appeal Defective	125	2025	Lucknow	LDA Vs. Sushma Shukla	21/1/2026
356	Special Appeal	221	2023	Lucknow	Dr. Dinesh Kumar Agrawal Vs. State Of U.P.	21/1/2026
357	Writ - A	9985	2017	Allahabad	Narendra Singh Vs. State Of U.P.	21/1/2026
358	Writ - C	14386	2019	Allahabad	M/S Sharad Enterprises Vs. State Of U.P.	21/1/2026
359	Anticipatory Bail Cancellation	109	2025	Allahabad	Piyush Verma Vs. State Of U.P.	20/1/2026
360	Criminal Appeal	1406	1990	Allahabad	Islam Vs. State Of U.P.	20/1/2026
361	Criminal Appeal	3822	2022	Allahabad	Tejveer Vs. State Of U.P.	20/1/2026
362	Criminal Revision	7290	2025	Allahabad	Akash Yadav Vs. State Of U.P.	20/1/2026
363	First Appeal From Order	2491	2019	Allahabad	Mohd. Zahir Vs. UPS-RTC	20/1/2026
364	First Appeal From Order	103	2026	Allahabad	United India Insur-ance Co. Ltd. Vs. Sonu Kumar	20/1/2026
365	Writ - A	6218	2004	Lucknow	Ramesh Chandra Singh Vs. State Of U.P.	20/1/2026
366	Writ - C	1000345	2001	Lucknow	Krishna Mohan Tewari Vs. Addl. Commission-er Judicial Faizabad	20/1/2026
367	Writ - C	37803	2022	Allahabad	Sanjay Kumar Pandey Vs. State Of U.P.	20/1/2026
368	Writ - C	26221	2024	Allahabad	Sunil Kandu Vs. Minis-try Of Home Affairs	20/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
369	Writ - C	44298	2025	Allahabad	Haripuram Sahakari Awas Samiti Vs. State Of U.P.	20/1/2026
370	Writ - C	27	2026	Lucknow	Masjid Gaura Sailak Waqf Vs. Waqf Commissioner Barabanki	20/1/2026
371	Writ - C	89	2026	Lucknow	Janki Prasad Vs. Distt. Registrar Ambedkar Nagar	20/1/2026
372	Writ Tax	7515	2025	Allahabad	M/S SA Aromatics Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	20/1/2026
373	Matters under Article 227	7466	2025	Lucknow	Dinesh Kumar Jindal Vs. Debt Recovery Tribunal Lko.	19/1/2026
374	Criminal Appeal	1294	1986	Allahabad	Mahesh Kumar Vs. State Of U.P.	19/1/2026
375	Criminal Revision	8658	2025	Allahabad	Vineeta Vs. Dr. Ved Prakash Singh	19/1/2026
376	Application U/S 528 BNSS	7072	2025	Allahabad	Avneesh Kumar Vs. State Of U.P.	19/1/2026
377	SCC Revision	4	2026	Lucknow	Arun Kumar Verma Vs. Ramakant Verma	19/1/2026
378	PIL	5889	2013	Lucknow	Moti Lal Yadav Vs. Chief Election Commissioner	19/1/2026
379	Writ - A	227	2026	Lucknow	Sohan Lal Vs. State Of U.P.	19/1/2026
380	Writ - B	1159	1982	Lucknow	Mohd. Haneef Vs. Deputy Director Consolidation Sultanpur	19/1/2026
381	Writ - C	1002800	2001	Lucknow	Prahlad Gond Vs. U.P. Co-Operative Tribunal	19/1/2026
382	Writ - C	12211	2025	Lucknow	Khalsa Medical Store Vs. RBI	19/1/2026
383	Writ - C	15470	2025	Allahabad	Veena Singh Vs. Union Of India	19/1/2026
384	Matters under Article 227	24	2026	Lucknow	Tandon And Company Vs. Debt Recovery Tribunal Lko.	16/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
385	Civil Misc. Arbitration Application	4	2025	Lucknow	Nagory Foster Pvt. Ltd. Vs. Union Of India	16/1/2026
386	Criminal Appeal	2480	1987	Allahabad	Om Prakash Vs. State Of U.P.	16/1/2026
387	Criminal Appeal	980	2001	Lucknow	Bhoolan Vs. State Of U.P.	16/1/2026
388	Custom Appeal	19	2025	Lucknow	Commissioner Of Customs Vs. Sharad Chand Agrahari	16/1/2026
389	First Appeal From Order	1282	2017	Allahabad	Laxman Prasad Mishra Vs. National Insurance Co. Ltd.	16/1/2026
390	Application U/S 528 BNSS	39747	2025	Allahabad	Mohammad Shahzad Vs. State Of U.P. And 2 Others	16/1/2026
391	Writ - C	6758	2022	Lucknow	Vishal Singh And Another Vs. Learned Commissioner, Devi Patan Mandal,Gonda,U.P. And 2 Others	16/1/2026
392	Criminal Appeal	398	2018	Allahabad	Girraj Singh Vs. State Of U.P.	14/1/2026
393	Criminal Revision	4884	2024	Allahabad	M/S Marion Biotech Pvt Ltd Vs. Union Of India	14/1/2026
394	Criminal Revision	5442	2025	Allahabad	M/S Marion Biotech Pvt Ltd Vs. Union Of India	14/1/2026
395	Criminal Revision	5443	2025	Allahabad	M/S Marion Biotech Pvt Ltd Vs. Union Of India	14/1/2026
396	Criminal Revision	5444	2025	Allahabad	M/S Marion Biotech Pvt Ltd Vs. Union Of India	14/1/2026
397	Application U/S 528 BNSS	12575	2025	Allahabad	Umme Farva Vs. State Of U.P.	14/1/2026
398	Application U/S 528 BNSS	863	2026	Allahabad	Ajay Yadav Vs. State Of U.P.	14/1/2026
399	Writ - C	12085	2025	Lucknow	Victim X Vs. State Of U.P. Social Welfare Deptt.	14/1/2026
400	Writ - C	38368	2025	Allahabad	Chetram Vs. State Of U.P.	14/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
401	Matters under Article 227	71	2026	Lucknow	AR Landcraft LLP Vs. U.P. Real Estate Appellate Tribunal	13/1/2026
402	Criminal Misc. Bail Application	6338	2025	Lucknow	Suresh Lodhi Vs. State Of U.P.	13/1/2026
403	Criminal Appeal	452	2021	Allahabad	Bhagwat Kushwaha Vs. State Of U.P.	13/1/2026
404	Criminal Misc. Writ Petition	18905	2025	Allahabad	Sanjay Wahi Vs. State Of U.P.	13/1/2026
405	First Appeal From Order	2841	2016	Allahabad	Smt. Kashmiri Vs. UP-SRTC	13/1/2026
406	First Appeal	455	2023	Allahabad	Om Prakash Gupta Vs. Radhey Shyam Gupta	13/1/2026
407	Jail Appeal	787	2016	Allahabad	Naresh Chaudhary Vs. State Of U.P.	13/1/2026
408	Application U/S 528 BNSS	35779	2025	Allahabad	Kuldeep Verma Vs. State Of U.P.	13/1/2026
409	Writ - B	5318	2025	Allahabad	Prem Singh Vs. State Of U.P.	13/1/2026
410	Application U/S 482	34372	2016	Allahabad	Faujdar Yadav Vs. State Of U.P.	12/1/2026
411	Criminal Misc. Writ Petition	12344	2025	Lucknow	Miss Shabnam Vs. State Of U.P.	12/1/2026
412	First Appeal From Order	3821	2011	Allahabad	Smt. Jyoti Vs. Neha Khatri	12/1/2026
413	First Appeal From Order	1995	2024	Allahabad	Smt. Mugga Devi Vs. Makkhan Singh	12/1/2026
414	Application U/S 528 BNSS	49947	2025	Allahabad	Smt. Neelam Vs. State Of U.P.	12/1/2026
415	Transfer Application (Civil)	6	2026	Allahabad	Smt. Anjana Rana Vs. Navin Singh	12/1/2026
416	Writ - A	14910	2025	Lucknow	Ache Lal Vs. State Of U.P.	12/1/2026
417	Writ - B	11	2026	Lucknow	Ramjage Vs. Deputy Director Of Consolidation, Barabanki	12/1/2026
418	Writ - C	3000122	2002	Lucknow	Shiv Darshan Vs. Addl. Collector F/R	12/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
419	Writ - C	12619	2025	Lucknow	Sujeet Kumar Vs. State Of U.P. Collector Gonda	12/1/2026
420	Writ - C	42608	2025	Allahabad	Hinduja Housing Finance Ltd. Vs. State Of U.P.	12/1/2026
421	Writ - C	44710	2025	Allahabad	Wizitec Pvt. Ltd. Vs. State Of U.P.	12/1/2026
422	Criminal Appeal	4153	2025	Lucknow	Dr. Abdul Ghaffar Vs. State Of U.P.	9/1/2026
423	First Appeal	252	2025	Allahabad	Neetesh Kumar Pal Vs. Smt. Ramendree Pal	9/1/2026
424	Jail Appeal	80	2022	Allahabad	Rajendra Vs. State Of U.P.	9/1/2026
425	Writ - C	11507	2025	Lucknow	Irfan Ahmad Vs. State Of U.P. Urban Development Deptt.	9/1/2026
426	Writ - C	130	2026	Lucknow	Shivdhari Vs. State Of U.P. Revenue Deptt.	9/1/2026
427	Criminal Appeal	460	1989	Allahabad	Shailendra Vs. State	8/1/2026
428	Criminal Appeal	10170	2025	Allahabad	Abhinash Sharma Vs. State Of U.P.	8/1/2026
429	Criminal Revision	1467	2024	Allahabad	Avanish Chandra Srivastava Vs. State Of U.P.	8/1/2026
430	Criminal Revision	629	2024	Allahabad	Parveen Bano Vs. State Of U.P.	8/1/2026
431	Criminal Revision	8411	2025	Allahabad	Sanjay Yadav Vs. State Of U.P.	8/1/2026
432	First Appeal From Order	892	2015	Allahabad	Sangam Lal Vs. New India Assurance Co. Ltd.	8/1/2026
433	Writ - A	15313	2025	Allahabad	Kuldeep Kumar Vs. State Of U.P.	8/1/2026
434	Writ - A	82	2026	Lucknow	Deepak Kumar Vs. State Of U.P. Food Safety Deptt.	8/1/2026
435	Matters under Article 227	15414	2025	Allahabad	Krishna Bihari Yadav Vs. State Of U.P.	7/1/2026
436	Application U/S 482	6200	2025	Lucknow	Sapna Choudhary Vs. State Of U.P.	7/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
437	Criminal Revision	1352	2024	Allahabad	Ashok Singh Vs. State Of U.P.	7/1/2026
438	Criminal Revision	6573	2024	Allahabad	Man Singh Vs. State Of U.P.	7/1/2026
439	First Appeal Defective	129	2025	Lucknow	Lko. Development Authority Thru. Secy. Vs. Shakuntala Devi (Dead) Thru. Sudhir Kumar Rastogi And Others	7/1/2026
440	First Appeal Defective	130	2025	Lucknow	Lko. Development Authority Vipin Khand Gomti Nagar Lko. Thru. Secy. Vs. Chandra Kishore Rastogi (Dead) And 3 Others	7/1/2026
441	Jail Appeal	143	2018	Allahabad	Sri Pal Vs. State of U.P.	7/1/2026
442	Application U/S 528 BNSS	48021	2025	Allahabad	Manjoo Devi Vs. State Of U.P. And 3 Others	7/1/2026
443	Writ - A	15238	2025	Lucknow	Ramesh Chandra Vs. U.P. Co-Operative Federation Ltd.	7/1/2026
444	Writ - A	19604	2025	Allahabad	Malti Devi Vs. State Of U.P.	7/1/2026
445	Writ - C	9771	2025	Allahabad	Poem Jaiswar Vs. Union Of India	7/1/2026
446	Criminal Appeal	866	1988	Lucknow	Vishwa Nath Tewari Vs. State Of U.P.	6/1/2026
447	Writ - A	14148	2025	Allahabad	Krishna Kant Vs. State Of U.P.	6/1/2026
448	Writ - A	18923	2025	Allahabad	Smt. Reena Vs. State Of U.P.	6/1/2026
449	Writ - C	34717	2025	Allahabad	Smt. Rubiya @ Rubi Vs. State Of U.P.	6/1/2026
450	Matters under Article 227	7293	2025	Lucknow	Smt. Kamla Verma Vs. Addl. Distt. Judge Lko.	5/1/2026
451	Criminal Misc. Bail Application	17430	2024	Allahabad	Netram Vs. State Of U.P.	5/1/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
452	Criminal Misc. Bail Application	40989	2025	Allahabad	Shadab Vs. State Of U.P.	5/1/2026
453	Anticipatory Bail Application U/S 482 BNSS	10241	2025	Allahabad	Monika Vs. State Of U.P.	5/1/2026
454	Special Appeal	213	2025	Allahabad	State Of U.P. Vs. Ramesh Kumar Singh	5/1/2026
455	Writ - A	9297	2023	Lucknow	Prahalad Vs. Union Of India (Railways)	5/1/2026
456	Writ - C	28263	2025	Allahabad	Smt. Soni Vs. State Of U.P.	5/1/2026

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

हम आशा करते है की 'न्यायाभा-न्याय की किरण' के इस छठवें संस्करण ने अपेक्षानुसार आप विद्वान पाठकगण को न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में ज्ञानसंवर्धन की प्राप्ति कराई होगी। इसी क्रम में, 'न्यायाभा-न्याय की किरण' के साथ ही हमारे अन्य प्रकाशन आपके पठन हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका **(e-AHCR)**

क. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास के सारांश
ख. हिन्दी में अनुवादित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय
ग. सर्वोच्च न्यायालय के हिन्दी में अनुवादित निर्णय
घ. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णय।
च. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय द्वारा पारित हिन्दी में अनुवादित निर्णय / अंतिम आदेश
छ. विभिन्न अधिनियम (हिन्दी मे तथा हिन्दी मे अनुवादित) और
ज. एक निःशुल्क सर्च इंजन, जो दिए गए कीवर्ड के आधार पर न्यायालय के निर्णयों की खोज करता है, तथा मूल और इसके अनुवादित संस्करण दोनों के लिए कार्य करता है। साथ ही इसमे विभिन्न अन्य फ़िल्टर मानदंड जैसे वाद शीर्षक, माननीय न्यायमूर्ति का नाम, तटस्थ उद्धरण, आदि भी उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की खोज को मूल्यवान बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त **'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय'** शृंखला का प्रकाशन जिसके प्रथम **अंक में 'मुकदमा चौरी चौरा'** में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हिंदी में अनुवादित निर्णय, द्वितीय अंक में **'केशव सिंह प्रकरण'** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के हिंदी अनुवाद, तृतीय अंक में स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक **'आगरा षडयंत्र प्रकरण'** तथा चतुर्थ एवं पंचम संस्करण **में क्रमशः 'कानपुर बम विस्फोट प्रकरण'** एवं **'राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी'** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। इसके आगामी अंकों मे अन्य ऐतिहासिक मुकदमों में पारित निर्णयों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

न्यायाभा-न्याय की किरण

संपादक मण्डल

श्री अनिल कुमार सिंह II
(उच्च न्या. सेवा/ समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
प्रधान संपादक

श्री विवेक श्रीवास्तव,
संयुक्त निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
संपादक

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,
अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ , इलाहाबाद
उप-संपादक

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
सह-संपादक

पदेन सदस्य
श्री मनीष कुमार सिंह,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

विधि प्रतिवेदक
श्री आशीष कुमार, श्री कुणाल शाह, श्री पंकज अस्थाना, श्री ईश शरन , श्री कार्तिकेय सिंह, श्री श्रेयश श्रीवास्तव, सुश्री सोनाक्षी अरोरा

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा
न्याय की किरण

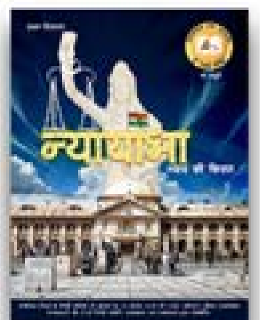

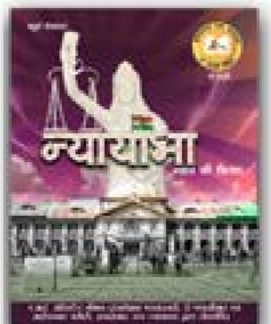

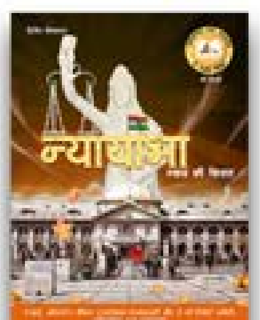

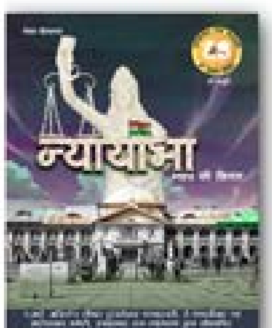

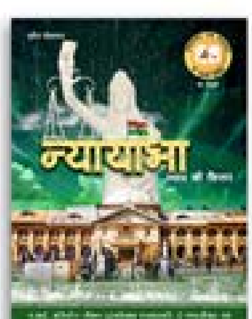

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

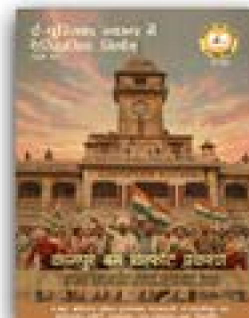

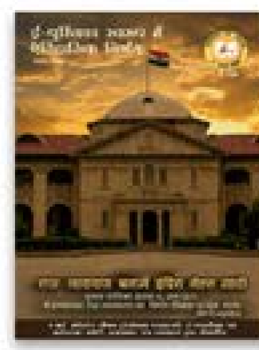
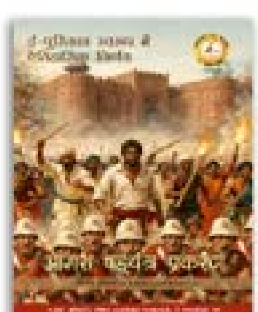

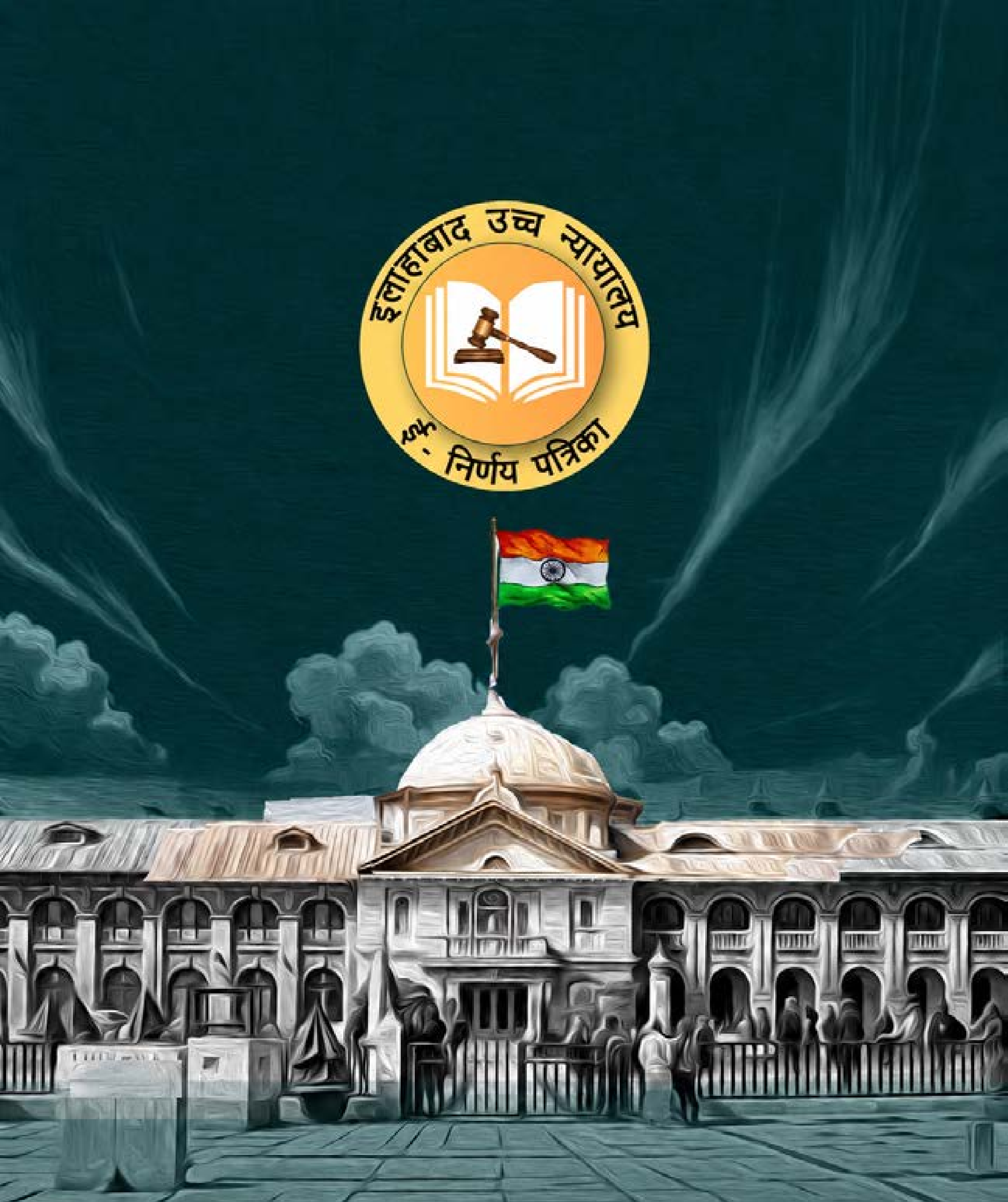

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएलसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित